UPDE010005512022

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–01, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी– काशी नाथ (उच्चतर न्यायिक सेवा)–**UP**06231

सिविल अपील संख्या–15/2022

(मूलवाद संख्या 388/2007)

उत्तर प्रदेश जल निगम प्रथम निर्माण प्रथम निर्माण खण्ड देवरिया द्वारा अधिशासी अभियन्ता.........अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती गीता देवी वर्तमान आयु 63 वर्ष पत्नी नरेश

निवासिनी ग्राम–व पोस्ट धर्मपुर जिला–कुशीनगर वर्तमान पता साकेत नगर देवरिया जिला–देवरिया

2. श्रीमती विद्या देवी वर्तमान आयु 66 वर्ष पत्नी कौशल

निवासी ग्राम व पो० वासगॉव जिला गोरखपुर, वर्तमान पता कस्तूरबा मार्ग बॉस देवरिया तप्पा देवरिया परगना–स०म० तहसील व जिला देवरिया

3. श्रीमती आशा दत्त वर्तमान आयु 62 वर्ष पत्नी ब्रहमेश्वरदत

निवासीनी मालवीय रोड देवरिया तहसील व जिला देवरिया

4. श्रीमती मीरा दत वर्तमान आयु 61 वर्ष पत्नी मुक्तेश्वरदत

निवासीनी मालवीय रोड देवरिया जिला–देवरिया

5. ब्रहमेश्वरदत्त वर्तमान आयु 64 वर्ष पुत्र श्री कालिका सिंह

निवासी मालवीय रोड देवरिया तहसील व जिला–देवरिया

6. प्रीति सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्री कौशल कुमार सिंह

7. गरिमा सिंह उम्र 37 वर्ष पुत्री कौशल कुमार सिंह

8. अभिजीत सिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र स्व कौशल कुमार सिंह

निवासीगण बासगांव, जिला गोरखपुर, हालमुकाम कस्तुरबा रोड देवरिया

9. नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा अध्यक्ष .... वादीगण/प्रतिउत्तरदातागण प्रथम पक्ष

10. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया ....प्रतिवादीगण/प्रतिउत्तरदातागण द्वितीय पक्ष

एवं

सिविल अपील संख्या–18/2022

(मूलवाद संख्या 406/2007)

अधिशासी अभियन्ता प्रथम अस्थाई निर्माण खण्ड उत्तर प्रदेश जल निगम शाखा देवरिया .... अपीलार्थी

बनाम

1. नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया जनपद देवरिया

2. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया .... उतरदातागण प्रथम पक्ष

3. श्रीमती विद्या देवी वर्तमान आयु 66 वर्ष पत्नी कौशल

निवासी ग्राम व पो० वासगॉव जिला गोरखपुर वर्तमान पता कस्तूरबा मार्ग बॉस देवरिया, तप्पा देवरिया, परगना–स०म० तहसील व जिला देवरिया

4. श्रीमती गीता देवी वर्तमान आयु 63 वर्ष पत्नी नरेश

निवासिनी ग्राम–व पोस्ट धर्मपुर जिला–कुशीनगर वर्तमान पता साकेत नगर देवरिया जिला–देवरिया

5. गिरीश सिंह वर्तमान आयु 56 वर्ष पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह

निवासी ग्राम पचौहा पोस्ट गौरा जयनगर तहसील बरहज जिला–देवरिया

6. श्रीमती पार्वती देवी वर्तमान आयु 62 वर्ष पत्नी चित्रसेन सिंह

निवासीनी मकान संख्या 3 हाईडिल कालोनी देवरिया जिला देवरिया

7. व्रहमेश्वरदत्त वर्तमान आयु 64 वर्ष पुत्र श्री कालिका सिंह

निवासी मालवीय रोड देवरिया तहसील व जिला–देवरिया

8. श्रीमती आशा दत्त वर्तमान आयु 62 वर्ष पत्नी व्रहमेश्वरदत

निवासीनी मालवीय रोड देवरिया तहसील व जिला देवरिया

9. श्रीमती मीरा दत वर्तमान आयु 61 वर्ष पत्नी मुक्तेश्वरदत

निवासीनी मालवीय रोड देवरिया जिला–देवरिया

10. जितेन्द्र सिंह वर्तमान आयु 59 वर्ष पुत्र सुरेश सिंह

निवासी स्टेशन रोड देवरिया जिला–देवरिया

11. राकेश कुमार वर्तमान आयु 56 वर्ष पुत्र राघव

12. अभिजीत सिंह उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र कौशल कुमार सिंह

13. प्रीति सिंह उम्र लगभग 46 वर्ष पुत्री कौशल कुमार सिंह

14. गरिमा सिंह उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्री कौशल कुमार सिंह

निवासी कस्तूरबा मार्ग देवरिया तहसील व जिला देवरिया .... उत्तरदातागण द्वितीय पक्ष

निर्णय

01. सर्वप्रथम यहां उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद संख्या 388/2007 श्रीमती गीता देवी आदि बनाम जल निगम प्रथम निर्माण खण्ड देवरिया आदि एवं मूलवाद संख्या 406/2007 अधिशासी अभियन्ता बनाम नगरपालिका परिषद देवरिया आदि दायर किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2009 को उपरोक्त दोनों पत्रावलियों को एकजाई/समेकित करने हेतु आदेश पारित किया गया था। मूलवाद संख्या 388/2007 श्रीमती गीता देवी आदि बनाम जल निगम प्रथम निर्माण खण्ड देवरिया आदि को अग्रणी मूलवाद मानकर अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित की गयी। मूलवाद 388/2007 श्रीमती गीता देवी आदि बनाम जल निगम प्रथम निर्माण खण्ड देवरिया आदि में सम्पूर्ण साक्ष्य संकलित किया गया है तथा सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों मूलवाद में एक साथ निर्णय पारित किया गया।

02. अपील संख्या 15/2022 अपीलार्थी/प्रत्युर्थी उत्तर प्रदेश जल निगम प्रथम निर्माण प्रथम निर्माण खण्ड देवरिया की ओर से मूलवाद संख्या 388/2007 में विद्वान सिविल जज (सि०डी०) कक्ष संख्या 18 देवरिया द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 23.12.2021 व उस पर आधारित डिक्री दिनांकित 10.01.2022 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है। जहां अग्रणी वाद संख्या आज्ञप्त कर प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को सर्वदा के लिए निषेधित किया गया है कि वे भुखण्ड संख्या 242, 241, 372, 371, 349, 370 में वादीगण के कब्जा दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने, उन्हें बेदखल न करने, निर्माण कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने, किसी

अन्य के पक्ष में विवादित भुखण्ड को आवंटित न करने एवं न ही विक्रय विलेख निष्पादित करने का आदेश पारित किया गया है। समेकित मूल वाद 406/2007 खारिज किया गया है। अपील संख्या 18/2022 उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत अपील दाखिल की गयी है।

03. सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों सिविल अपीलों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है, क्योंकि दोनों मूल वाद में विवादित सम्पत्ति एक ही है व पक्षकारान भी एक ही हैं।

04. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मूलवाद संख्या 388/2007 गीता देवी आदि बनाम जल निगम आदि में वादीगण द्वारा प्रस्तुत मूलवाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष इन अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है कि (1) वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष प्रतिवादीगण प्रथम एवं द्वितीय पक्ष को सर्वदा के लिए वर्जित कर दिया जावे कि भूखण्ड स्थित आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया तप्पा देवरिया, परगना सलेमपुर मझौली तहसील व जिला देवरिया के भूखण्ड संख्या 242 एच०आई०जी० में वादिनी सं0–1, भूखण्ड सं0–241 एच०आई०जी० में वादिनी सं0–2. भूखण्ड 373 सं0–372 एम०आई०जी० में वादिनी सं0–3, भूखण्ड स० 371 एम०आई०जी० में वादिनी सं0–4 तथा भूखण्ड सं0–349 एम०आई०जी० में वादी संख्या 6 कौशल कुमार, भूखण्ड सं0–370 एम०आई०जी० में वादी सं0–5 जिसकी चौहद्दी निम्न है, के कब्जा दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे न ही उन्हें बेदखल करें और न हीं निर्माण कार्य में कोई विचारणोध करें न किसी अन्य के पक्ष में विवादित भूखण्ड आवंटित करें और न हीं अन्य के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करें (2) अलावा या बजाय उपरोक्त दारदसी के वादीगण किसी अन्य दादरसी के मुश्तहक करार पाये जाये तो उसकी भी डिक्री सादिर फरमायी जावें।

05. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मूलवाद संख्या 406/2007 अधिशासी अभियन्ता बनाम नगर पालिका परिषद आदि में वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष इन अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है कि (1) उद्घोषणात्मक डिक्री बहक वादी बनाम प्रतिवादीगण प्रदान कर इस वाद की इस्तेकरार कर दिया जावे कि आवंटन निरस्तीकरण का प्रस्ताव दिनांकित 14.07.1997 अवैध, निष्प्रभावी एवं शून्य है तथा उसका कोई प्रभाव वादी के पक्ष में आवंटित विवादित भूखण्डों पर नहीं है (2) जरिये आदेशात्मक व्यादेश बहक वादी बनाम प्रतिवादी प्रथम पक्ष प्रदान करके प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को आदेशित किया जावे कि वे विवादित भूखण्डों का लीज डीड/सेल डीड वादी के पक्ष में निष्पादित करे (3) जरिये स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी बनाम प्रतिवादीगण प्रदान करके प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को सर्वदा के लिए मना कर दिया जावे कि वे विवादित भूखण्डों के वादी कब्जा दखल में कोई अवरोध उत्पन्न न करे, न कब्जा करे न कब्जा करने की धमकी देवे व (4) दादरसी 1 ता 3 के अतिरिक्त वादी यदि किसी अन्य दादरसी को पाने का मुश्तहक न्यायालय की दृष्टि में पाया जावे तो उसकी भी डिक्री वादी के पक्ष में प्रदान कर दिया जावे।

06. संक्षेप में अपील संख्या 15/2022 को उत्पन्न करने वाले तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्युर्थीगण/वादीगण द्वारा मूल वाद 388/2007 प्रस्तुत कर वाद पत्र में ये कथन किये गये हैं कि

प्रतिवादी संख्या 2 ने देवरिया नगरवासियों को आवासीय सुविधा प्रदान कराने के लिए आवासीय योजना के अन्तर्गत आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया में आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराया तथा इच्छुक व्यक्तियों को उचित प्रतिफल प्राप्त कर आवंटन दिया। वादीगण ने भूखण्डों के आवंटन हेतु दिनांक 10.11.1997 के अनुसार प्रार्थना पत्र दिया। वादिनी संख्या 1 गीता देवी के आवेदन पर दिनांक 15.12.1997 को नगरपालिका परिषद देवरिया द्वारा उच्च आय वर्ग के भूखण्ड संख्या 242 के आवंटन का आदेश पारित किया गया तथा उक्त भूखण्ड का मूल्य 1,38,760/— रूपया एक सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया गया तथा उक्त भूखण्ड पर वादी संख्या 1 को कब्जा दखल करा दिया तथा वादी ने उक्त धनराशि 1,38,760/— संगठित विकास योजना निधि नगरपालिका परिषद देवरिया के खाते में जमा कर दिया। वादिनी उक्त भूखण्ड 242 एच.आई.जी. की स्वामिनी एवं काबिज है। वादिनी संख्या 2 विद्या देवी ने प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के कार्यालय में आवासीय सुविधा हेतु भूखण्ड आवंटित करने के लिए दिनांक 12.11.1997 को आवेदन पत्र दिया जिसे प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष द्वारा पंजीकृत करके वादी संख्या 2 के पक्ष में भूखण्ड संख्या 241 एच.आई.जी. आवंटित किया तथा 15.12.1997 को आवंटन आदेश पारित करके 1,38,760 /— रूपया वादिनी संख्या 2 को जमा करने का निर्देश दिया गया तथा दिनांक 15.12.1997 को वादिनी संख्या 2 को कब्जा दखल करा दिया गया। वादिनी ने उक्त धनराशि 1,38,760/— संगठित विकास योजना निधि नगरपालिका परिषद देवरिया के खाते में जमा कर दिया तथा वादिनी संख्या 2 भूखण्ड सांख्या 241 एच.आई.जी. की स्वामिनी एवं काबिज है। वादिनी संख्या 3 आशा दत्त ने मध्यम आयवर्गीय भूखण्ड के लिए आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष द्वारा वादिनी संख्या 3 के पक्ष में भूखण्ड संख्या 372 एम०आई०जी० आवंटित किया गया तथा धनराशि 70358/— जमा करने के लिए निर्देश दिया गया। वादिनी ने उक्त धनराशि संगठित विकास योजना निधि नगर पालिका परिषद देवरिया के खाते में जमा कर दिया तथा प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष द्वारा भूखण्ड संख्या 372 एम०आई०जी० पर बतौर स्वामिनी अध्यासित है। वादिनी संख्या 4 मीरा दत्त ने मध्यम आय वर्गीय भूखण्ड के आवंटन हेतु प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के कार्यालय में आवेदन पत्र दिया जो दिनांक 01.06.1998 को स्वीकार करके भूखण्ड संख्या 371 एम०आई०जी० वादिनी संख्या 4 को आवंटित किया गया तथा 70,004/— जमा करने के लिए निर्देश दिया गया। वादिनी संख्या 4 ने उक्त धनराशि संगठित विकास योजना निधि नगर पालिका परिषद देवरिया के खाते में जमा कर दिया तथा नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा भूखण्ड संख्या 371 एम०आई०जी० पर वादिनी संख्या 4 को कब्जा दखल करा दिया गया तथा आवंटन की तिथि से बतौर स्वामिनी अध्यासित है। वादी कौशल कुमार ने प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के कार्यालय में मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिया जो दिनांक 01.06.1998 को स्वीकार करके भूखण्ड सं0 349 एम०आई०जी० प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष द्वारा वादी कौशल कुमार को आवंटित किया गया तथा 53100/— जमा करने के लिए निर्देशित किया गया। उक्त धनराशि संगठित विकास योजना निधि नगर पालिका परिषद देवरिया के खाते में जमा कर दिया गया तथा नगर पालिका परिषद

देवरिया द्वारा भूखण्ड संख्या 349 एम०आई०जी० पर वादी कौशल कुमार को कब्जा दखल करा दिया गया तथा आवंटन की तिथि से बतौर स्वाभी अध्यासित है। वादी संख्या 5 ब्रम्हेश्वर ने मध्यम आय वर्गीय भूखण्ड के आवंटन हेतु प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के कार्यालय में आवेदन पत्र दिया। प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष द्वारा वादी संख्या 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करके भूखण्ड संख्या 370 एम०आई०जी० वादी संख्या 6 को आवंटित किया गया तथा 70623.00 रूपया जमा करने के लिए निर्देश दिया गया। वादी संख्या 5 ने उक्त धनराशि संगठित विकास योजना निधि नगर पालिका परिषद देवरिया के खाते में जमा कर दिया तथा प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष ने भूखण्ड संख्या 370 एम०आई०जी० पर वादी सं० 5 का कब्जा दखल करा दिया। आवंटन की तिथि से वादी सं० 5 भूखण्ड सं0 370 एम०आई०जी० पर बतौर स्वामी अध्यासित है। वादीगण ने अपने भूखण्डों पर निर्माण कराने हेतु नियत प्राधिकारी देवरिया से नक्शा स्वीकृत कराया तथा अपने अपने भूखण्डों में अलग अलग. जलकल विभागक, नगर पालिका परिषद देवरिया से जल आपूर्ति हेतु कनेक्शन लिया तथा अपने अपने भूखण्डो में चहार दीवारी का निर्माण कराया । उक्त चहार दीवारी माह सितम्बर 2007 में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष का वादीगण के पक्ष में आवंटित भूखण्डों से किसी प्रकार का कोई स्वामित्व या अध्यासन नहीं है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट याचिका 12828/1999 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य दाखिल किया जिस सं० 12, वे 5 पक्ष रहे हैं तथा वादिनी संख्या 3 व 4 ने पक्ष बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत था। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिनी सं० 3 व 4 के स्थान पर प्रवीण कुमार एवं राकेश कुमार अनावश्यक रूप से पक्ष बनायो तथा प्रवीण व राकेश से उपरोक्त वर्णित भूखण्डों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा और न ही प्रवीण राकेश उपरोक्त भूखण्डों पर किसी प्रकार का स्वामित्व या अध्यासन प्रकट करते हैं और उनसे किसी प्रकार का विवाद भी नहीं है। जिस कारण उन्हें पक्ष बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल उपरोक्त रिट याचिका से वादीगण को यह जानकारी हुई कि उपरोक्त भूखण्ड जिसका प्रस्तुत वाद में विवाद है, प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नगरपालिका देवरिया के संगठित नगर विकास योजना की शर्तों के अनुसार विवादित भूखण्डों में निमार्ण कार्य नहीं कराया। इस कारण नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा विधिक प्रक्रिया पूरी करके प्रतिवादी संख्या 1 को पर्याप्त सूचना एवं समाचार पत्र सहारा दिनांक 29 जून 1997 के प्रकाशन सूचना द्वारा दिनांक 15.07.1997 से भूखण्ड का आवंटन रद्द कर दिया गया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित भूखण्डों से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया ने रिट याचिका सं0 12828/1999 में अपना प्रति शपथपत्र प्रस्तुत करके प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पक्ष में किये गये आवंटन को नियमानुसार निरस्त करके वादीगंण व अन्य लोगों के पक्ष में नियमानुसार आवंटन करके कब्जा दखल दिये जाने की बात को स्वीकार किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 12828/1999 दिनांक 14.08. 2007 को निरस्त किया जा चुका है तथा वादीगण अपने चहार दीवारी का जीर्णोद्धार करके आवासीय निर्माण करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण का विवादित भूखण्डों से किसी प्रकार का सम्बन्ध

स्वामित्व या अध्यासन नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष एवं द्वितीय पक्ष रिट याचिका खारिज होने के पश्चात् वादीगण को बेदखल करने की धमकी देना शुरू कर दिये हैं तथा यह भी कह रहे है कि वादीगण को विवादित भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं कराने देगा और न ही क्षतिग्रस्त चाहर दीवारी का जीर्णोद्धार करने अन्य लोगों को आवंटित एवं विक्रय विलेख निष्पादित करने की धमकी देगें तथा विवादित भूखण्ड दे रहे हैं। विवादित भूखण्ड वादीगण को प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष ने आवंटित किया है तथा एक ही प्रकार की शर्त एंव प्रतिवादी भी एक ही है तथा माननीय उच्च न्यायालय में भी एक ही रिट याचिका में सभी भखण्डों का विवाद रहा है। सभी विवादित भूखण्डों के वाद का कारण एक है। इस कारण वाद की बहुलता न हो सभी वादीगण एक साथ वाद प्रस्तुत कर रहे हैं। दावा निषेधाज्ञा का है। निषेधाज्ञा वाद में प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर दो महीने की अवधि समाप्त होने पर दावा का उदेश्य समाप्त हो जायेगा। इस कारण प्रस्तुत वाद अर्न्तगत धारा 326 (4) उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत बिना नोटिस दाखिल किया जाता है। वाद का कारण दिनांक 07.10.2004 को प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष एवं द्वितीय पक्ष वादीगण को विवादित भूखण्डों से बेदखल करने की तथा निर्माण कार्यों में अवरोध करने एवं आवंटन की धमकी देने से बमुकाम भुजौली, रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया में पैदा हुआ। वादीगण द्वारा वाद को डिकी किये जाने की याचना की गयी है।

07. प्रतिवादी संख्या–1 उ0प्र0 जल निगम द्वारा जवाबदेही कागज संख्या 70ग में वाद पत्र की धारा 1 को स्वीकार किया गया है तथा वाद पत्र की धारा 2 ता 9, 12 व 12, 15, 16, 17 को अस्वीकार किया गया है। शेष वाद पत्र की धारा में जिस तरह अभिकथन किए गए हैं, उन्हें अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विशेष कथन में यह कथन किए गए हैं कि वादीगण को प्रस्तुत वाद दाखिल करने का कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है न तो वादीगण विवादित भूखण्ड पर काबिज हैं न तो उसमें उनका कोई निर्माण है। वादीगण जिन भूखण्ड संख्या 242, 349, 241, 370, 371 एवं 372 के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया है उनके सम्बन्ध में उनके पक्ष में आवंटन सही तरीके से नहीं हुआ है। आवंटन अवैध प्रक्रिया का परिणाम है। नगर पालिका परिषद देवरिया में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनायी गयी समिति के आधार पर भुजौली आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया, जिसके तहत भवन बनाने हेतु भूखण्डों के आवंटन का प्रकाशन कराया, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 ने आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र दिया। नगर पालिका परिषद देवरिया ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में 17 भूखण्ड, 241, 242, 347, 348, 349, 360, 361, 362, 363, 364, 369, 370, 371, 372, 375, 376, 379 का आवंटन प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 13.03.1986 को किया तथा नगर पालिका अध्यक्ष के आदेश पर दिनांक 10.04.1986 को उपरोक्त भूखण्डों की कीमत सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के रूपया 6.94 लाख रूपया जमा किया जिसको सूचना रसीदी के साथ दिनांक 10.04.1986 को प्रतिवादी ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष देवरिया को दिया। उपरोक्त भूखण्डों की कीमत जमा हो जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को आवंटित भूखण्डों को डिमारकेशन के लिए दिनांक 28.08.1986 को पत्र लिखा गया जिसके आधार पर उनके सहायक अभियन्ता ने दिनांक

01.09.1986 को उपरोक्त भूखण्डों का हस्तानान्तरण प्रतिवादी के पक्ष में करके उस पर प्रतिवादी का कब्जा दखल करवा दिया, तब से आज तक उपरोक्त सभी भूखण्डों पर प्रतिवादी का कब्जा दखल है। वादीगण का कोई कब्जा दखल विवादित भूखण्डों पर नहीं है। उपरोक्त भूखण्डों का कब्जा दखल प्रतिवादी के पक्ष में होने के पश्चात प्रतिवादी ने उनको वाउण्ड्री बाल से घेरवा दिया तथा भूखण्ड संख्या 360 ता 364 एवं 377, 378, 379, 375, 376 में भवन का निर्माण भी करवाया, जिसके भूखण्ड संख्या के निर्मित भवन को जल निगम का कार्यालय स्थापित है तथा अन्य भूखण्डों को प्रतिवादी के पाईप एवं अन्य सामान रखे गये हैं, जिस पर चौकीदारों की ड्यूटी लगी है। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री रामायण राव द्वारा 24.01.1992 को दैनिक जागरण समाचार पत्र के एक सूचना प्रकाशित करवायी गयी कि आवंटित भूखण्डों की लीज डीड होगी तथा सभी औपचारिकता पूर्ण होने के बाद आवंटी के पक्ष में लीज डीड का निष्पादन किया जायेगा, जो आवंटी दिनांक 15.02.1992 तक लीज डीड की कार्यवाही पूर्ण नहीं कर सकेंगे उनका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। नगर पालिका परिषद देवरिया के अध्यक्ष के द्वारा प्रकाशित समाचार/सूचना की चुनौती कल्याण समिति के सचिव एवं आवंटी श्री भरत कुमार पाण्डेय ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट याचिका दाखिल किया, इस रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने नगर पालिका परिषद की उपरोक्त सूचना का कियान्वयन स्थगित कर दिया। रिट याचिका संख्या 5305/1992 में नगर पालिका परिषद देवरिया उपस्थित हुयी था एक शपथपत्र इस आशय का उसके तरफ से दाखिल किया गया कि सभी आवंटियों को अब विक्रय पत्र निष्पादित होगी। नगर पालिका द्वारा उक्त आशय का शपथपत्र दाखिल होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को मानते हुए निस्तारित किया। उक्त रिट याचिका के डिस्पॉज ऑफ हो जाने के बाद कल्याण समिति के सचिव ने सेल डीड के निष्पादन के लिए पत्र दिया, जिसके उत्तर में नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष डाक्टर शिव हरि सिंह ने दिनांक 26.10.1998 को पत्र द्वारा यह सूचित किया कि सेल डीड या किसी भी प्रकार का हस्तानान्तरण शासन की अनुमति के बिना निष्पादित किया जाना सम्भव नहीं है। सेल डीड निष्पादित करने का निर्णय नगर पालिका परिषद द्वारा लिया गया है। सेल डीड निष्पादित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त करने के लिए शासन को पत्र दिया गया है। दिनांक 21.02.1997 व 03.03.1997 को प्रतिवादी संख्या 2 ने गलत सूचना इस आशय का निकाला कि पांच वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद जो आवन्टी भवन निर्माण करवा सके हैं उनका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। इस सूचना के बाद वादी के तरफ से यह पत्र लिखा गया है कि वादी के पक्ष में आवंटित भूखण्डों पर वादी का कब्जा दखल है, परन्तु उन पर निर्माण के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन शासन द्वारा तभी प्राप्त होता है जब नक्शा स्वीकृत हो। नक्शा सेल डीड निष्पादित होने के बाद ही बन सकेगा। प्रतिवादी संख्या 2 ने गलत प्रक्रिया अपनाते हुए अपने मेली मद्दगार को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए एक 28.11.1998 को यह सूचना निकाला कि प्रतिवादी के पक्ष में किया था। आवंटन को नागरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति में दिनांक 14.07.1997 को प्रस्ताव पारित करके आवंटन निरस्त कर दिया। उक्त सूचना के बाद जिलाधिकारी देवरिया ने मामले को बहुत ही गम्भीरता से लिया क्योंकि

वह नागरीय समन्वय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। इस प्रकरण की जांच तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा करवायी गयी, जिसकी जांच अपर जिलाधिकारी बंसन्त लाल ने किया। जांच में यह तथ्य आया कि कोरम के अभाव में 14.07.1997 को बैठक सम्पन्न नहीं हुए तथा स्थगित कर दी गयी तथा उसमें आवंटन निरस्त करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। जांच आख्या आने के बाद जिलाधिकारी ने सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास लखनऊ को 16.01.1999 को पत्र लिखा कि नगर पालिका अध्यक्ष देवरिया ने गलत प्रक्रिया सुनियोजित साजिश के तहत समस्त वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करके पूर्व आवंटियों का भूखण्ड का आवंटन निरस्त करके अपने चाहतों को आवंटन करना चाहते हैं। जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय से अथवा शासन स्तर से कोई आदेश इस सम्बन्ध में पारित नहीं हो जाता है। अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम शाखा देवरिया भी नगरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का सदस्य है। उसके उपस्थिति में दिनांक 14. 07.1997 को आवंटन निरस्तीकरण का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने अपनी नजदीकी व्यक्तियों को लाभ पहुचाने के लिए एक कूटरचित प्रस्ताव की याचना किया जो विधि विरूद्ध है तथा उसका कोई प्रभाव प्रतिवादी के भूखण्डों के आवंटन पर नहीं पड़ता है। प्रतिवादी की ओर से एक रिट याचिका संख्या 12828/1999 माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के आदेश दिनांकित 28.11.1998 को क्रियान्वयन स्थगित कर दिया। वादीगण उपस्थित हुए तथा गुणदोष पर सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि रिट याचिका के तथ्य फेक्ट के बिन्दु सम्मिलित है इसलिए सक्षम न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद वाद संख्या 406/2007 दाखिल किया गया । वादिनी संख्या 1 गीता देवी, का कोई कब्जा दखल भूखण्ड संख्या 242 पर न कब्जा दखल रहा है और न है। वादिनी संख्या 2, वादिनी संख्या 3 व 4 का कोई कब्जा दखल भूखण्ड संख्या 241, 272, 271 पर कभी कोई कब्जा दखल न हुआ और न उसके स्वामी हैं। उक्त सभी भूखण्डों पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा दखल है, जिनकी जानकारी वादीगण को है। कौशल कुमार सिंह के पक्ष में कोई विधिक आवंटन भूखण्ड संख्या 370 एवं 349 का नहीं हुआ और न ही उनका कब्जा दखल है। जिलाधिकारी के पत्र दिनांकित 13.12.1998 के आधार पर वादीगण कब्जा प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो सके। वादीगण के नक्शा पास होने की कोई जानकारी प्रतिवादी को नहीं है। वादीगण ने जल निगम एवं नगर पालिका परिषद देवरिया से जल आपूर्ति हेतु कोई कनेक्शन नहीं लिया है। दिनांक 15.07.1997 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में भूखण्डों का आवंटन कभी निरस्त नहीं किया गया। जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी जांच आंख्या से स्पष्ट है कि बैठक कोरम के अभाव में नहीं हुई न तो आवंटन निरस्त करने का कोई प्रस्ताव पारित किया गया है। विवादित भूखण्डों पर वादीगण का कभी कब्जा है न रहा है, बल्कि विवादित भूखण्डों पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा दखल चला आ रहा है। उल्लेखनीय है कि दौरान दावा प्रतिवादी के साक्षी श्री जितेन्द्र सिंह के माध्यम से प्रतिवादी को यह जानकारी हुई है कि नगर पालिका परिषद देवरिया के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शिव हरि सिंह द्वारा जारी किये गए सही एवं

वास्तविक पत्र पत्रांक 383/97–98 दिनांकित 07 जुलाई 1997 को दिखाते हुए उसी पत्रांक से जाली एवं फर्जी पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा जारी किया जाना जाहिर किया गया, जिससे कि प्रतिवादी को गम्भीर छति पहुंचाई जा सके। ऐसी स्थिति में तथाकथित पत्र दिनांकित 07, जुलाई 1997 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया जाली फर्जी तथा नुमाईशी है तथा उसके आधार पर आवंटन निरस्तीकरण की सारी कार्यवाही अवैध है, जो भूखण्ड प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित किये गये थे, वे उन पर अध्यासित हैं।

08. प्रतिवादी 2 अध्यक्ष नगरपालिका परिषद देवरिया व प्रतिवादी 3 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा जवाबदेही कागज संख्या–45क दाखिल कर कथन किया गया है कि वाद–पत्र के धारा 1 से 19 को इन्कार कर एवं धारा 20 को स्वीकार कर विशेष कथन में कहा गया है कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल व पैदा नहीं है। उत्तर प्रदेश संगठित विकास योजना द्वारा पुरोनिधानित व विकसित भुजौली रोड आवासीय योजना नगर पालिका परिषद देवरिया प्रतिवादीगण द्वारा प्रारम्भ किया गया है जिसके कुछ नियम एवं उपनियम भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये हैं। उक्त योजना को क्रियान्वित करने हेतु एक समिति चयनित नगरों में स्थानीय स्तर पर गठित नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति में दिये गये बाइलाज के अनुसार बनायी गयी। उक्त समिति के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी देवरिया है। उक्त योजना के अन्तर्गत उच्च आयवर्ग के भूखण्ड संख्या 241, 242, 360, 361, 362 ,363, 364 एवं मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड संख्या 347, 348, 349, 368, 370, 371, 372, 375, 376 व 279 कुल मिलाकर 17 भूखण्डों का आवंटन आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कालोनी में वर्ष 1986 में नगर पालिका के आदेश दिनांक 13.03.1986 द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में आवंटित किया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिये पत्र दिनांक 25.08.86 के क्रम में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 01.09.86/4.09.86 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में आवंटित 17 प्लाटों को हस्तान्तरित कर दिया गया। योजना में दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुसार ही पक्षकारों को विनियमित होना था किसी भी नियम अथवा उप नियम का किसी पक्ष द्वारा उल्लंघन करने पर समिति को आवंटन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार था। योजना में एक नियम यह भी था कि खासकर खाली भूखण्डों की प्रविष्टि की लीज डीड की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि से 5 साल के अन्दर समिति द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार मकान निर्मित करा लेना होगा अन्यथा भूखण्ड समिति द्वारा वापस लिया जा सकता है। पांच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के काफी दिनों यानि कि 10–12 वर्ष तक प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्माण नहीं किया गया तो तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया एवं समिति के 14.07.1997 के प्रस्ताव के अनुसार आवंटन को निरस्त कर दिया गया। पुनः आवंटन हेतु तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद देवरिया अपने स्तर से नये सिरे से स्वतन्त्र भारत, दिन सोमवार 01.11.1997 के अखबार में प्रकाशन भी कराया गया। उक्त 17 प्लाटों के उच्च आय वर्ग के भूखण्ड संख्या 241, 242, 347, 348, 349, 369, 370, 371 व 372 कमशः श्रीमती विद्या देवी, श्रीमती गीता देवी, तथा मध्यम आय वर्ग के जितेन्द्र सिंह, सुग्रीव सिह, कौशल कुमार सिंह, श्रीमती पार्वती देवी, श्री ब्रम्हेश्वर दत्त, प्रवीण कुमार, राकेश कुमार एवं अन्य प्लाटों को भी अन्य लोगों के पक्ष में तत्कालीन अध्य

क्ष द्वारा आवंटित कर दिया गया। प्रस्तुत मुकदमें के अलावा एक अन्य वाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 406/07 अधिशासी अभियन्ता जल निगम बनाम नगर पालिका परिषद एवं वादीगण एवं अन्य न्यायालय में दाखिल किया है। चूँकि प्रस्तुत दोनों वाद अपने अपने स्वत्व को लेकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए अन्तिम माननीय न्यायालय से उक्त दोनों वादों की अन्तिम निर्णय आने पर अथवा कार्यवाही के दौरान कोई आदेश निर्गत होने पर नगर पालिका परिषद देवरिया प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आदेश के समादर में अन्तिम/वादकालीन कार्यवाही की जायेगी। अब तक कोई लीज डीड अथवा सेलडीड तहरीर नहीं कराया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा वाद को खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

09. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालाय द्वारा दिनांक 20.07.2009 को निम्नलिखित वाद–बिन्दु विरचित किए गये हैं:–

01– क्या वादीगण 1 लगायत 6 वादपत्र में अभिकथित आधारों पर क्रमशः विवादित भूखण्ड सं0 242, 241, 372, 371, 349, 370 एम०आई०जी० के मालिक एवं काबिज दखील है?

02– क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

03– क्या दावा वादीगण धारा 326 न०पा० एक्ट से बाधित है?

04– क्या दावा वादीगण धारा 17 एवं धारा 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट से बाधित है ?

05– क्या प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है ?

06– क्या प्रस्तुत वाद में विवन्धन के सिद्धान्तों की बाधा है ?

07– क्या प्रस्तुत वाद में मौन सहमति की बाधा है ?

08– क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी है ?

10. संक्षेप में अपील संख्या 18/2022 को उत्पन्न करने वाले तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद संख्या 406/2007 अधिशासी अभियन्ता प्रथम अस्थाई निर्माण खण्ड उ०प्र० जल निगम बनाम नगर पालिका परिषद देवरिया आदि में वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि उ०प्र० जल निगम की एक शाखा देवरिया में कायम है जो प्रथम अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम के नाम से जाना जाता है। जो एक लिगल बाड़ी है। जिसके कार्य का संचालन अधिशासी अभियन्ता द्वारा होता है। यह वाद उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नगर पालिका परिषद देवरिया भुजौली आवासीय योजना (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर) प्रारम्भ किया जिसके लिए उसने बाइलाज का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनायी गयी नगरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के आधार पर बनाया। जिसमें नगर विकास के लिए कुछ नियम एवं उपनियम बनाये गये। उक्त योजना के तहत वादी को 17 प्लाट का एलाटमेन्ट प्रतिवादी नगर पालिका परिषद ने आदेश दिनांक 13.03.1986 के आधार पर किया जिसकी धनराशि रू0 6.94 लाख दिनांक 10.04.1986 को प्रतिवादी सं0–1 के खाते में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया देवरिया के यहां जमा कर उसकी रसीदे दे दी गयी तथा जमा धनराशि की सूचना वादी द्वारा नगर पालिका परिषद को दिनांक 10.09.1986 को दे दिया गया जो उन्हें प्राप्त हो गया। वह प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष के खाता में जमा है। दिनांक 25.08.1986 को वादी द्वारा नगर पालिका परिषद को यह

पत्र लिखा गया कि जो प्लाट वादी को एलाट किये गये है उनको अलग–अलग करवा दिया जाय जिससे उसकी बहारदीवारी बनवायी जा सके तथा प्लाटो का हस्तान्तरण करवा दिया जाये। उक्त पत्र प्राप्त हो जाने के बाद नगर पालिका परिषद के सहायक अभियन्ता ने दिनांक 01.09.1986 को 17 प्लाटो के हस्तान्तरण हेतु लिखा तथा उस पर वादी कब्जा–दखल करवा दिया। एलाटमेन्ट किये प्लाटो को लीज करने के लिए नगर पालिका परिषद ने एक समाचार प्रकाशित किया कि आवासीय भूखण्डो के पंजीयन की तिथि जिलाधिकारी/अनुश्रवण समिति द्वारा 15.09.1984 तक बढ़ा दी गयी है तथा आवासीय भूखण्डों का कोई किराया नहीं लिया जायेगा। आवासीयत भूखण्डो का पूर्णतया हस्तान्तरण आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। दिनांक 24.01.1992 को नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रामायण राव द्वारा दैनिक जागरण समाचार पत्र में यह प्रकाशन करवाया गया कि भूखण्डो को मात्र लीज होगी और सभी विधिक औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के बाद लीज डीड निष्पादित कर दिया जायेगा। जो आवन्टी दिनांक 15.02.1992 तक लीज डीड की कार्यवाही पूर्ण नहीं करवायेंगे तो उनका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त सूचना की चुनौती माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0–5305/1992 के द्वारा कल्याण समिति के सचिव श्री भरत कुमार पाण्डेय द्वारा की गयी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सूचना की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित उक्त रिट याचिका में नगर पालिका परिषद देवरिया के तरफ से एक शपथ–पत्र इस आशय का दाखिल किया गया कि नगर पालिका परिषद ने यह निर्णय लिया है कि मात्र सम्बन्धित सभी आवंटियों को विक्रय प्रपत्र सेल डीड निष्पादित किया जायेगा। शपथ–पत्र प्रस्तुत हो जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका के मानते हुए निस्तारित कर दिया तथा यह विचार व्यक्त किया कि नगर पालिका परिषद बैनामा का निष्पादन करे। इस आधार पर उक्त रिट याचिका निस्तारित कर दी गयी। उक्त रिट याचिका के निर्णय हो जाने के बाद दिनांक 20.10.1988 को नगर पालिका परिषद के कल्याण समिति के सचिव ने अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए पत्र लिखा जिसके उत्तर में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष डा० शिवहरि सिंह ने दिनांक 26.10.1998 को पत्र द्वारा सूचित किया कि शासन की अनुमति के बिना विक्रय विलेख या किसी प्रकार का हस्तान्तरण करने का अधिकार नगर पालिका परिषद को नही है। विक्रय विलेख निष्पादित करने का निर्णय नगर पालिका परिषद द्वारा लिया गया है जिसके सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को पत्र भेजा गया है। शासन से अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद ही विधिक व्यवस्था के अनुसार विक्रय विलेख निष्पादित/पंजीकृत किया जायेगा। उक्त याचिका के दाखिल रहने के दौरान ही दिनांक 21.02.97 एवं दिनांक 03.03.97 को नगर पालिका परिषद द्वारा यह सूचना निकाली गयी कि पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद जो आवंटी भवन निर्माण नहीं करवा सके है उनके भूखण्डो का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 09.11.98 को यह पत्र लिखा गया कि आपके द्वारा आवंटित भूखण्डों पर मेरा कब्जा दखल हो गया है उसके बाउन्ड्री का निर्माण भी करवा दिया गया है तथा उसमें वादी के समान आदि रखे गये है। भवन निर्माण के लिए नक्शा बनवाया जाना आवश्यक है। नक्शा की

कार्यवाही लीज डीड/सेल डीड के निष्पादन के बाद ही सम्पन्न हो सकेगा परन्तु इस दिशा में आप द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लीज डीड/सेल डीड आप 15 दिन के भीतर निष्पादित करवा देवे जिसके आधार पर भवन निर्माण करवाने के लिए नक्शा पास करवाया जा सके तथा उसके बाद भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके। नक्शा स्वीकृत हो जाने के बाद ही भवन निर्माण के लिए धन का आवंटन शासन द्वारा संभव होता है। धन की स्वीकृति भूखण्ड के लीज डीड/सेल डीड के पंजीयन के बाद ही संभव हो सकता है परन्तु नगर पालिका परिषद ने लीज डीड/सेल डीड की कार्यवाही करने के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया न कोई प्रयास प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा किया गया। जबकि वादी लीज डीड/सेल डीड करवाने के लिए बार–बार निवेदन करता रहा तथा आज भी तैयार है। उक्त आवासीय योजना के नियमों में यह उपबन्धित किया गया है कि लीज डीड/सेल डीड के निष्पादित हो जाने के पांच वर्ष के भीतर भवन का निर्माण आवंटित भूखण्ड पर पूर्ण हो जाना चाहिए। यह अवधि लीज डीड/सेल डीड के निष्पादित होने के बाद ही प्रारम्भ होती है। दिनांक 28.11.1998 को नगर पालिका परिषद ने वादी को यह सूचित किया कि वादी के पक्ष में 17 भूखण्डों का निरस्तीकरण का प्रस्ताव दिनांक 14.07.1997 के आधार पर किया गया है उन्हे निरस्त कर दिया गया है, निरस्तीकरण की सूचना के पूर्व वादी को कोई सूचना नहीं दी गयी न तो वादी के प्रयास के बावजूद लीज डीड/सेल डीड ही प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा निष्पादन किया गया। इसलिए उसकी कोई पावन्दी वादी पर नहीं है न तो निरस्तीकरण के पूर्व वादी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। निस्स्तीकरण की कार्यवाही विधि के प्रतिकूल की गयी। वादी इस तथ्य को स्पष्ट कर देना चाहता है कि वादी नगरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का सदस्य है। दिनांक 14.07.1997 की बैठक में भूखण्ड के निरस्तीकरण का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। बल्कि तत्कालीन अध्यक्ष शिवहरि सिंह ने अपने नीजी लाभ के लिए प्रस्ताव की सूचना को कूटरचित किया। जो शून्य का प्रमाण रखता है। दिनांक 14.07.1997 की मीटिंग में जिलाधिकारी जो समिति के अध्यक्ष होते है, उपस्थित नहीं थे, इसी कोरम के अभाव के कारण बैठक सफल नहीं हो सकी। अध्यक्ष का उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के पक्ष में जो गलत एवं कूटरचित आवंटन किया गया है उसका स्थगन जिला मजिस्ट्रेट ने कर दिया तथा जिला मजिस्ट्रेट देवरिया ने प्रतिवादी सं0–2 को प्रतिपक्ष द्वितीय पक्ष के पक्ष में किये गये अवैध आवंटन की जांच प्रारम्भ करने का आदेश दिनांक 05.12. 1998 को दिया तथा शासन से आने वाले निर्णय तक वादी का कब्जा दखल मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। वादी ने बार–बार वैनामा करने का निवेदन प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष किया परन्तु प्रतिवादी सं0–1 ने कोई विचार नहीं किया जबकि उसने दिनांक 30.03.2002 अरूण कुमार बर्नवाल एवं विनोद कुमार बरनवाल के पक्ष में किया जिसका आवंटन सन् 1986 में हुआ था। उसका निरस्तीकरण भी प्रतिवादी सं0–1 ने किया परन्तु बाद में उसका बैनामा भी मूल आवंटी अरूण कुमार बरनवाल एवं विनोद कुमार बरनवाल को कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अपर जिलाधिकारी देवरिया द्वारा जांच की गयी तथा यह पाया गया कि दिनांक 14.07.1997 को वादी के पक्ष में किये गये भूखण्डों के आवंटन को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया

गया। इसकी सूचना शासन को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गयी। वादी को प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा एम०आई०जी० जिसके भूखण्ड सं0–347, 348, 349, 369, 370, 371, 372, 375, 376, 379 एवं ए०आई०जी० भूखण्ड सं0–241, 242, 360, 361, 362, 363, 364 का आवंटन किया गया है जिसका वादी ने 6.94 लाख रू० जमा कर दिया तथा उपरोक्त सभी भूखण्डों को बाउन्ड्रीवाल गेट बनाकर कब्जा लिया है तथा अस्थायी रूप से कमरों का निर्माण किया है जिस पर आज भी वादी काबिज है। उपरोक्त भूखण्डों का ही विवाद इस मुकदमा में है जिन्हे विवादित भूखण्ड से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त भूखण्डो को प्रस्तुत वाद में विवादित भूखण्ड से सम्बोधित किया गया है उसका गृह एवं जलकर मु0 2000:00–2000:00 रु० गलत ढंग से प्रतिवादी सं0–1 ने वादी पर सन् 1998 में लगाया है तथा वर्ष 2003–04 में भी मु0–2250–2250 रू० लगाने का प्रस्तात भी दिया है जिसका वाद विचाराधीन है। प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष का कोई कब्जा दखल विवादित भूखण्डों पर नहीं है। प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष नगर पलिका परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष के करीबी व्यक्ति है। वादी के विपक्ष में पारित तथाकथित अवैध एवं निष्प्रभावी निरस्तीकरण आदेश जब पारित किया था उससे क्षुब्ध होकर वादी ने कानूनी राय के मुताबिक एक रिट याचिका सं0–12828/99 अधिशासी अभियन्ता बनाम उ०प्र० सरकार एवं अन्य दाखिल किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश वादी के पक्ष में पारित किया। गुण–दोष पर करने का आदेश दिया है जिसके आधार पर यह मुकदमा दाखिल किया गया है। चूंकि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित था। इसलिए इसमें व्यतीत हुई अवधि को मुक्त माना जावेगा। सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल वादी के पक्ष में जो आवंटन हुआ है उसके आधार पर वादी काबिज दाखिल है तथा जो आवंटन निरस्तीरण का आदेश दिनांक 14.07.97 को पारित हुआ कहा जाता है वह विधि विरुद्ध है तथा वादी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है। किसी प्रस्ताव द्वारा पारित नहीं है इसलिए उसका कोई प्रभाव वादी पर नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष से बार–बार निवेदन किया कि वह आवंटित भूखण्डों का लीज डीड/सेल डीड वादी के पक्ष में निष्पादन कर देवे परन्तु वे सुनवा नहीं हुए। गैर कानूनी प्रक्रिया पर जिद्द किये हुए है इसलिए वादी के पास तथाकथित प्रस्ताव को न्यायालय द्वारा निरस्त करवाने के अलावे अन्य कोई विकल्प नही है। प्रतिवादीगण विवादित भूखण्डों से बेदखल है फिर भी स्थानीय राजनीति के आधार पर अवैध तरीका अपना कर विवादित भूखण्डों पर कब्जा करने की धमकी देने एवं उसमें स्थित वादी के निर्माण को तोड़–फोड़ करने की धमकी दे रहे है इसलिए न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रस्तुत वाद का कारण प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा गलत तरीका अपना कर वादी के भूखण्डों का निरस्तीकरण आदेश पारित करने एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा अवैध रूप से धमकी देने के कारण माह मार्च सन् 1999 में देवरिया में उत्पन्न हुआ जिसके लिए वादी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–12828/1999 दाखिल किया परन्तु न्यायमूर्तिगण ने तथ्यों को साक्ष्य से साबित करने की आवश्यकता को देखते हुए सिविल न्यायालय में मुकद्दमा दाखिल करने का आदेश दिनांक

14.08.2007 जिसकी प्रतिलिपि 20.08.2007 को प्राप्त हुई। तदोपरान्त अधिवक्ता एवं विभागीय विधि परामर्शदाता के राय के अनुसार यह वाद प्रस्तुत है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद संख्या 406/2007 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने लिखित उत्तर में वादपत्र के प्रस्तर संख्या 1 ता 25 को स्वीकार नहीं किया गया है तथा अतिरिक्त कथन में यह कहा गया है कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई वाद कारण हासिल व पैदा नही है। दावा वादीगण मात्र इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। श्रीमती विद्या देवी व कौशाल कुमार सिंह आपस में पति पत्नि है। उ०प्र० संगठित नगर विकास योजना द्वारा पुरोनिर्धारित व विकसित भुजौली रोड आवासीय योजना (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल) नगर नगर पालिका परिषद देवरिया, प्रतिवादीगण द्वारा प्रारम्भ किया गया जिसके कुछ नियम एवं उपनियमो भी उ०प्र० सरकार सरकार द्वारा बनाये गये। उक्त योजना का तात्पर्य उ०प्र० में भारत सरकार द्वारा पुरोनिर्धारित छोटे तथा मध्यम नगरो के लिये की जा रही योजना से है। जिसमे देवरिया नगर का विकास योजना भी सम्मिलित है। उक्त योजना को क्रियान्वित करने हेतु एक समिति चयनित नगरो में स्थानीय स्तर पर गठित नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिये गये वाइलाज के अनुसार वनाई गयी है। उक्त समिति के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी देवरिया है। उक्त योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के भूखण्ड सं 241, 242, 360, 361, 362, 363, 364, एवं मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड सं०–347, 348, 349, 369, 370, 371, 372, 375, 376, व 279 मिलाकर 17 भूखण्डो का आवेदन आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कालोनी में वर्ष 1986 मे नगर पालिका के आदेश दिनांक 13–3–86 द्वारा प्रतिपादीगण के पक्ष में ऑवटित किया। प्रतिवादी सं०–1 द्वारा दिये गये पत्र दिनाक 25–8–86 के क्रम में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 1–9–86/ 4–9–86 द्वारा प्रतिपादी सं०–1 के पक्ष में आवंटित 17 प्लाटो को हस्तान्तरित कर दिया गया। योजना में दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुसार ही पक्षकारों को विनियमित होना था। किसी भी नियम अथवा उप–नियम का किसी पक्ष द्वारा उल्लघन करने पर समिति को आवंटन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार था। उक्त योजना मे एक नियम यह भी था कि खासकर यह कि भूखण्डो की प्रविष्टि की लीज डीड की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि से 5 साल के अन्दर समिति द्वारा अनुमोदित नक्शो के अनुसार मकान निर्मित करा लेना होगा अन्यथा भू–खण्ड समिति द्वारा वापस लिया जा सकता है। पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के काफी दिनो यानि की 10–12 वर्ष तक प्रतिवादी सं–1 द्वारा निर्माण नहीं किया गया तो तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया एवं समिति के 14–7–97 के प्रस्ताव के अनुसार ऑवटंन को निरस्त कर दिया गया तथा पत्रांक मेमो दिनांक 30–7–97 के द्वारा निरस्तीकरण की नोटिस प्रतिवादी सं० 1 के कार्यालय में भेज दी गयी तथा उसका अखवार में प्रकाशन दिनांक 26.07.1997 को राष्ट्रीय सहारा में करा दिया गया। पुनः आवंटन हेतु तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा अपने स्तर से नये सिरे से स्वतन्त्र भारत, दिन सोमवार 1–11–97 के अखवार में प्रकाशन भी कराया गया। उक्त 17 प्लाटो में से उच्च आय वर्ग के भूखण्ड सं0–241 श्रीमती विद्या देवी, 242 श्रीमती गीता देवी तथा मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड संख्या 347 जितेन्द्र सिंह, 348 सुग्रीव सिंह, 349 कौशाल कुमार सिंह, 369 श्रीमती पार्वती देवी, 370 श्री

ब्रम्हेश्वर दत्त, 371 प्रवीण कुमार, 372 राकेश कुमार एवं अन्य प्लाटो को भी अन्य लोगो के पक्ष में तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा ऑवटित कर दिया गया। हरगिज उक्त प्लाटो पर वादी अथवा प्रतिवादी सं०3 से लगायत 13 तक का कब्जा नहीं है बल्कि विवादित प्लाटो पर प्रतिवादी का कब्जा है। प्रस्तुत मुकदमा के पूर्व ही प्रतिवादी सं०–3, 4, 7, 8, 9 व 12 द्वारा एक वाद सं०–388/07 श्रीमती गीता देवी व अन्य बनाम जल निगम आदि जिसमें प्रतिवादीगण पक्ष मुकदमा है। उक्त उ०प्र० मुकदमा विचारण न्यायालय में दाखिल किया है। प्रस्तुत दोनो वाद अपने–2 स्वत को लेकर प्रस्तुत न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिये अन्तिम माननीय न्यायालयो से उक्त दोनो वादो की अन्तिम निर्णय आने पर अथवा कार्यवाही के दौरान कोई आदेश निर्गत होने पर प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आदेश के समादर मे अन्तिम /वाद कालीन कार्यवाही की जायेगी। वादी ने दावा दाखिल करने से पहले धारा– 326 नगर पालिका अधिनियम की नोटिस नही दिया है। दावा वादीगण धारा–326 न०पा० अधि से वाधित है। चूँकि योजना के नियमो के अनुपालन में वादीगण द्वारा भी कराया है। इसलिये अब तक कोई लीज डीड अथवा सेल डीड ही तहरीर नहीं कराया है। इसलिए दावा वादी स्वत्पहीन होने के कारण धारा–17 एवं धारा–49 रजिस्ट्रेशन एक्ट से बाधित है। दावा वादी विवन्धन एवं मौन सहमति के सिद्धान्तो से वाधित है। दावा वादी हर तरह से निरस्त होने योग्य है।

12. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद संख्या 406/2007 में प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा अपने लिखित उत्तर में वादपत्र के प्रस्तर संख्या 1 व 2 को स्वीकार किया गया है तथा प्रस्तर 3 ता 23 को इन्कार करते हुए अपने विशेष कथन में यह कहा गया है कि वादी को प्रस्तुत वाद संस्थित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत वाद मिथ्या कथनों पर दाखिल किया गया है। वादपत्र के पैरा 3 में किया गया अभिकथन विधानतः सही नहीं है। प्रतिवादिनी को दिनांक 03.09.1998 को भूखण्ड संख्या 369 प्राप्त हुआ तथा उस पर अध्यासन दिनांक 03.09.98 को अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रतिवादिनी ने उक्त भूखण्ड को पक्के ईट के चार दीवारी कायम किया है। उक्त भूखण्ड में प्रतिवादिनी का पाइप एवं कुछ ईट भी रखा हुआ है। वादी के पक्ष में स्वीकृत भूखण्डों का आवंटन कराने के उपरान्त अध्यासन वादी को नहीं हुआ न तो उक्त भूखण्डों का चहारदीवारी कराया गया तथाकथित आवंटन की तिथि दिनांक 13.03.1986 के वर्षों उपरान्त वादी द्वारा विवादित भूखण्डों पर न तो अध्यासन किया गया न तो उक्त भूर्वएडों में किसी प्रकार का निर्माण किया गया है। भूखण्ड संख्या 369 एम आई जी स्कीम के तहत दिनांक 03.09.1998 को अध्यासन अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में प्राप्त हो गया है तथा उक्त भूखण्ड संख्या 369 एम आई जी में निर्माण हेतु विनियमित क्षेत्र नियत प्राधिकारी देवरिया द्वारा मानचित्र दिनांक 30.10.99 को स्वीकृत किया गया जिसका नवीनीकरण कमशः दिनांक 30.10.02 तथा 27.08.07 को सुनिश्चित किया गया है। उक्त भूखण्ड के अलावा अन्य भूखण्ड के सम्बन्ध में वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या 12828/1999 योजित किया गया जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा प्रति शपथपत्र दाखिल किया गया। कालान्तर में पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा बहस के पश्चात माननीय

उच्च न्यायलय इलाहाबाद में अपने आदेश दिनांक 14.08.2007 द्वारा आदेश पारित किया। वादी के पक्ष में किया गया आवंटन नियमानुसार न होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आरोपित शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त निरस्त कर दिया गया है। वादी से प्रतिवादिनी के भूखण्ड से कोई वास्ता सरोकार न कभी रहा है न है। पात्रता के आधार पर प्रतिवादिनी को उक्त भूखण्ड प्राप्त हुआ है। प्रतिवादिनी ने प्रतिवादी संख्या 1 नगरपालिका परिषद देवरिया से जलकल कनेक्शन वांक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करके प्राप्त किया है तथा अपने भूखण्डों को पक्के ईंट की चहारदीवारी कायम करके अध्यासित है। आवंटन प्रस्ताव दिनांक 14.07.97 नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करके पारित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पारित करने में कोई त्रुटि नहीं किया गया है। प्रतिवादिनी संख्या 6 द्वारा वादपत्र को निरस्त करने की याचना की गयी है।

13. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद संख्या 406/2007 में प्रतिवादी संख्या 3, 4, 7, 8, 9 व 12 द्वारा लिखित उत्तर 22क प्रस्तुत कर वाद पत्र की धारा 1, 2, 3, 6, 7 व 8 पर कोई टिप्पणी न करते हुए वाद पत्र की धारा 9 ता 23 को इन्कार करते हुए अपने विशेष कथन में यह कहा गया है कि वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई स्वत्व व अधिकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध उत्पम्न व प्राप्त नहीं है। दावा वादी केवल इसी आधार पर निरस्त योग्य है। वादी द्वारा लिखित बातें दिनांक 09.11.1998 का यह कथन कि आपके द्वारा आवंटित भूखण्ड पर मेरा कब्जा दखल हो गया है तथा बाउन्ड्री का निर्माण करा दिया गया है तथा वादी के समान आदि रखे गये है। भवन के निर्माण हेतु नक्शा बनवाया जाना आवश्यक है तथा नक्शा की कार्यवाही, सेल डीड के निष्पादन के बाद ही हो सकेगा। विलकुल गलत एवं वास्तविकता के विपरीत है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया के आवंटियों ने नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा दिये गये कब्जा प्रमाण–पत्र के आधार पर अपना नक्शा स्वीकृत कराया तथा भवन का निर्माण कराया है। नक्शा स्वीकृत होने के लिए सेल डीड या लीज डीड की कोई आवश्यकता नहीं थी। विक्रय विलेख या लीज डीड निष्पादित कराने के लिए किसी न्यायालय द्वारा, नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी और न ही नक्शा स्वीकृत कराने हेतु विक्रय विलेख या पट्टा विलेख के सम्बन्ध में कोई निर्देश था। वादी द्वारा पत्र सं0–722/एम–2/2 दिनांक 26.02.1997 और दिनांक 10.03.1997 द्वारा नगर पालिका देवरिया को सूचित किया गया कि शासन में पत्राचार किया जा रहा है, धन प्राप्त होने पर निर्माण कराया जायेगा, जिससे स्पष्ट है कि वादी के निर्माण नहीं कराने के कारण आवंटित भूखण्डों के निरस्तीकरण की पर्याप्त सूचना हुई और उन्होने भविष्य में निर्माण करने हेतु समय भी चाहा। सूचना पत्र दिनांक 09.11.1998 से सिद्ध है तथा वादी के कथन की असत्यता भी स्पष्ट है। वादी ने विवादित भूखण्डों का आवंटन कराने के पश्चात कब्जा–दखल नहीं किया और न ही किसी चहारदीवारी का निर्माण कराया गया। आवंटन की तिथि दिनांक 13.03.1986 के 11 वर्षों पश्चात तक वादी द्वारा विवादित भूखण्डों में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं कराने के कारण नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति देवरिया द्वारा वादी का आवंटन नियमानुसार वादी को सूचित करने के उपरान्त निरस्त कर दिया गया। वादी ने अपने वाद पत्र की धारा–10 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दिनांक 21.02.1997 एवं दिनांक

03.03.1997 द्वारा विवादित भूखण्डो के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में सूचना निर्गत की गयी। माननीय उच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका सं0–5305/92 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर कल्याण समिति बनाम नगर पालिका परिषद आदि में वादी पक्ष नहीं था तथा उक्त याचिका में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.02.1992 द्वारा संलग्नक 9 प्रकाशन का क्रियान्वयन रिट के याची से सम्बन्धित स्थगित किया गया था। उक्त प्रकाशन में मात्र लीज डीड निष्पादित नहीं कराने पर आवंटन निरस्त कराने की सूचना थी। उक्त प्रकाशन में नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा कार्य नहीं कराने के सम्बन्ध में कोई सूचना या आदेश निर्गत नहीं था। इस प्रकार आवंटी द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराने के कारण नगर पालिका परिषद देवरिया/नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति देवरिया को आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार था तथा माननीय उच्च न्यायालय में इस सम्बन्ध में न तो कोई प्रकरण विचाराधीन था और न कोई स्थगन पारित था। वादी का यह कथन कि भवन निर्माण की अवधि सेल डीड या लीज डीड के निष्पादन के बाद ही होती है, बिलकुल गलत एवं वास्तविकता से परे है। वास्तविकता यह है कि भूखण्डो के लीज डीड सम्पादित कराने हेतु नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा वादी को बार–बार सूचना दी जाती रहीं लेकिन वादी ने जानबूझकर लीज डीड निष्पादित नहीं कराया और न ही विवादित भूखण्डों पर कब्जा दखल ही प्राप्त किया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया के करीब 600 भूखण्ड भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को आवंटित्त किये गये थे, जिसमें से मात्र 50 आवंटियों द्वारा अपने भूखण्ड पर निर्माण कार्य आवंटन के तिथि से लगभग 11–12 वर्ष तक नहीं कराया गया तथा शेष 550 आवंटियों द्वारा अपने भूखण्डों में भवन निर्माण, नक्शा स्वीकृत कराकर करा लिया गया। जिससे स्पष्ट है कि नक्शा स्वीकृति एवं भवन निर्माण हेतु लीज डीड या सेल डीड के निष्पादन की कोई आवश्यकता नहीं थी। वादी का यह कथन कि लीज डीड व सेल डीड के निष्पादन होने के पांच वर्ष के भीतर भवन का निर्माण आवंटी द्वारा कराया जाना चाहिए, सही नहीं है। इसके अतिरिक्त वादी के कथन से स्पष्ट है कि वादी को लीज डीड निष्पादित कराने हेतु नगर पालिका परिषद द्वारा अनेक सूचनाएं दी गयी है। दिनांक 14.07.1997 की बैठक एवं प्रस्ताव के सम्बन्ध में वादी द्वारा किया गया कथन बिलकुल गलत है। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 14.07.1997 के पूर्व वादी को नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा भूखण्डो के निरस्तीकरण की सूचना पत्र सं0–6, 7 दिनांक 21.02.1997 एवं पत्र सं0–25, 10, 24, 13, 12, 11, 09, 10, 19/97 दिनांक 03.03.1997 द्वारा सूचित किया गया था। वादी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया को पत्र दिनांक 09.11.98 द्वारा उपरोक्त पत्रों के सम्बन्ध में अपनी स्वीकारोक्ति किया है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि वादी नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का सदस्य है जिसे वादी ने वाद पत्र के प्रस्तर 14 में स्वीकार किया है। दिनांक 14.07.1997 की बैठक जिसमें विवादित भूखण्डों एवं अन्य भूखण्डों के आवंटन के निरस्तीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ। उक्त बैठक में वादी उ०प्र० जल निगम शाखा देवरिया के प्रतिनिधि उनके विचारण अभियन्ता मौजूद थे तथा उनकी उपस्थिति में भूखण्डों के आवंटन के निरस्तीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रकार वादी को भूखण्डों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रहीं है तथा उक्त प्रस्ताव दिनांक 14.07.1997

की पूर्ण पाबन्दी वादी पर है। उक्त प्रस्ताव दिनांक 14.07.1997 में वादी के स्वयं उपस्थित रहने के सम्बन्ध में गलत ढंग से अनभिज्ञता प्रकट करने पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पत्रांक सं0–125/एल.बी.सी.–98 दिनांक 21.12.1998 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया। वादी का यह कथन कि जिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं। तथा उपस्थित नहीं थे और इसी कोरम के अभाव के कारण बैठक सफल नही हो सकी, बिलकुल गलत है। वास्तविकता यह है कि तत्कालीन समय में नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया थे तथा उनकी अध्यक्षता में दिनांक 14.07.1997 की बैठक सम्पन्न हुई तथा कोरम पूर्ण था और वादी के प्रतिनिधि के पूर्ण जानकारी में निरस्तीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ। वादी का यह कथन कि वादी के बार–बार अनुरोध पर प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा बैनामा करने पर विचार नहीं किय गया, सहीं प्रतीत नहीं होता है। नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा यदि पूर्व आवंटी अरूण कुमार बर्नवाल एवं विनोद कुमार बर्नवाल के पक्ष में आवंटन निरस्त करने के पश्चात विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था तो वह कानून व नियमों के विपरीत है । माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–30593/98 में पारित स्थगन आदेश का उल्लंघन एवं अवमानना करके किया गया है। उक्त विक्रय विलेख शून्य एवं निष्प्रभावी है जिसकी कोई पाबन्दी एवं प्रभाव प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष पर नहीं है। उक्त विक्रय विलेख के मंसूखी हेतु वाद सं0–623/02 सुबाष बनाम अरूण न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश (जू०डि०) कक्ष सं0–12, देवरिया में विचाराधीन है। श्री रामायण राव पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया विनोद एवं अरूण के साजिश एवं कुप्रभाव में थे जब वे अध्यक्ष नगर पालिका नहीं थे, दिनांक 06.12.1998 को बिना किसी अधिकार के विनोद एवं अरूण के सम्बन्धित भूखण्ड पर अध्यासन का प्रमाण–पत्र जारी किये थे इससे यह स्पष्ट है कि श्री रामायण राव तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा किया गया विक्रय विलेख साजिश एवं कुप्रभाव में किया गया है जिसका किसी प्रकार का प्रभाव प्रस्तुत वाद पर नहीं है अलावा इसके तत्कालीन अध्यक्ष श्री रामायण राव द्वारा ही पुनरावंटी शान्ति पुत्र सुबेदार के पक्ष में दिनांक 11.12.2003 को विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है। इस प्रकार पुनरावंटन नियमानुसार होना सिद्ध है । वादी का दिनांक 28.11.1998 की सूचना के सम्बन्ध में दिया गया कथन बिलकुल गलत है। वास्तविकता यह है कि नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा पत्रांक–688/ नि.वि./98–99 दिनांक 28.11.1998 द्वारा यह सूचित किया गया कि आपके सभी भूखण्डो के आवंटन का निरस्तीकरण किया जा चुका है. इस कारण आपके पत्र दिनांक 09.11.1998 के सम्बन्ध में आवंटित भूखण्डों का लीज डीड या सेल डीड किया जाना संभव नहीं है तथा उच्च आय वर्ग के भूखण्ड सं0–241 श्रीमती विद्या देवी, 242 श्रीमती गीता देवी तथा मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड सं0–349 श्री कौशल किशोर, 370 श्री बहमेश्वर दत्त आदि को आवंटित करके कब्जा दिया जा चुका है। उच्च आय वर्ग के भूखण्ड सं०–360, 361, 362, 363, 364 एवं मध्यम आय वर्ग के 375, 376 और 379 को भी निरस्त कर दिया गया है लेकिन उस पर आप द्वारा पाईप आदि रखा गया है उसे हटा ले जिससे उक्त भूखण्ड आवंटित किया जा सके तथा आप द्वारा 17 भूखण्डों के लिए जो धनराशि जमा है उसे नियमानुसार प्राप्त कर ले और 30 नवम्बर 1998 को वादी द्वारा उपरोक्त भूखण्ड जिन पर सामान रखे गये थे उन्हे

हटाने के लिए सूचित किया गया। और यह भी सूचित किया गया कि वादी द्वारा नहीं हटाने पर नगर पालिका परिषद स्वयं हटवा देगी। वादी का यह कथन कि प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के पक्ष में जो गलत एवं कूटरचित आवंटन किया गया है उसका स्थगन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कर दिया गया, बिलकुल गलत है। वास्तविकता यह है कि जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा दिनांक 16.01.1999 को यह आदेश पारित किया गया कि आवंटन का निष्पादन न करें तथा मौके पर यथास्थिति बनाये रखे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है और शासन से जांच आख्या की मांग की गयी है। इसी आधार पर आदेश पारित किया गया है लेकिन जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति/नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं आदेश को स्थगित करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहा। शासन द्वारा जिलाधिकारी के उपरोक्त पत्र दिनांक 16.01.1999 के संदर्भ में दिनांक 10.01.2000 को यथाशीघ्र पुनरावंटियों के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये जाने की सूचना दी गयी तथा शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.03.2000 द्वारा पूर्व आवंटन को निरस्त करके पुनरावंटित किये गये 47 भूखण्डों को सेल डीड किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में संगठित विकास योजना के अधिकारी गोरखपुर मण्डलान्तर्गत सहयुक्त नियोजक, से सूचना प्राप्त करके आख्या एवं संस्तुति करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया तथा जिलाधिकारी देवरिया ने संहयुक्त नियोजक गोरखपुर के पत्रांक 760/सं.वि.यो. देवरिया दिनांक 29.01.2000 द्वारा पुनरावंटित भूखण्डों की विस्तृत आख्या प्राप्त करके अपनी आख्या संस्तुति पत्रांक सं0–655/एल. बी.सी. 2000 दिनांक 06.05.2000 द्वारा शासन को भेजी गयी। उक्त आख्या में नये आवंटियों द्वारा भूखण्डों पर कब्जा प्राप्त करके निर्माण कार्य कराने की आख्या प्रस्तुत की गयी तथा नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा भूखण्डों के सम्बनध में की गयी कार्यवाही को निर्देशानुसार एवं नियमों के अन्तर्गत शासन/जनहित को ध्यान में रखकर की गयी है, का आख्या में वर्णन है। इसी आधार पर शासन द्वारा पुनरावंटित 47 भूखण्डों का आवंटन नियमानुसार करके विक्रय विलेख नये आवंटियों के पक्ष में निष्पादित करने का आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–12828/99 में पारित स्थगन आदेश का सम्मान करते हुए याचिका में विवादित भूखण्डों को छोड़कर विक्रय विलेख निष्पादित करने का आदेश पारित है। उक्त रिट याचिका सं0–12828/99 निरस्त हो चुकी है, इस कारण रिट याचिका के विवादित पुनरावंटित भूखण्डों का नये आवंटियों/प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया। जाना नियमानुसार आवश्यक है तथा विवादित भूखण्डों का वादी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त हो जाने के बाद वादी का विवादित भूखण्ड पर किसी प्रकार का स्वामित्व एवं अध्यासन नहीं है। तत्कालीन जिलाधिकारी की विनोद कुमार एवं अरूण कुमार के भूखण्ड के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन को दिनांक 15.01.1999 को आख्या प्रस्तुत की गयी लेकिन रिट याचिका सं0–30593/98 में उक्त रिपोर्ट दिनांक 15.01.1999 याची के पूरक प्रति–शपथ पत्र दिनांक 13.01.1999 के साथ संलग्न की गयी थी। इस प्रकार तत्कालीन जिलाधिकारी का विनोद आदि के कुप्रभाव में होना तथा नियम विरूद्ध कार्यवाही किया जाना प्रगट करता है। रिट याचिका सं0–12828/99 में नगर पालिका

देवरिया द्वारा अपना प्रति–शपथ पत्र दिनांक 07.01.2000 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी जल निगम आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जन कल्याण समिति का सदस्य नहीं है, इस कारण उक्त रिट याचिका में पारित आदेश का कोई लाभवादी जलनिगम को नही मिल सकता है तथा अन्तरिम आदेश में नगर पालिका देवरिया को आवंटित भूखण्डों के निरस्तीकरण करने से मना नहीं किया गया था तथा खाली भूखण्डों का पुनरावंटियों को अंध्यासन दिया जा चुका है तथा जल निगम द्वारा पांच वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य नहीं कराने के कारण उनको सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान करके भूखण्डों का निरस्तीकरण किया गया है। इस आधार पर भी यह सिद्ध है कि विवादित भूखण्ड नियमानुसार प्रतिवादीगण को आवंटित करके उनके भूखण्डों पर कब्जा–दखल कराया जा चुका है। नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा यदि वादी पर गृहकर एवं जलकर वर्ष 1998 में लगाया गया हो तथा 2003–04 में प्रस्ताव किया गया हो तो नगर पालिका परिषद के पत्र दिनांक 28.11.1998 में वर्णित उच्च आय वर्ग के भूखण्ड सं0–360 से 364 तक एवं मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड सं0–375, 376, 379 जिस पर आवंटन निरस्तीकरण के पश्चात भी वादी द्वारा पाइप वगैरह रखकर अवैध कब्जा किया गया है, के सम्बन्ध में है। प्रतिवादीगण ने नगर पलिका परिषद देवरिया से अपने भूखण्डों के लिए जलकल का कनेक्शन लिया है तथा शुल्क जमा कर दिया है तथा निर्माण हेतु नियत प्राधिकारी देवरिया से मानचित्र स्वीकृत कराया है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के कारण मात्र भवन निर्माण नहीं हो पाया लेकिन आवंटन के तत्काल पश्चात प्रतिवादीगण ने अपने–अपने भूखण्डों को चहारदीवारी से घेरवा लिया। वादी का यह कथन कि प्रतिवादीगण का विवादित भूखण्डों पर कब्जा दखल नहीं है तथा नगर पालिका परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डा० शिवहरि सिंह प्रतिवादीगण के करीबी है, बिलकुल गलत है। नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा नियमानुसार प्रतिवादीगण के पक्ष में आवंटन किया गया है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि नगर पालिका परिषद देवरिया की प्रकाशन सूचना स्वतंत्र भारत दिनांक 10.11.1997 की सूचना के अनुसार भूखण्डों के आवंटन हेतु प्रतिवादीगण ने आवेदन दिया जिसे नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा स्वीकार करके प्रतिवादिनी सं०–3 विद्या देवी के पक्ष में उच्च आय वर्ग के भूखण्ड सं0–242 का आवंटन आदेश पारित किया गया व प्रतिवादिनी विद्या देवी द्वारा रू0 1,38,760–00 जमा करने पर कब्जा–दखल करा दिया गया तथा एच.आई.जी. भूखण्ड सं0–241 नगर पालिका परिषद द्वारा गीता देवी प्रतिवादिनी सं0–4 के पक्ष में आवंटित किया गया तथा प्रतिवादिनी गीता द्वारा रू0 1,38,760–00 जमा करने पर कब्जा–दखल करा दिया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0–7 ब्रह्मेश्वर को नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा भूखण्ड सं0–370 एम.आई. जी. आवंटित किया गया तथा प्रतिवादी सं0–7 ने निर्धारित रू0 70,623–00 जमा किया तथा नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा कब्जा दखल करा दिया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी सं०–8 आशा दत्त, 9 मीरा दत्त तथा प्रतिवादी सं0–12 कौशल कुमार को क्रमशः भूखण्ड सं0–372 एम०आई०जी०, 371 एम०आई०जी०, 349 एम०आई०जी० नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा आवंटित किया गया तथा प्रतिवादी सं0–8, 9, 12 द्वारा अपने भूखण्डों का मूल्य जमा करने पर नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा कब्जा दखल करा दिया गया। प्रतिवादीगण ने अपने–अपने भूखण्डों का मूल्य

कुल रू0 3,41,605=00 मात्र 02 एच.आई.जी० एवं 04 एम.आई.जी. भूखण्डों का जमा किया है जबकि वादी द्वारा 10 एम०आई०जी० एवं 7 एच०आई०जी० भूखण्डों का मूल्य रू० 6,94,000=00 जमा करना कथित किया गया। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कथित मूल्य के सापेक्ष लगभग ढाई गुना मूल्य नगर पालिका परिषद को अदा किया गया है। प्रतिवादीगण अपने–अपने भूखण्ड पर बतौर स्वामी काबिज दाखिल है। उक्त भूखण्डों से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध वादी से नहीं है। वादी के पक्ष में किया गया आवंटन प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष एवं नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति द्वारा नियमानुसार वादी को पूर्व सूचना के पश्चात वादी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया है और इस प्रकार वादी का विवादित भूखण्डों में किसी प्रकार का कोई स्वामित्व या अध्यासन नहीं है। प्रतिवादी सं0–3, 4. 7. 8 एवं 9 ने न्यायालय सिविल जज (सि०डि०) कक्ष सं0–18, देवरिया के यहां वादी द्वारा वाद दाखिल करने के पूर्व वाद सं0–388 / 07 गीता आदि बनाम उ०प्र० जल निगम आदि प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है, इसकी जानकारी होने के पश्चात ही वादी ने प्रस्तुत वाद बिना किसी अधिकार के दाखिल किया है। वादी का वाद अन्तर्गत धारा–10 सी०पी०सी० स्थगित होने योग्य है तथा वाद सं.–388 / 07 में न्यायालय सिविल जज (सि०डि०) कक्ष सं0–18 देवरिया द्वारा प्रतिवादीगण का स्वामित्व व अध्यासन सिद्ध पाकर दिनांक 11.10.2007 को अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया के भूखण्डों के आवंटन में पात्रता का आधार एक आवेदक को ''एक ही दुकान / भवन / भूखण्ड दिया जायेगा'' है, वादी के वाद पत्र की धारा–3 के कथन से स्पष्ट है कि वादी के पक्ष में 17 भूखण्डों का आवंटन हुआ, जो नियम विरूद्ध होने के कारण शून्य है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कालोनी देखो नियम विरुद्ध होने आवासीय सुविधा हेतु निर्मित्त है। जल निगम को उक्त आवास आवंटन नियम विरूद्ध किया गया था। अध्यक्ष नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति द्वारा ऐसे आवंटी जिन्होने निर्माण नहीं कराया तथा नोटिस का उत्तर भी नहीं दिया का आवंटन निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया, जिसका अनुमोदन तत्कालीन प्रभारी नगर पालिका परिषद देवरिया ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट श्री अमृत अभिजात द्वारा दिनांक 13.06.1997 को किया गया। इस प्रकार वादी के पक्ष में हुए आवंटन का निरस्तीकरण नियमानुसार है। वादी का विवादित भूमि पर कभी भी अध्यासन नहीं रहा है और न हीं इस समय है, प्रतिवादीगण अपने–अपने भूखण्ड पर बतौर स्वामी आवंटन के तिथि से अध्यासित चले आ रहे है तथा दावा प्रस्तुत करने के दिन भी विवादित भूखण्ड पर प्रतिवादीगण का अध्यासन रहा है। इस प्रकार वाद वादी पोषणीय नहीं है। अधिशासी अभियन्ता विवादित भूखण्ड के स्वामी नहीं है और न कभी स्वामी थे और न उनके पक्ष में कोई आवंटन हुआ था। इस प्रकार वादी को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी को प्रस्तुत वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कालबाधित है।

14. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद संख्या 406 / 2007 में प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा वादोत्तर कागज संख्या 39क प्रस्तुत कर वाद पत्र की धारा 1, 2, 3, 6, 7 व 8 पर कोई टिप्पणी न करते हुए वाद पत्र की धारा 4, 5, 9 ता 23 को इन्कार करते हुए अपने विशेष कथन में यह कहा गया है कि वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई स्वत्व व अधिकार प्रतिवादीगण के

विरूद्ध उत्पन्न व प्राप्त नहीं है। दावा वादी केवल इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। वादी द्वारा लिखित बाते दिनांक 09.11.1998 का यह कथन कि आपके द्वारा ऑवटित भूखण्ड पर उसका कब्जा दखल हो गया है तथा बाउन्ड्री का निर्माण करा दिया गया है तथा वादी के समान आदि रखे गये है। भवन के निर्माण हेतु नक्शा बनवाया जाना आवश्यक है तथा नक्शा की कार्यवाही सेल डीड के निष्पादन के बाद से हो सकेगा, बिलकुल गलत एवं वास्तविकता के विपरित है। वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया के ऑवंटियों ने नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा दिए गये कब्जा प्रमाण पत्र के आधार पर अपना नक्शा स्वीकृत कराया तथा भवन का निर्माण कराया है, नक्शा स्वीकृत होने के लिए सेल डीड या लीज डीड निष्पादित कराने के लिए किसी न्यायालय द्वारा नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी और न ही नक्शा स्वीकृत कराने हेतु विक्रय विलेख या पट्टा विलेख के सम्बन्ध में कोई निर्देश था। वादी द्वारा पत्र द्वारा नगर पालिका देवरिया को सूचित किया गया कि शासन से पत्राचार किया जा रहा है, धन प्राप्त होने पर निर्माण कराया जावेगा, जिससे स्पष्ट है कि वादी के निर्माण नहीं कराने के कारण ऑवटित भूखण्डो के निरस्तीकरण का पर्याप्त सूचना हुयी और उन्होंने भविष्य में निर्माण करने हेतु समय भी चाहा। सूचना पत्र दिनांक 9.11.98 से सिद्ध है तथा वादी के कथन की असत्यता भी स्पष्ट है। वादी ने विवादित भूखण्डों का ऑवटन कराने के पश्चात कब्जा दखल नहीं किया और न ही किसी चाहरदिवारी का निर्माण कराया गया ऑवटन की तिथि दिनांक 13.03.86 के 11 वर्षो के पश्चात तक वादी द्वारा विवादित भूखण्डो में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं कराने के कारण नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति देवरिया द्वारा वादी का ऑवटन नियमासुनार वादी को सूचित करने के उपरान्त निरस्त कर दिया गया। वादी ने अपने वाद पत्र की धारा 10 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दिनांक 21.02.1997 एवं दिनांक 03.03.1997 द्वारा विवादित भूखण्डो के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में सूचना निर्गत की गयी। माननीय उच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका संख्या 5305/92 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर कल्याण समिति बनाम नगर पालिका परिषद आदि में वादी पक्ष नहीं था तथा उक्त याचिका में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.02.1992 द्वारा प्रकाशन का क्रियान्वयन रिट के याची से सम्बन्धित स्थगित किया गया था। उक्त प्रकाशन में मात्र लीज डीड निष्पादित नही कराने पर ऑवटन निरस्त कराने की सूचना थी। उक्त प्रकाशन में नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा कार्य नहीं कराने के सम्बन्ध में कोई सूचना या आदेश निर्गत नहीं था। इस प्रकार ऑवटी द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराने के कारण नगर पालिका परिषद/नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति देवरिया को ऑवटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार था तथा माननीय उच्च न्यायालय में इस सम्बन्ध में न तो कोई प्रकरण विचाराधीन था और न कोई स्थगन पारित था। वादी का यह कथन कि भवन निर्माण की अवधि सेल डिड या लीज डिड के निष्पादन के बाद ही होती है बिलकुल गलत एवं वास्तविकता के परे है वास्तविकता यह है कि भूखण्डों के लीज डिड निष्पादित कराने हेतु नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा वादी को बार बार सूचना दी जाती रही लेकिन वादी ने जानबूझकर लीज डीड निष्पादित नहीं कराया और न ही विवादित भूखण्डों पर कब्जा दखल ही प्राप्त किया। आचार्य

रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया के करीब 600 भूखण्ड भिन्न भिन्न व्यक्तियों को आवंटित किए गये थे। जिसमें से मात्र 50 ऑवटियों द्वारा अपने भूखण्ड पर निर्माण कार्य ऑवटन के तिथि से लगभग 11–12 वर्ष तक नही कराया गया तथा शेष 550 ऑवटियों द्वारा अपने भूखण्डो के भवन निर्माण हेतु लीज डीड या सेल डीड के निष्पादन की कोई आवश्यकता नहीं थी। वादी का यह कथन कि लीज डीड व सेल डीड के निष्पादन होने के पाँच वर्ष के भीतर भवन का निर्माण ऑवटी द्वारा कराया जाना चाहिए सही नहीं है। इसके अतिरिक्त वादी के कथन से स्पष्ट है कि वादी को लीज डिड निष्पादित कराने हेतु नगर पालिका परिषद द्वारा अनेक सूचनायें दी गयी है। दिनांक 14.07.1997 को बैठक एवं प्रस्ताव के सम्बन्ध में वादी के द्वारा किया गया कथन बिलकुल गलत है। वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 14.07.1997 के पूर्व वादी को नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा भूखण्डो के निरस्तीकरण की सूचना पत्र सं 6 व 7 दिनांक 21.02.1997 एवं पत्र सं० 25, 10, 24, 13, 12, 11, 09, 10. 19/97 दिनांक 03.03.1997 द्वारा सूचित किया गया था। वादी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया के पत्र दिनांक 09.11.1998 द्वारा उपरोक्त पत्रो के सम्बन्ध में अपनी स्वीकारोक्ति किया है। वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि वादी नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का सदस्य है जिसे वादी ने वाद पत्र के प्रस्तर 14 में स्वीकार किया है। दिनांक 14.07.1997 की बैठक जिसमें विवादित भूखण्डो एवं अन्य भूखण्डों के ऑवटन के निरस्तीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ। उक्त बैठक में वादी उ०प्र० जल निगम शाखा देवरिया के प्रतिनिधि उनके विचारण अभियन्ता मौजूद थे, तथा उनकी उपस्थिति में भूखण्डो के ऑवटन एवं निरस्तीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रकार वादी को भूखण्डो के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रही है तथा उक्त प्रस्ताव दिनांक 14.07.1997 की पूर्ण पाबन्दी वादी पर है। वादी का यह कथन कि जिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष होते है तथा उपस्थित नहीं थे और इसी कोरम के अभाव के कारण बैठक सफल नहीं हो सकी, बिलकुल गलत है। वास्तविकता यह है कि तत्कालीन समय में नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया थे तथा उनकी अध्यक्षता में दिनांक 14.07.1997 की बैठक सम्पन्न हुयी तथा कोरम पूर्ण था और वादी के प्रतिनिधि के पूर्ण जानकारी में निरस्तीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ। वादी दिनांक 28.11.1998 की सूचना के सम्बन्ध में दिया गया कथन बिलकुल गलत है। वास्तविकता यह है कि नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा पत्रांक 688/नि.वि./98–99 दिनांक 28.11.98 द्वारा यह सूचित किया गया कि आप के सभी भूखण्डों के ऑवटन का निरस्तीकरण किया जा चुका है। इस कारण आपके पत्र दिनांक 09.11.98 के सम्बन्ध में ऑवटित भूखण्डों का लीज डीड या सेल डीड किया जाना सम्भव नहीं है। उच्च आय वर्ग के भूखण्ड सं०–241 श्रीमती विद्या देवी 242 श्रीमती गीता देवी तथा मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड सं०–348 गिरिश सिंह 349 कौशल किशोर 370 श्री ब्रह्मेश्वर दत्त आदि को ऑवटित करके कब्जा दिया जा चुका है। उच्च आय वर्ग के भूखण्ड सं०–360, 361, 363, 364 एवं मध्यम आय वर्ग के 375, 376 और 379 को भी निरस्त कर दिया गया है लेकिन उस पर आप द्वारा पाईप आदि रखा गया है जो हटा ले जिससे उक्त भूखण्ड ऑवटित किया जा सके तथा आप द्वारा 17 भूखण्डो के लिए जो धनराशि जमा है उसे नियमानुसार प्राप्त कर ले और

30 नवम्बर सन् 1998 को वादी द्वारा उपरोक्त भूखण्ड जिन पर सामान रखे गये थे उन्हें हटाने के लिए सूचित किया गया और यह भी सूचित किया गया कि वादी द्वारा नहीं हटाने पर नगर पालिका परिषद स्वयं हटवा देगी। वादी का यह कथन कि प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के पक्ष में जो गलत एवं कुटरचित ऑवटन किया गया है उसका स्थगन जिला मजिसट्रेट द्वारा कर दिया गया बिल्कुल गलत है, वास्तविकता यह है कि जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा दिनांक 16.01.1999 को यह आदेश पारित किया गया कि ऑवटन का निष्पादन न करे तथा मौके पर यथास्थिति बनाये रखे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है और शासन से जाँच आख्या की मांग की गयी है। इसी आधार पर आदेश पारित किया गया है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति/नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव आदेश को स्थगित करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहा। शासन द्वारा जिलाधिकारी के उपरोक्त पत्र दिनांक 16.01.1999 के संदर्भ में दिनांक 10.1.2000 को यथाशीघ्र पुनरावंटियों के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किए जाने की सूचना दी गयी तथा शासन द्वारा अपने पत्र दि० 3.3.2000 द्वारा पूर्व ऑवटन को निरस्त करके पुनरावंटित किये गये 47 भूखण्डो को सेल डीड किए जाने की अनुमति के सम्बन्ध में संगठित विकास योजना के अधिकारी गोरखपुर मण्डालान्तर्गत सहयुक्त नियोजक से सूना प्राप्त करके आख्या एवं संस्तुति करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया तथा जिलाधिकारी देवरिया ने सहयुक्त नियोजक गोरखपुर के पत्र द्वारा पुनरावंटित भूखण्डो की विस्तृत आख्या प्राप्त करके अपनी आख्या संस्तुति पत्र द्वारा शासन को भेजी गयी। उक्त आख्या में नये आंवटियो द्वारा भूखण्डो पर कब्जा प्राप्त करके निर्माण कार्य कराने की आख्या प्रस्तुत की गयी तथी नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा भूखण्डो के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही को निर्देशानुसार एवं नियमो के अन्तर्गत शासन/जनहित को ध्यान में रखकर की गयी है, का आख्या में वर्णन है। इस आधार पर शासन द्वारा पुनरावंटित 47 भूखण्डो का ऑवटन नियमानुसार प्राप्त करके विक्रय विलेख नये ऑवटियों के पक्ष में निष्पादित करने का आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं०– 1282/1999 में पारित स्थगन आदेश का सम्मान करते हुए याचिका में विवादित भूखण्डो को छोड़कर विक्रय विलेख निष्पादित करने का आदेश पारित है। उक्त रिट याचिका सं०–12828/99 निरस्त हो चुकी है, इस कारण रिट याचिका के विवादित पुरनावंटन भूखण्डो का नये आवंटियो/प्रतिवादीगण तृतीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया जाना नियमानुसार आवश्यक है तथा विवादित भूखण्डो का वादी के पक्ष में किया गया ऑवटन निरस्त हो जाने के बाद वादी विवादित भूखण्ड पर किसी प्रकार का स्वामित्व एवं अध्यासन नहीं है। तत्कालीन जिलाधिकारी विनोद कुमार एवं अरूण कुमार के भूखण्ड के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन को दिनांक 15.01.1999 को आख्या प्रस्तुत की गयी लेकिन रिट याचिका सं०–30593/98 में उक्त रिपोर्ट दिनांक 15.01.1999 याची के पूरक प्रति शपथ पत्र दिनांक 13.01.1999 के साथ संलग्न की गयी थी, इस प्रकार तत्कालीन जिलाधिकारी का विनोद आदि के कुप्रभाव में होना तथा नियम विरूद्ध कार्यवाही किया जाना प्रकट करता है। रिट याचिका संख्या 12828/99 में नगर पालिका देवरिया द्वारा अपना प्रति शपथ पत्र दिनांक

07.01.2000 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी जल निगम आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जनकल्याण समिति का सदस्य नही है इस कारण उक्त रिट याचिका में पारित आदेश का कोई लाभ वादी जल निगम को ही मिल सकता है तथा अन्तरिम आदेश में नगर पालिका देवरिया को ऑवटित भूखण्डो के निरस्तीकरण करने से मना नहीं किया गया था तथा भूखण्डो का पुनवावंटियों को अध्यासन दिया जा चुका है तथा जल निगम द्वारा पाँच वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य नहीं कराने के कारण उनको सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करके भूखण्डों के निरस्तीकरण किया गया है। इस आधार पर भी यह सिद्ध है कि विवादित भूखण्ड नियमानुसार प्रतिवादीगण को ऑवटित करके उनको भूखण्डो पर कब्जा दखल कराया जा चुका है। नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा यदि वादी पर गृहकर एवं जलकर वर्ष 1998 में लगाया गया हो तथा 2003—2004 में प्रस्ताव किया गया हो तो नगर पालिका परिषद के पत्र दिनांक 28.11.98 में वर्णित उच्च आय वर्ग के भूखण्ड संख्या 360 से 364 तक एवं मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड सं०—375, 376, 379 जिस पर ऑवटन निरस्तीकरण के पश्चात भी वादी द्वारा पाईप वगैरह रखकर अवैध कब्जा किया गया है, के सम्बन्ध में है। प्रतिवादी संख्या 5 अपने ऑवटित भूखण्ड संख्या 348 सक्षम बाउन्ड्री चलवाया है कनेक्शन भी लिया है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश होने के कराण और निर्माण नहीं करा सका, प्रतिवादी के अध्यासन एवं बाउण्ड्रीवाल का जिक्र वाद संख्या 388/07 गीता देवी बनाम उ०प्र० जल निगम न्यायालय सिविल जज सि०डी० कक्ष संख्या 18 देवरिया में दाखिल अमीन रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा। प्रतिवादी अपने भूखण्ड सं०—348 पर बहैसियत मालिक काबिज दाखिल चले आ रहे है। जिसको वादी देखते चले आ रहे है, उक्त तथ्यों के बावजुद वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध कोई बेदखली का वाद दाखिल नहीं किया है, दावा मात्र इस आधार पर भी खारिज होने योग्य है। वादी का यह कथन कि प्रतिवादीगण का विवादित भूखण्डों पर कब्जा दखल नहीं है तथा नगर पालिका परिषद देवरिया के तत्कालीन अध्यक्ष डा० शिवहरी सिंह प्रतिवादीगण के करीबी है, बिलकुल गलत है । नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा नियमानुसार प्रतिवादीगण के पक्ष में ऑवटन किया गया है। प्रतिवादी ने दिनांक 03.09.1998 को प्लाट संख्या 348 का कब्जा प्राप्त किया जिसकी पुष्टि भी सहायक अभियन्ता नगर पालिका परिषद देवरिया ने किया कथन इसके वादी मिथ्या है यह भी कहना आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में प्रतिवादी ने भूखण्ड संख्या 348 के ऑवटन के पूर्व प्रतिवादी ने नगर पालिका परिषद देवरिया के निर्देशानुसार मुवलिग 70800 प्रतिवादी सं०—5 ने जमाकर दिया । तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या—5 के पक्ष में ऑवटन किया गया और तत्पश्चात प्रतिवादी सं०—5 को अध्यासित कराया गया। प्रतिवादी अपने भूखण्ड पर बतौर स्वामी काबिज दाखिल है, उक्त भूखण्डों से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध वादी से नहीं है। वादी के पक्ष में किया गया ऑवटन प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष एवं नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति द्वारा नियमानुसार वादी को पूर्व सूचना के पश्चात वादी के पक्ष में किया गया ऑवटन निरस्त कर दिया गया है और इस प्रकार वादी का विवादित भूखण्डो में किसी प्रकार का कोई स्वामित्व या अध्यासन नहीं है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया के भूखण्डो के ऑवटन में पात्रता का आधार एक आवेदक को एक ही दुकान भवन/भूखण्ड दिया जायेगा, है, वादी के वादपत्र के

धारा –3 के कथन से स्पष्ट है कि वादी के पक्ष में 17 भूखण्डो का ऑवटन हुआ जो नगर वासियो के आवासीय सुविधा हेतु निर्मित है। जल निगम को उक्त आवास ऑवटन नियम विरूद्ध किया गया है। अध्यक्ष नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति द्वारा ऐसे ऑवटी जिन्होने निर्माण नहीं कराया तथा नोटिस का उत्तर भी नहीं दिया का ऑवटन निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया, जिसका अनुमोदन तत्कालीन प्रभारी नगर पालिका परिषद देवरिया ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट श्री अमृत अभिजात द्वारा दिनांक 13.06.1997 को किया गया, इस प्रकार वादी के पक्ष में हुए ऑवटन का निरस्तीकरण नियमानुसार है। वादी का विवादित भूमि पर कभी भी अध्यासन नहीं रहा है और न ही इस समय है प्रतिवादीगण अपने अपने भूखण्ड पर बतौर स्वामी ऑवटन के तिथि से अध्यासित चले आ रहे है तथा दावा प्रस्तुत करने के दिन भी विवादित भूखण्ड पर प्रतिवादीगण का अध्यासन रहा है, इस प्रकार वाद वादी पोषणीय नहीं है। वादी ने कोई दखल का वाद प्रस्तुत नहीं किया है चूँकि वादी ऑवटित प्लाटो से बहुत पूर्व से कब्जा है और उस पर अध्यासन से सम्बन्धित कोई दादरसी नहीं माँगी गयी है। दावा वादी धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्राविधानो से बाधित है आवॅटित भूमि पर क्रमशः प्रतिवादी सं० 4 ता 13 अध्यासित है। अधिशासी अभियन्ता विवादित भूखण्ड के स्वामी नहीं है और न उनके पक्ष में कोई आवॅटन हुआ था । इस प्रकार वादी को वाद प्रस्तुत करने का प्राप्त नहीं है। वादी का प्रस्तुत वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद काल बाधित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद हर प्रकार से निरस्त होने योग्य है तथा प्रतिवादी वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क के साथ विशेष क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी है।

15. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद संख्या 406/2007 में प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 7, 8, 9 व 12 द्वारा अपने अतिरिक्त वादोत्तर में यह कहा गया है कि संशोधित वाद पत्र की कोई धारा एवं दादरसी स्वीकार नहीं है। विशेष कथन में कहा गया है कि वादी को कोई हक दावा हाजा खिलाफ, प्रतिवादीगण हासिल व पैदा नहीं है। कारण निर्धारित वादी गलत व बेबुनियाद है तथा दावा इसी पर निरस्त होने योग्य है। वादी का यह कथन कि नगर पालिका परिषद देवरिया के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शिवहरी सिंह द्वारा जारी किये गये सही एवं वास्तविक पत्र दिनांक 07.07.1997 को छिपाते हुए उसी पत्रांक से जाली एवं फर्जी पत्र अधि० नगर पालिका देवरिया द्वारा संयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजक गोरखपुर मण्डल उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा गया जिसमें आवॅटित भूखण्डो पर 12 वर्ष होने पर भवन निर्माण नहीं होने का कथन एवं कारण बताओ नोटिस के बाद भी मकान नहीं बनवाने पर भवन आवॅटन रद्द करने का निर्देश प्रदान करने हेतु लिखा गया जिसपर सहयुक्त नियोजक द्वारा सूचना के प्रकाशन करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन करा देने एवं प्रथम आये प्रथम पाये के आधार मानने एवं काफी दिनों से भूखण्ड खाली होने तथा आर्थिक सर्वे होने के कारण अध्यक्ष नगर पालिका को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। कार्यालय सहयुक्त नियोजक गोरखपुर के पत्रांक 760/सा०वि०यो देवरिया/गो०ख०/99–2000 दिनांक 29.01.2000 के प्रस्तर 4 में उक्त पत्र को पुष्टि किया गया है कि अधि० अधि० नगर पालिका देवरिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 383/9298 देवरिया दिनांक 07.07.1997 संलग्नक 3 के माध्यम से आवंटन रद्द करने हेतु सहयुक्त नियोजक को निर्देश से

पत्राचार किया। सहयुक्त नियोजक सम्भागीय नियोजन खण्ड गोरखपुर के द्वारा इस आशय का विज्ञापन आर्थिक क्षति का उल्लेख करते हुए समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर कार्यवाही करने का सूझाव दिनांक 08.7.97 को दिया, जिसमें स्पष्ट है कि अधि० अधि० नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा सहयुक्त नियोजन एवं ग्राम नियोजन गोरखपुर उ०प्र० को लिखा गया पत्र दिनांक 07.07.97 सही है, जिसकी पुष्टि सहयुक्त के उपरोक्त पत्रांक दिनांक 29.01.2000 से हो रहा है, जिस पर अधिकारी देवरिया ने सहयुक्त नियोजक गोरखपुर के पत्र पत्रांक 760/सा० वि यो देवरिया को परीक्षण करके इसी पत्र के आधार पर उ०प्र० शासन को पत्र सं०–655 एल.बी.सी. 2000 दिनांक 06.5.2000 पूर्व आवंटन निरस्त करके पूर्न आंवटित भूखण्डो के सेल डीड किये जाने हेतु संस्तुति भेजी गयी है। जीतेन्द्र सिंह गवाह इस वाद में प्रतिवादी सं०–10 है जिनको मुकदमा की पूरी कार्यवाही का ज्ञान है तथा वादी के साजिश में एवं मनगढंत बयान दिया है तथा वादी द्वारा झूंठा कथन अपने वादपत्र में किया गया है। जितेन्द्र सिंह को डा० शिवहरी सिंह तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया द्वारा ठेकेदारी को काली सूची में डालने के कारण डा० शिवहरी से रंजिश है जिसके कारण जीतेन्द्र सिंह ने प्रतिवादीगण को क्षति पहुचाने के लिए वादी की साजिश में झूंठा बयान दिया है। तत्कालीन अध्यक्ष डा० शिवहरी सिंह द्वारा दिनांक 7 जुलाई 1997 को आचार्य रामचन्द्र शूक्ल एवं वृद्ध बिहारी अवासीय कालोनी के भूखण्डो को फ्री होल्ड करने हेतु पत्र लिखा गया है, जिसका पत्रांक 383/97–98 है अधि० अधि० नगर पालिका देवरिया एवं अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया द्वारा लिखे पत्रो की संख्या एक होना लिपिकीय त्रुटि है, जिसके आधार पर पत्रो को फर्जी नही कह सकते है। वादी का यह कथन कि अधि० अधि० का पत्र दिनांक 07.07.97 फर्जी है नुमाइसी है, जिसके आधार पर आवंटन निरस्तीकरण की सारी कार्यवाही अवैध है बिलकुल गलत है। अधि० अधि० नगर पालिका देवरिया द्वारा लिखा गया पत्र दिनांक 07.07.97 नियमानुसार एवं सही है, जिसका जवाब सह युक्त नियोजक द्वारा दिनांक 08.07.97 में दिया गया है तथा उक्त पत्र का अनुमोदन नागरिक समन्यव एवं अनुश्रवण समिति संगठित विकास योजना की बैठक दिनांक 14.07.97 में किया गया। इस प्रकार भूखण्डो के आवंटन का निरस्तीकरण नियमानुसार एवं वैध तरीके से हुआ है। दावा वादी काल बाधित है। दावा वादी कानूनन एवं वाक्यतन हर दृष्टिकोण से सव्यय खारिज होने योग्य है।

16. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद संख्या 406/2007 में जवाबुल जवाब द्वारा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 7, 8, 9 व 12 में यह कहा गया है कि संशोधन वदोत्तर द्वारा प्रतिवादीगण 3, 4, 7, 8, 9 व 12 खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी ने संशोधन पत्र में दिये गये तथ्यो का या तो सम्यक अवलोकन नहीं किया है या जान बूझकर तथ्यों के विपरीत उल्लेख किया है, जिससे कि प्रतिवादीगण की नियत में खोट परिलक्षित होता है। प्रतिवादीगण ने अपने अतिरिक्त वादोत्तर में दिनांक 07.07.1997 को पत्रांक सं०– 393/97–98 का जिक्र जिस तरह से किया है वही बातें तथ्यों को छिपाकर जो फर्जी पत्र बताया गया है, उससे मिलती है सही पत्र का जिक्र नहीं किया है। जबकि दोनो पत्र (सही व फर्जी) की छाया प्रति संशोधन पत्र के साथ संलग्न है। प्रतिवादीगण सही तथ्य उजागर करने व

सही बात करने से बच रहे है। प्रतिवादीगण ने दोनो पत्र का नहीं कोई विश्लेषण किया है और ना ही उन पत्रों का जिक्र किया है बल्कि अपने द्वारा बनाये गये जाली एवं फर्जी पत्रांक संख्या 383/97–98 की ही बात कर रहे है। साक्षी जितेन्द्र सिंह एक समाजिक कार्यकर्ता है और उन्होने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है उनका डा० शिवहरि सिंह से आज भी समान्य सम्बन्ध है। सहयुक्त नियोजक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को तत्कालीन अध्यक्ष डा० शिवहरि सिंह द्वारा किये गये जाल व फरेब को जानकारी नहीं हो सकी इसलिए उनके कार्यालय से अपने द्वारा दिये गये आख्या के अनुसार ही कार्यवाही की जाती रही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जवाबुल जवाब स्वीकर कर प्रतिवादीगण की जवाबदेही खारिज करने का निवेदन किया गया है तथा दावा वादी सव्यय डिक्री किया जाने का निवेदन किया है।

17. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर मामले के सुगमतापूर्वक निस्तारण हेतु निम्नलिखित वाद–विन्दु विरचित किए गयेः–

01. क्या वादी वादपत्र में उल्लिखित आधारों पर इस आशय का उद्घघोषणा पाने के हकदार है कि आवंटन निरस्तीकरण प्रस्ताव दिनांक 14.07.1997 अवैध, निष्प्रभावी व शून्य है, यदि हाँ तो प्रभाव?

02. क्या वादी आदेशात्नक निषेधाज्ञा इस आशय कि प्राप्त करने के हकदार हैं कि विवादित भूखण्डों के बावत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के हकदार हैं?

03. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा रसूम कम अदा किया गया है?

04. क्या दावा वादी अवधि बाधित है?

05. क्या दावा वादी में धारा 34 स्पेस्फिक रिलीफ एक्ट की बाधा है?

06. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० से बाधित है?

07. क्या दावा आदेश 7 नियम 3 सी०पी०सी० से बाधित है?

08. क्या दावा वादी धारा 10 सी०पी०सी० से बाधित है?

09. क्या प्रस्तुत वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?

10. क्या दावा वादी विवन्धन के सिद्धान्त से बाधित है?

11. क्या दावा वादी धारा 17 एवं धारा 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट से बाधित है?

12. क्या दावा वादी धारा 326 नगर पालिका एक्ट से बाधित है?

13. क्या दावा वादी मौन सहमति के सिद्धान्तों से बाधित है?

14. वादी किस अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी है?

18. उभय पक्षों के द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाद–विन्दु बनाये जाने पर बल नहीं दिया गया।

19. वादीगण की ओर से अपने मौखिक साक्ष्य के रूप में पी० डब्लू०–1 के रूप मे साक्षी ब्रहमेश्वर दत्त कागज संख्या 71 क2/1 ता 71क/20 तथा पी०डब्लू 02 सोमदेव का शपथपूर्ण साक्ष्य कागज संख्या–140क/1 ता 140 क/3 एवं पी०डब्लू 03 हसमुद्दीनं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त साक्षीगण से जिरह भी की गयी है।

20. प्रतिवादी जल निगम की ओर से अपने अपने मौखिक साक्ष्य के रूप में डी० डब्लू०–1 के रूप में आनन्दवर्धन मिश्र का शपथपूर्ण साक्ष्य कागज संख्या–190क/1 ता 190क/5 डी0 डब्लू02 के रूप में प्रभुनाथ चौरसिया का शपथपत्र 189 क/1 ता 189क/5, डी0 डब्लू03 जितेन्द्र सिंह का शपथपत्र कागज संख्या 191क/1 ता 191क/2 प्रस्तुत किया गया है। इन साक्षियों से जिरह भी की गयी है।

21. वादीगण/प्रत्युर्थीगण/गीता देवी आदि मूल वाद संख्या 388/2007 में द्वारा सूची 8ग से (1) छायाप्रति प्रार्थनापत्र द्वारा गीता दिनांक 12.11.1997 समक्ष अध्यक्ष संगठित नगरीय विकास योजना नगर पालिका परिषद देवरिया कागज संख्या 9ग/1, (2) छायाप्रति आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर में उच्च आय वर्ग के भूखण्ड 242 को आवंटन सूचना दिनांक 15.12.1997 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया गीता देवी पत्नी नरेश के पक्ष कागज संख्या 9ग/2, (3) छाया प्रति जमा रशीद मु0–138760/– यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया खाता 6184/30 गीता देवी कागज संख्या 9ग/3, (4) छाया प्रति प्रमाण पत्र सहायक अभियन्ता नगर पालिका परिषद द्वारा कब्जा दिया गया आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया दिनांक 15.12.1997 कागज संख्या 9ग/4, (5) छायाप्रति जलकल कनेक्शन की रशीद मु0–195/– श्रीमती गीता देवी कागज संख्या 9ग/5, (6) छायाप्रति मानचित्र स्वीकृत दिनांक 20.01.1999 गीता देवी पत्नी नरेश कागज संख्या 9ग/6, (7) छायाप्रति प्रार्थनापत्र द्वारा विद्या पत्नी कौशल दिनांक 12.11.1997 समक्ष अध्यक्ष संगठित नगर विकास योजना नगर पालिका परिषद देवरिया कागज संख्या 9ग/7, (8) छायाप्रति आय वर्ग भूखण्ड संख्या 241 के सम्बन्ध 138760/– जमा करने का आदेश दिनांक 15.12.1997 द्वारा अधिशासी अधिकारी कागज संख्या 9ग/8, (9) छायाप्रति जमा रशीद मु0 138760 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का खाता 6184/30 द्वारा विद्या देवी पत्नी कौशला कागज संख्या 9ग/9, (10) छायाप्रति सहायक अभियन्ता द्वारा भूखण्ड 241 एच0आई0जी0 पर कब्जा देने व आवंटी गीता देवी द्वारा कब्जा प्राप्त करने का प्रमाण पत्र दिनांक 11.06.1998/15.12.1997 कागज संख्या 9ग/10, (11) छायाप्रति जलकल कनेक्शन रशीद दिनांक 03.08.1998 श्रीमती विद्या देवी मु0–196/– कागज संख्या 9ग/11, (12) छायाप्रति मानचित्र स्वीकृति 18.01.1999 विद्या देवी कागज संख्या 9ग/12, (13) छायाप्रति प्रार्थनापत्र आशा दत्त समक्ष अध्यक्ष संगठित नगर विकास योजना नगर पालिका परिषद देवरिया कागज संख्या 9ग/13, (14) छायाप्रति अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया के आदेश दिनांक 01.06.1998 द्वारा भूखण्ड संख्या 372 मध्यम आय वर्ग हेतु रूपया जमा करने का आदेश कागज संख्या 9ग/14, (15) छायाप्रति प्रमाण पत्र मु0–70358 जमा करने के सम्बन्ध द्वारा प्रबन्ध सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया दिनांक 07.08.1998/08.08.1998 कागज संख्या 9ग/15, (16) छायाप्रति कब्जा देने व प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिनांक 03.09.1998 भूखण्ड 372 एम0आई0जी0 आवंटी आशा दत्त कागज संख्या 9ग/16, (17) छायाप्रति रशीद जलकल कनेक्शन दिनांक 16.10.1999 कागज संख्या 9ग/17, (18) छायाप्रति प्रार्थनापत्र मीरा दत्त पत्नी मुक्तेश्वर दत्त मध्य वर्ग भूखण्ड मु0–70,000 हेतु समक्ष अध्यक्ष संगठित नगर विकास योजना नगर पालिका परिषद देवरिया कागज संख्या 9ग/18, (19)

छायाप्रति आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया मीरा दत्त पत्नी मुक्तेश्वर दत्त मध्यम भूखण्ड 371 के सम्बन्ध में 70004/–जमा करने हेतु कागज संख्या 9ग/19, (20) छायाप्रति मीरा दत्त द्वारा सेन्ट्रल बैंक देवरिया में दिनांक 07.08.1998/08.08.1998 मु0–70004/–जमा किया के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा प्रमाण कागज संख्या 9ग/20, (21) छायाप्रति सहायक अभियन्ता नगर पालिका देवरिया द्वारा मध्यम आय वर्ग संख्या 371 को कब्जा देना व आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिनांक 03.09.1998 कागज संख्या 9ग/21, (22) छायाप्रति जलकल कनेक्शन दिनांक 16.10.1999 मु0–182/–श्रीमती मीरा दत्त कागज संख्या 9ग/22, (23) छायाप्रति प्रार्थनापत्र कौशल कुमार पुत्र राघव सिंह समक्ष अध्यक्ष संगठित नगर विकास योजना नगर पालिका परिषद देवरिया कागज संख्या 9ग/23, (24) छायाप्रति अधिशासी अधिकारी आदेश दिनांक 21.06.1998 से भूखण्ड संख्या 349 के आवंटन हेतु 53100/–रूपया जमा करने हेतु कागज संख्या 9ग/24, (25) छायाप्रति रशीद सेन्ट्रल बैंक देवरिया दिनांक 03.09.1997 कागज संख्या 9ग/25, (26) छायाप्रति भूखण्ड संख्या 349 एम0आई0जी0 कब्जा देने व प्राप्त करने का आदेश दिनांक 03.09.1997 कागज संख्या9ग/26, (27) छायाप्रति जलकल कनेक्शन प्राप्त करने की रशीद मु0–190/–दिनांक 16.10.1999 कागज संख्या 9ग/27, (28) छायाप्रति मानचित्र स्वीकृति आदेश 19.01.1999 नियम प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र देवरिया कौशल कुमार कागज संख्या 9ग/28, (29) छायाप्रति प्रार्थनापत्र द्वारा ब्रहमेश्वर दत्त मध्यम आय वर्ग भूखण्ड हेतु अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया कागज संख्या 9ग/29, (30) छायाप्रति आदेश अधिशासी अधिकारी देवरिया दिनांक 01.06.1998 भूखण्ड संख्या 370 के लिए मु0–70623/–जमा करने हेतु कागज संख्या 9ग/30, (31) छायाप्रति रसीद पैसा जमा 70623/– सेन्ट्रल बैंक देवरिया दिनांक 07.08.1990 व 08.08.1998 कागज संख्या 9ग/31, (32) छायाप्रति जलकल कनेक्शन मु0–188/– दिनांक 16.10.1999 कागज संख्या 9ग/34, (33) छायाप्रति मानचित्र स्वीकृत नियत प्राधिकारी विनयमित क्षेत्र देवरिया दिनांक 18.01.1999 कागज संख्या 9ग/35, (39) छायाप्रति समाचार पत्र सहारा 29 जून आचार्य रामचन्द्र नगर में उच्च आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड आवंटियों के लिए सूचना कागज संख्या 9ग/36, (40) छायाप्रति आवंटन हेतु सूचना स्वतंत्र भारत 10.11.1997 द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया कागज संख्या 9ग/37, (41) छायाप्रति आदेश मानचित्र उच्च न्यायालय इलाहाबाद सी0एम0डब्लू0 पी0एन0ओ0 12828/1999 जनपद देवरिया अधिशासी अधिकारी प्रथम निर्माण खण्ड जल निगम बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य दिनांक 14.08.2007 कागज संख्या 9ग/38, (42) छायाप्रति प्रति शपथ पत्र द्वारा नगर पालिका परिषद देवरिया सी0एम0डब्लू0 पी0एन0ओ0 12828/1999 अधिशासी अधिकारी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य कागज संख्या 9ग/39 दाखिल किया गया है।

22. वादी/प्रत्युर्थी/गीता देवी आदि द्वारा सूची 73ग से (1) मूल रसीद जलकल कनेक्शन हेतु दिनांक 03.08.1998 श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री नरेश कागज संख्या 74ग, (2) मूल रसीद जलकल कनेक्शन हेतु दिनांक 03.08.1998 श्रीमती विद्या देवी पत्नी कौशल कागज संख्या 75ग, (3) मूल रसीद जलकल कनेक्शन हेतु दिनांक 16.10.1999 श्रीमती आशा देवी पत्नी ब्रहमेश्वर कागज संख्या

76ग, (4) मूल रसीद जलकल कनेक्शन हेतु दिनांक 16.10.1999 श्रीमती मीरा देवी पत्नी मुक्तेश्वर कागज संख्या 77ग, (5) मूल रसीद जलकल कनेक्शन हेतु दिनांक 16.10.1999 ब्रहमेश्वर दत्त पुत्र कालिका प्रसाद सिंह कागज संख्या 78ग, (6) मूल रसीद जलकल कनेषन हेतु दिनांक 10.10.1999 कौशल सिंह पुत्र राघव सिंह कागज संख्या 79ग, (7) आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया दिनांक 01.06.1998 भूखण्ड 372 मध्यम वर्ग श्रीमती आशा दत्त कागज संख्या 80ग, (8) प्रमाण पत्र दिनांक 25.07.2002 पैसा जमा द्वारा सेन्ट्रल बैंक आशा दत्त पत्नी ब्रहमेश्वर दत्त ए0सी0 9541 मु0–70358/– कागज संख्या 82ग, (9) प्रार्थनापत्र समक्ष अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया भूखण्ड आवंटन हेतु द्वारा आशा दत्त कागज संख्या 83ग, (10) आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया दिनांक 01.06.1998 पैसा जमा करने हेतु भूखण्ड 371 मध्यम आय वर्ग श्रीमती मीरा दत्त कागज संख्या 84ग, (11) प्रमाण पत्र दिनांक 25.07.2002 द्वारा सेन्ट्रल बैंक मीरा दत्त मु0–70004/– खाता संख्या 9541 कागज संख्या 85ग, (12) कब्जा देने का प्रमाण दिनांक 03.09.1998 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया व कब्जा प्राप्त करने की प्रति 03.09.1998 द्वारा मीरा दत्त कागज संख्या 86ग, (13) रसीद दिनांक 03.09.1997 सेन्ट्रल बैंक देवरिया द्वारा विद्या देवी रूपया जमा करने सम्बन्ध कागज संख्या 87ग, (14) आदेश भूखण्ड संख्या 349 मध्यम के सम्बन्ध में पैसा जमा करने हेतु कौशल कुमार द्वारा अधिशासी अधिकारी देवरिया दिनांक 01.06.1998 कागज संख्या 88ग, (15) कब्जा देने का प्रमाण पत्र भूखण्ड 349 एम0आई0जी0 दिनांक 03.09.1998 व कब्जा प्राप्त करने का दिनांक 03.09.1998 द्वारा कौशल कुमार सिंह कागज संख्या 89ग, (16) रसीद ब्रहमेश्वर दत्त द्वारा 70,000/–रूपये दिनांक 07.08.1998 को सेन्ट्रल बैंक में जमा किया गया भूखण्ड संख्या 370 कागज संख्या 90ग, (17) रसीद ब्रहमेश्वर दत्त द्वारा मु0–623/–रूपये दिनांक 08.08.1999 को सेन्ट्रल बैंक में जमा किया गया भूखण्ड संख्या 370 कागज संख्या 91ग, (18) आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया भूखण्ड 370 मध्यम के सम्बन्ध में मु0–70,623/–रूपये दिनांक 01.06.1998 (ब्रहमेश्वर दत्त को) कागज संख्या 92ग, (19) प्रमाण पत्र कब्जा देने हेतु भूखण्ड 370 एम0आई0जी0 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद दिनांक 03.09.1998 ब्रहमेश्वर दत्त को कब्जा प्राप्ति दिनांक 03.09.1998 द्वारा ब्रहमेश्वर कागज संख्या 93ग, (20) आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया भूखण्ड संख्या 2423 रूपया दिनांक मु0–1,38,760/– जमा करने हेतु श्रीमती गीता देवी कागज संख्या 94ग, (21) रसीद रूपया 138760/– द्वारा गीता देवी खाता संख्या 6184 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देवरिया दिनांक 11.06.1998 कागज संख्या 95ग, (22) प्रमाण पत्र कब्जा देने हेतु भूखण्ड संख्या 242 एच0आई0जी0 श्रीमती गीता देवी द्वारा सहायक अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दिनांक 15.12.1997 की प्राप्ति प्रमाण कब्जा गीता देवी द्वारा प्राप्त किया गया दिनांक 15.12.1997 की प्राप्ति प्रमाण कागज संख्या 96ग, (23) आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दिनांक 15.12.1997 रूपये 138760/– जमा करने हेतु भूखण्ड 241 उच्च आय वर्ग श्री विद्या देवी पत्नी कौशल कागज संख्या 97ग, (24) रसीद जमा संख्या मु0–1,38,760/– द्वारा विद्या देवी दिनांक 11.06.1998 खाता संख्या 6184/30 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया कागज संख्या 98ग, प्रमाण पत्र कब्जा

देने हेतु भूखण्ड संख्या 241 एच0आई0जी0 श्रीमती विद्या देवी द्वारा सहायक अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दिनांक 15.12.1997 की प्राप्ति प्रमाण कब्जा विद्या देवी द्वारा प्राप्त किया गया दिनांक 15.12.1997 की प्राप्ति प्रमाण कागज संख्या 99ग (25) नक्शा स्वीकृत आदेश दिनांक 18.01.1999 मानचित्र संख्या 591 विद्यावती देवी द्वारा नियम प्राधिकारी वि0क्षे0 देवरिया कागज संख्या 100ग, (26) नक्शा स्वीकृत आदेश द्वारा नियम प्रा0 वि0 क्षेत्र देवरिया दिनांक 18.01.1999 मानचित्र संख्या 595 कौशल कुमार कागज संख्या 101ग, (27) नक्शा स्वीकृत आदेश द्वारा नियम प्राधिकारी वि0क्षे0 देवरिया दिनांक 18.01.1999 मानचित्र संख्या 596 ब्रहमेश्वर दत्त कागज संख्या 102ग, (28) नक्शा स्वीकृत आदेश द्वारा नियत प्रा0 वि0 क्षेत्र देवरिया दिनांक 20.01.1999 मानचित्र संख्या 21 गीता देवी पत्नी नरेश कागज संख्या 103ग, (29) प्रतिलिपि शपथ लिपिक कनक बिहारी नगर पालिका परिषद देवरिया उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट याचिका संख्या 12828/1999 अधिशासी अभियन्ता बनाम उ0प्र0 राज्य कागज संख्या 104ग, (30) प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक 13.06.1997 आचार्य रामचन्द्र भुजौली कालोनी में खाली भूखण्डों का आवंटन निरस्त करने हेतु कागज संख्या 105ग/1 ता 105ग/3, (31) प्रमाणित प्रति पत्रांक 383 दिनांक 7 जुलाई 1997 सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम्य नियोजक उ0प्र0 गोरखपुर द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया कगाज संख्या 106ग/1 ता 106ग/12, (32) प्रमाणित प्रति पत्रांक संख्या 760 दिनांक 29.01.2000 मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित सहयुक्त नियोजक गोरखपुर कागज संख्या 109ग/1 ता 109ग/5, (33) प्रमाणित प्रति दिनांक 14.07.1997 को नागरिक समन्वय एवं अनुसंधान समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यगण कागज संख्या 110ग/1 ता 110ग/3, (34) छायाप्रति जांच आख्या दिनांक 27.04.2005 द्वारा जे0बी0 सिंह अपर जिलाधिकारी देवरिया कागज संख्या 111ग, (35) शपथ पत्र दिनांक 27.03.2004 अनुरूद्ध सिंह वर्मा तत्कालीन लिपिक नगर पालिका परिषद देवरिया कागज संख्या 112ग, (36) प्रतिलिपि नकल आदेश दिनांक 17.02.2009 न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कक्ष संख्या 24, देवरिया वाद संख्या 623/2002 सुबाष चन्द्र सिंह बनाम अरूण कुमार कागज संख्या 113ग/1 ता 113ग/4, (37) प्रमाणित भूखण्ड मानचित्र आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया कागज संख्या 114ग, (38) प्रमाणित पत्र एस0एम0 उपाध्याय अनु सचिव उ0प्र0 शासन दिनांक 3 मार्च, 2000 प्रेषित जिलाधिकारी देवरिया विकास अनुभाग 8 लखनऊ कागज संख्या 115ग, (39) प्रमाणित पत्र संख्या 2052 नौ, 8, 2000 दिनांक 10 जनवरी, 2000 अवधेश नरायण अनु सचिव नगर विकास विभाग 8 जिलाधिकारी देवरिया को प्रेषित जिसमें 47 भूखण्ड भुजौली कालोनी में निरस्त कर पुर्न आवंटन हेतु निर्णय लिया कि विक्रय विलेख सम्पादित किया जाये कागज संख्या 116ग, (40) संगठित नगर विकास योजना द्वारा पुर्न निर्धारित एवं विकसित नियमावली भुजौली रोड, आवासीय योजना आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर देवरिया कागज संख्या 117ग, (41) छायाप्रति विक्रय विलेख पत्र रामयण राव अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया दिनांक 11.12.2003 बहक शांति देवी पत्नी सुवेदार सिंह भूखण्ड 377 एम0आई0जी0 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया कागज संख्या 118ग/1 ता 118ग/11 दाखिल किया गया है।

23. वादिनी गीता देवी आदि द्वारा सूची 166ग से (6) छायाप्रति बैनामा नविस्ते बसन्त कुमार श्रीवास्तव पुत्र ईश्वर चन्द्र अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया बहक राजबहादुर सिंह पुत्र बाबूराम सिंह निवासी आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर देवरिया दिनांक 28.03.2010 कागज संख्या 172ग/1 ता 172ग/5 (7) छायाप्रति बैनामा नविस्ते बसन्त कुमार श्रीवास्तव पुत्र ईश्वर चन्द्र अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया बहक फातिंगा देवी पत्नी राजबंशी चौरसिया हालमुकाम आचार्य रामचन्द्र कालोनी दिनांक 28.03.2010 कागज संख्या 173ग/1 ता 173ग/14, (8) छायाप्रति बैनामा नविस्ते बसन्त कुमार श्रीवास्तव पुत्र ईश्वर चन्द्र अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया बहक रामायण राव पुत्र नौमी प्रसाद अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया बहक शान्ति पुत्री सुबेदार सिंह साकिन मुहमादी पोस्ट लगड़ी तप्पा पखरवार, परगना हवेली तहसील हाटा, जिला कुशीनगर दिनांक 11.12. 2003 कागज संख्या 174ग/1 ता 174ग/11 दाखिल किया गया है।

24. वादिनी गीता देवी आदि द्वारा सूची 240ग से (1) नकल आदेश दिनांक 12.09.2014 अन्तर्गत रिट याचिका संख्या 49369/14 द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद कागज संख्या 241ग/1 ता 241ग/3, (2) नकल आदेश दिनांक 05.09.2004 अन्तर्गत रिट याचिका संख्या 47386/2014 द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद कागज संख्या 242ग/1 ता 242ग/3, (3) नकल आदेश दिनांक 17.09.2014 अन्तर्गत रिट याचिका संख्या 47386/2014 द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद कागज संख्या 243ग/1 ता 243ग/3, (4) आदेश दिनांक 03.02.2015 द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया कागज संख्या 244ग/1 ता 244ग/2, (5) प्रार्थनापत्र 07.04.2015 द्वारा वादीगण अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कागज संख्या 246ग/1 ता 246ग/10, (6) मूल प्राप्ति रसीद 04.09.2015 द्वारा नगर पालिका देवरिया कागज संख्या 246/11 ता 246ग/12 दाखिल किया गया है।

25. मूल वाद 406/2007 के प्रतिवादी की ओर से सूची 29ग से प्रतिलिपि आदेश दिनांक 11. 10.07 व्यवहार न्यायाधीश सि०डि० कक्ष संख्या 18 देवरिया वाद संख्या 388/07 गीता देवी बनाम उ०प्र० जल निगम कागज सं०–30ग/2, प्रतिलिपि वादपत्र 11.10.07 सिविल जज सि०डि० कक्ष संख्या 18 देवरिया वाद संख्या 388/07 गीता देवी उ०प्र० जल निगम कागज सं०–30ग/4, छायाप्रति प्रार्थना पत्र द्वारा गीता देवी दिनांक 12.11.1997 समक्ष अध्यक्ष संगठन नगर विकास योजना नगर पालिका परिषद देवरिया कागज सं०–30ग/8, छाया प्रति आर्चय रामचन्द्र शुक्ल नगर में उच्च आय वर्ग के भूखण्ड 242 के आवंटन सूचना दिनांक 15.12.1997 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया गीता देवी पत्नी नरेश के पक्ष में कागज सं०–30ग/9, छायाप्रति जमा रसीद मु० 13760 युनियन बैंक आफ इण्डिया खाता 6184/30 गीता देवी कागज सं०–30ग/10, छायाप्रति आदेश प्रमाण पत्र सहायक अभियन्ता नगर पालिका परिषद द्वारा कब्जा दिया गया आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया दिनांक 15.12.1997 कागज सं०–30ग/11, छायाप्रति जलकल सोनन रसीद मु०–195–00 श्रीमती गीता देवी कागज सं०–30ग/12, छायाप्रति मानचित्र स्वीकृत दिनांक 20.1.1999 गीता देवी पत्नी नरेश कागज सं०–30ग/13, छाया प्रति प्रार्थना पत्र द्वारा विद्या पत्नी कौशल दिनांक 12.11.1997 समक्ष अध्यक्ष संगठीत नगर

विकास योजना नगर पालिका परिषद देवरिया कागज सं०–30ग / 14, छायाप्रति उच्च आय की भूखण्ड सं 241 के संबंध 1,3876–00 जमा करने का आदेश दिनांक 15.12.1997 द्वारा अधिशासी अधिकारी कागज सं०–30ग / 15, छायाप्रति जमा रसीद मु०–1,3876–00 युनियन बैंक आफ इण्डिया खाता 6184 / 30 द्वारा विद्या देवी पत्नी कौशल कागज सं०–30ग / 16, छायाप्रति सहायक अभियन्ता द्वारा भुखण्ड सं०–241 दिनांक 01.01.1994 पर कब्जा देने का आवंटी गीता देवी द्वारा कब्जा प्राप्त करने का प्रमाण पत्र 11.06.1998 / 15.12.1997 कागज सं०–30ग / 17, छायाप्रति जलकल सेशन रसीद दिनांक 03.03.1998 श्रीमती विद्या मु०–196 कागज सं०–30ग / 18, छायाप्रति मानचित्र स्वीकृत 18.01.1999 विद्या देवी, छायाप्रति प्रार्थना पत्र आशा समक्ष अध्यक्ष संगठीत नगर विकास योजना नगर पालिका परिषद देवरिया कागज सं०–30ग / 19, छायाप्रति अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया के आदेश दिनांक 01.06.1998 द्वारा भूखण्ड सं 372 मध्यम आय वर्ग हेतु रूपया जमा करने का आदेश कागज सं०–30ग / 20, छायाप्रति प्रमाण पत्र मु०–70,358 जमा करने के सम्बन्ध में द्वारा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक इण्डिया दिनांक 07.08.1998 / 08. 08.1998 कागज सं०–30ग / 21 दाखिल किया गया। सूची 29ग / 3 से छायाप्रति कब्जा देने व प्राप्त के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिनांक 03.09.1998 भूखण्ड सं–372 आवंटी आशा दत्त कागज सं०–30ग / 21, छायाप्रति रसीद जलकल सेसन दिनांक 16.10.1999 कागज सं०–30ग / 24, छायाप्रति प्रार्थना पत्र मीरा दत्त पत्नी मुक्तेश्वर दत्त मध्यम वर्ग मु०70,000 हेतु समक्ष अध्यक्ष महोदय संगठीत नगर विकास योजना नगर पालिका परिषद देवरिया कागज सं०–30ग / 22, छायाप्रति अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया मीरा दत्त पत्नी मुक्तेश्वर दत्त मध्यम भुखण्ड सं० 371 के सम्बन्ध में 70004 जमा करने हेतु कागज सं०–30ग / 26, छायाप्रति मीरा दत्त द्वारा सेन्ट्रल बैंक देवरिया के दिनांक 07.08.1998 / 08.08.1998 मु०–70,000 जमा किया के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा प्रमाण पत्र कागज सं०–30ग / 27, छायाप्रति सहायक अभियन्ता नगर पालिका परिषद द्वारा मध्यम आय वर्ग सं०–377 के सम्बन्ध में कब्जा देना व कब्जा प्राप्त करने का प्रमाण पत्र दिनांक 03.09.1998 कागज सं०–30ग / 28, छायाप्रति जलकल सेसन दिनांक 16.10.1999 मु०–182 श्रीमती मीरा दत्त कागज सं०–30ग / 29, छायाप्रति कौशल कुमार पुत्र राघव सिंह समक्ष अध्यक्ष संगठित नगर विकास योजना नगर पालिका देवरिया कागज सं०–30ग / 30, छायाप्रति अधिशासी अधिकारी आदेश दिनांक 21.06.1998 से भूखण्ड सं–349 के आवंटन हेतु 53,700 / –रूपया जमा करने हेतु कागज सं०–30ग / 31, छायाप्रति रसीद सेन्ट्रल बैंक देवरिया दिनांक 03.09.1997 तथा सूचि 29ग / 4 से छायाप्रति भूखण्ड सं–349 कब्जा देने व प्राप्त करने का आदेश दिनांक 03.09. 1997 कागज सं०–30ग / 33, छायाप्रति जलकल सेसन प्राप्त करने की रसीद मु. 190 / दिनांक 16. 10.1999 कागज सं०–30ग / 4, छायाप्रति मानचित्र स्वीकृति आदेश दिनांक 19.01.1999 नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र देवरिया कौशल कुमार कागज सं०–30ग / 35, छायाप्रति प्रार्थना पत्र द्वारा ब्रह्मेश्वर दत्त मध्यम वर्ग भूखण्ड हेतु अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया कागज सं०–30ग / 36, छायाप्रति आदेश अधिशासी अधिकारी देवरिया दिनांक 01.06.1998 भु०सं० 370 के लिए मु०–70,623 / –जमा करने हेतु कागज सं०–30ग / 37, छायाप्रति रसीद पैसा जमा

70,623/–सेन्ट्रल बैंक देवरिया दिनांक 07.08.1998/08.08.1998 कागज सं०–30ग/38 व 30ग/39, छायाप्रति कब्जा देने व प्राप्त करने हेतु प्रमाण पत्र 03.03.1998 द्वारा सहायक अभियन्ता नगर पालिका परिषद देवरिया कागज सं०–30ग/40, छायाप्रति जलकल सेशन मु०–188 दिनांक 16.10.1999 कागज सं०–30ग/41, छायाप्रति मानचित्र स्वीकृत नियत प्राधिकारी देवरिया दिनांक 18.01.1999, छायाप्रति समाचार पत्र सहारा 29 जून आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर उच्च आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड के अवंटीयन की सूचना कागज सं०–30ग/42, छायाप्रति आवंटन हेतु सूचना स्वतंत्र भारत 11.01.1997 द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया तथा सूची 29ग/5 से छायाप्रति आदेश माननीय न्यायालय इलाहाबाद CMWPNP828/99 जिला देवरिया अधिशासी अधिकारी प्रथम निर्माण खण्ड जल निगम बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य दिनांक 14.08.07 कागज सं०–30ग/46, छायाप्रति प्रति शपथ पत्र द्वारा नगर पालिका परिषद देवरिया CMWPN O12828/99 अधिशासी अधिकारी बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य कागज सं०–30ग/51, संगठित विकास योजना एवं नागरिक समन्वय समिति में पारित प्रस्ताव दिनांक 14.07.1997 की छायाप्रति कागज सं०–30ग/64 तथा सूची 29ग/6 से तत्कालीन नगर पालिका प्रभारी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की छायाप्रति दिनांक 13.06.1997 कागज सं०–30ग/65, छायाप्रति अधिशासी अधिकारी के पत्रांक संख्या 383 दिनांक 01.01.1997 कागज सं०–30ग/60, सहयुक्त नियोजन के पत्रांक सं 760 दिनांक 28.01.2000 की छायाप्रति कागज सं०–30ग/, जिलाधिकारी के पत्रांक सं 655 दिनांक 06.05.2000 जो शासन के भेजा गया की छायप्रति कागज सं०–30ग/73, अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक सं 876 M दिनांक 07.12.2000 की छायाप्रति कागज सं०–30ग/75, संयुक्त सचिव के पत्र दिनांक 23.01.1998 की छायाप्रति कागज सं० 30ग/76, उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित पत्र अधिशासी अधिकारी नगर परिषद दिनांक 08.11.88 की छायाप्रति कागज सं०–30ग/77, अपर जिलाधिकारी प्रशासन के पत्र दिनांक 20.12.87 की छायाप्रति कागज सं०–30/79, अध्यक्ष नगर पालिका के पत्रांक सं 677 दिनांक 27.11.87 की छायाप्रति कागज सं०–30ग/80, उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 3651 की छायाप्रति कागज सं०–30ग/82, उत्तर प्रदेश संगठित विकास योजना की नियमावली की छायाप्रति कागज सं०–30ग/84, दाखिल की गयी।

26. मूल वाद संख्या 406/2007 के प्रतिवादिनी सं०–6 पार्वती देवी द्वारा सूची 199ग से मूल नक्शा नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा बना है कागज सं०–200ग, असल कब्जा आवंटियन कागज सं०–201, असल एग्रीमेन्ट कागज सं०–202, असल रसीद सेन्ट्रल बैंक दिनांक 07.08.1998, असल रसीद सेन्ट्रल बैंक दिनांक मु० 50,000 दिनांकित 07.08.1998, असल रसीद. सेन्ट्रल बैंक दिनांक मु० 21160 जमा दिनांकित 01.10.1998, रसीद सेन्ट्रल बैंक दिनांक मु० 981 दिनांकित 03. 12.1998 दाखिल किया गया।

27. मूल वाद 406/2007 के वादी द्वारा सूची 203ग से (1) छायाप्रति पत्रांक संख्या 383/97–98 दिनांकित 07.07.1997 को नगर पालिका परिषद देवरिया के तत्कालीन अध्यक्ष शिवहरि सिंह द्वारा भेजा गया सहयुक्त नियोजक को पत्र कागज संख्या 204ग/1, (2) छायाप्रति

पत्रांक संख्या 383/97–98 दिनांकित 07.07.1997 को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा सहयुक्त नियोजक को भेजा गया तथाकथित पत्र कागज संख्या 204ग/2 दाखिल किया गया है।

28. मूल वाद संख्या 388/2007 के प्रतिवादी द्वारा सूची 257ग से (1) जांच रिपोर्ट ए0डी0एम0 की छाया प्रति कागज संख्या 258ग/1 ता 258ग/13, (2) जिलाधिकारी का पत्र 14.01.1999 की छायाप्रति कागज संख्या 258ग, (3) रिट संख्या 12828/1999 के आदेश की छायाप्रति, (4) नगर पालिका के गृहकर की छायाप्रति 14.10.2007 कागज संख्या 258ग/16, (5) बिल नगर पालिका की छायाप्रति कागज संख्या 258ग/17, (6) कर निर्धारण की रसीद की छायाप्रति कागज संख्या 258ग/18, (7) अधिशासी अभियन्ता जल निगम का पत्र 29.11.2003 की छायाप्रति कागज संख्या 258ग/19, (8) सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 04.09.1986 की छायाप्रति कागज संख्या 258ग/20 दाखिल किया गया है।

29. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अग्रणी वाद संख्या 388/2007 में वाद बिन्दु संख्या 02 एवं वाद संख्या 406/2007 में वाद बिन्दु संख्या 03 को दिनांक 03.08.2009 को वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है।

30. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अग्रणी वाद संख्या 388/2007 में वाद बिन्दु संख्या 3, 4, 6 व 7 एवं वाद संख्या 406/2007 में वाद बिन्दु संख्या 10, 11, 12 व 13 के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष दिया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे कि वादीगण के कथनों पर विश्वास न किया जा सके। उपर्युक्त के आलोक में उपर्युक्त वाद बिन्दु को तद्नुसार निस्तारित किया गया है।

31. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अग्रणी वाद संख्या 388/2007 में वाद बिन्दु संख्या 5 एवं वाद संख्या 406/2007 में वाद बिन्दु संख्या 9 के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष दिया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे कि वादीगण के कथनों पर विश्वास न किया जा सके। उपर्युक्त के आलोक में उपर्युक्त वाद बिन्दु को तद्नुसार निस्तारित किया गया है।

32. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 406/2007 में वाद बिन्दु संख्या 4, 5, 6, 7 व 8 के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष दिया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे कि वादीगण के कथनों पर विश्वास न किया जा सके। उपर्युक्त के आलोक में उपर्युक्त वाद बिन्दु को तद्नुसार निस्तारित किया गया है।

33. अग्रणी वाद संख्या 388/2007 में वाद बिन्दु संख्या 1 को वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है एवं समेकित मूल वाद 406/2007 में वाद बिन्दु संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया गया है।

34. समेकित मूल वाद संख्या 406/2007 में वाद बिन्दु संख्या 1 वादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया गया है।

35. अतएव अग्रणी मूल वाद वादीगण के पक्ष में आज्ञाप्ति किया गया है व समेकित मूल वाद संख्या 406/2007 खारिज किया गया है।

36. अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 15/2022 में ये आधार लिये गये हैं कि प्रश्नगत आदेश विधि तथा तथ्यो के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्युतरदातागण प्रथम पक्ष ने मु० नं0 388/07 श्रीमती गीता देवी बनाम उ० प्र० जल निगम वगैरह अपीलार्थी तथा प्रत्युतरदातागण द्वितीय पक्ष के खिलाफ वावत दादरसी इम्तनाई दवामी दाखिल करते हुए यह याचना किया है कि इस सम्बन्धित मूल वाद के प्रतिवादीगण को सर्वदा के लिए वर्जित कर दिया जावे कि वे इस वाद के विवादित भूखण्डो पर सम्बन्धित वादीगण के कब्जा दखल मे कोई हस्तक्षेप न करे और न उन्हें बेदखल करे और ना ही निर्माण कार्य में अवरोध करे और न किसी और के पक्ष मे आवंटित करे न अन्य के पक्ष मे विक्रय विलेख निष्पादित करे। सम्बन्धित मूल वाद मे वादीगण की केस यह है कि उन्होने वर्ष 1997 में प्रत्युतरदातागण द्वितीय पक्ष की प्रकाशन सूचना दिनांक 10–11–97 के आधार पर भूखण्डो के आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र दिया तथा उन्हे सम्बन्धित भूखण्ड आवंटित करके उनको उस पर कब्जा दखल करा दिया गया तथा उन्होंने सम्बन्धित धनराशि संगठित विकास योजना निधि नगर पालिका परिषद देवरिया के खाते में जमा कर दिया। अपीलार्थी का विवादित भूखण्डो से कोई वास्ता सरोकार नही रहा है तथा अपीलार्थी विवादित भूखण्डो पर काबिज दखिल नही रहे। वादीगण का यह अभिकथन है कि उन्होने विवादित भूखण्डो पर निर्माण कराया जो वर्ष 2007 में अतिवृष्टि के कारण क्षति ग्रस्त हो गया वादीगण ने यह भी अभिकथन किया है कि अपीलार्थी ने विवादित भूखण्डो के बावत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे रिट याचिका संख्या 12828/99 अधिशासी अभियन्ता बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य, दाखिल किया तथा प्रत्युत्तरदातागण प्रथम पक्ष को इस याचिका मे प्रथमतः यह जानकारी हुई कि विवादित भूखण्ड अपीलार्थी के पक्ष में आवटित थे परन्तु दिनांक 15–7–97 को अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवेदन रदद कर दिया गया तथा इस रिट याचिका में नगर पालिका परिषद देवरिया ने अपना प्रति शपथपत्र प्रस्तुत करके अपीलाथी के पक्ष मे किये गये आवंटन को निरस्त करके प्रत्युतरदातागण प्रथम पक्ष के हक मे आवंटन करके कब्जा दखल दे दिया। सम्बन्धित मूल वाद के प्रतिवादी ने अपनी जबाबदेही दाखिल करते हुए यह अभिकथन किया है कि प्रत्युतरदातागण प्रथम पक्ष के हक मे किया गया आवंटन नुमाइसी, कानून के मंशा के खिलाफ तथा गलत है। अपीलार्थी के पक्ष में 17 भूखण्ड का आवंटन दिनांक 13–3–85 को कर दिया गया तथा नियमानुसार अपीलार्थी ने दिनांक 10–4–86 को आवंटन हेतु वांछित धनराशि मु० 6,94,000/– रूपया जमा कर दियां। ऐसी परिस्थिति में नियमानुसार अपीलार्थी काबिज दखिल हो गये एव तभी से अपीलार्थी विवादित भूखण्डों पर निरन्तर काबिज दखिल चले आ रहे है तथा अपीलार्थी ने काबिज दखिल होने के तुरन्त बाद ही आवंटित भूखण्डो को चाहारदीवारी से घेर लिया तथा कतिपय भूखण्डो मे अपीलार्थी ने भवन निमार्ण भी कराया। अपीलार्थी की जबाबदेही यह भी है कि पूर्व अध्यक्ष रामायण राव द्वारा दिनाक 24–1–92 को दैनिक समाचार पत्र में यह सूचना प्रकाशित की गयी कि आवंटित भूखण्डो की लीज डीड होगी, ऐसी परिस्थिति मे इस सूचना की चुनौती विभाग के सचिव द्वारा

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 5305/92 के जरिए की गयी तथा इस रिट याचिका मे नगर पालिका परिषद उपस्थित हुई तथा एक शपथपत्र दाखिल करते हुए कहा कि सभी सम्बन्धित आवंटीगण को विकय पत्र निष्पादित किया जायेगा तथा जिस पर संबंधित रिट याचिका को बलहीन मानते हुए निस्तारित कर दिया गया तथा यह विचार व्यक्त किया गया कि नगर पालिका परिषद आवंटियो के पक्ष में सेलडीड का निष्पादन करें उस रिट याचिका के निस्तारण के बाद कल्याण समिति के सचिव ने सेल डीड के निष्पादन के लिए पत्र दिया जिसके उतर में नगरपालिका के तत्कालीन अध्यक्ष डा०. शिवहरि सिंह ने दिनाक 26–10–98 के द्वारा यह सूचित किया कि सेल डीड या किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण शासन की अनुमति के बिना निष्पादित किया जाना सम्भव नही है तथा सेल डीड निष्पादित करने का निर्णय नगर पालिका द्वारा लिया गया है तथा सेल डीड निष्पादित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अनुमति हेतु शासन को पत्र दिया गया है तथा सेलडीड का निष्पादन शासन से अनुमति मिलने के बाद ही कर दिया जायेगा। अलावा इसके नगर पालिका परिषद देवरिया ने दिनांक 21–2–97 तथा दिनांक 3–3–97 मे ही गलत सूचना इस आशय का निकाला था कि आवंटन के 5 वर्ष पूर्ण हो जानें के बाद जो आवंटी भवन निर्माण नहीं करा सके है उनका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तब अपीलार्थी के तरफ से शासन को यह पत्र लिखा गया कि निर्माण हेतु धन की आवश्यकता है तथा शासन से धन तभी प्राप्त होता है जब नक्शा स्वीकृत हो तथा नक्शा सेल डीड के बाद ही बन सकेगा इसलिए निवेदन किया गया कि सेल डीड तत्काल निष्पादित करा देवे परन्तु नगर पालिका परिषद देवरिया सेल डीड निष्पादित करने मे टाल मटोल करती रही। ऐसी परिस्थित में प्रतिवादी संख्या 2 ने निजी लाभ तथा मेली मददगारो को लाभ पहुचाने के लिए दिनांक 29–11–98 को यह सूचना निकाला कि अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 14–7–97 को निरस्त कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में जिलाधिकारी ने इस निरस्तीकरण के सम्बन्ध में जॉच किया तथा निरस्तीकरण प्रकिया को गलत व फर्जी पाया तथा यह निर्धारित किया कि निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। परिस्थिति उपरोक्त में अपीलार्थी ने निरस्तीकरण के खिलाफ याचिका संख्या 12828/99 दाखिल किया जिसमें निरस्तीकरण आदेश को स्थगित कर दिया गया तथा निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में उपचार उपलब्ध करें। तब प्रतिवादी ने वाद संख्या 406/07 दाखिल किया जिसके अर्जीदावा में अपीलार्थी ने मु० नं0 388/07 मे लिए गये केस के आधार पर दावा दाखिल किया तथा मु० नं0 406/07 के अर्जीदावा में यह भी कथन किया कि नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष डा० शिवहरि सिंह ने शासन द्वारा भेजे गये पत्र के स्थान पर दूसरा पत्र अपने मन माफिक जाहिर करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में हुए आवंटन को मनमाने तौर पर निरस्त कर दिया उभयपक्ष के उपरोक्त अभिकथनो के आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने निम्नांकित वाद बिन्दु कायम किया।

क– क्या वादीगण 1 लगायत 6 वादपत्र में अभिकथित आधारो पर कमशः विवादित भू खण्ड संख्या 242, 241, 372, 371, 349, 370, एम आई जी के मालिक एवम काबिज दखिल है?

ख–क्या वाद का मूल्यांकन कम दिया गया है तथा प्रदत न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

ग–क्या दावा वादीगण 326 नगर पालिका एक्ट से वाधित है?

घ–क्या वादीगण का दावा धारा 17 एवं धारा 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट से वाधित है?

ड–क्या प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है?

च–क्या प्रस्तुत वाद मे विवर्धन के सिद्धान्तो की बाधा है?

छ–क्या प्रस्तुत वाद में मौन सहमति की बाघा है?

ज–क्या वादी किसी अन्य अनुतोष का अधिकारी है?

37. अग्रेत्तर अपील में यह भी अभिकथन किए गए हैं कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 388/07 तथा वाद संख्या 406/07 को समेकित करते हुए वाद संख्या 388/07 को होना कायम किया है। उल्लेखनीय है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्युतरदातागण प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेज छाया प्रतियों को साक्ष्य में ग्राह्य मानते हुए प्रश्नगत आदेश मनमाने तौर पर पारित किया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने हसमुददीन अदालत अमीन द्वारा तैयार किये गये नक्शा के आधारों पर प्रत्युतरदातागण प्रथम पक्ष का विवादित भूखण्ड पर कब्जा होने तथा हक मालिकाना होना निर्धारित किया है जो कानूनन सम्भव नही है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेजो पर फैसला नही किया है तथा अपीलार्थी के स्वतंत्र साक्षीगण पर भी विश्वास नहीं किया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद ए० डी० एम० प्रशासन (बसन्तलाल) की जॉच आख्या तथा तत्कालीन जिलाधिकारी की जाँच तथा आदेश को बिल्कुल ही कन्सीडर न करते हुए आक्षेपित फैसला पारित कर दिया। डीड अथवा सेलडीड निष्पादित होने के पश्चात यदि पाँच वर्षों की अवधि के अन्दर यदि सम्बन्धित आवंटी उसमें निर्माण कार्य नहीं करायेगा तो उसके पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जा सकता है। चूँकि प्रत्युतरदातागण द्वितीय पक्ष द्वारा जान बूझकर दुर्भावनापूर्वक अपीलार्थी के पक्ष में लीज डीड अथवा सेलडीड निष्पादित ही नही की गयी ऐसी दशा मे विधितः अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता था। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन अध्यक्ष शिवहरि सिंह ने अपीलार्थी तथा अन्य आवंटीगण के पक्ष में सम्बन्धित भूखण्डो का फ्री होल्ड करने के लिए पत्र भेजा था जिसके जबाब में सहयुक्त नियोजक गोरखपुर ने अपनी टिप्पणी देते हुए नगर पालिका परिषद अध्यक्ष को निर्देशित किया कि शासन के द्वारा निर्गत शासनादेशो के तहत फ्री होल्ड किया जा सकता है। इसमें सर्किल रेट डेपलपमेण्ट चार्ज एडमिन आदि चार्जस सभी का आकंलन कर लिया जाय और जिलाधिकारी/अध्यक्ष नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक मे रखकर निर्णय ले लिया जाय और शीघ्र ही कियान्यवन करा दिया जाय, परन्तु तत्कालीन अध्यक्ष ने इस वास्तविक एवं सही पत्र को छिपाते हुए उसके स्थान पर दूसरा पत्र तैयार करते हुए उसके आधार पर आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाया। प्रत्युत्तरदातागण द्वितीय पक्ष द्वारा कहा गया कि प्रस्ताव दिनांक 14–7–97 कदापि पारित नही हुआ और न तो इस सम्बन्ध में कोई बैठक ही हुई, बल्कि प्रस्ताव दिनांकित 14–7–97 फर्जी तथा नुमाइसी है, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार नही किया है। विवादित भूखण्डो पर अपीलार्थी का कब्जा दखल वखूबी सावित है तथा प्रत्युतरदातागण प्रथम पक्ष उन पर काबिज दखिल नही है, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय

ने प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया है। यदपि मूल वाद संख्या 388/07 वादी कौशल के वारिसो द्वारा दाखिल नही किया गया है इसके बावजूद भी उनके भी पक्ष में प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने दिये गये अधिकारो का प्रयोग नही किया है तथा ऐसे अधिकारो का प्रयोग किया है जो उसमे निहित नही है। प्रश्नगत आदेश कल्पनाओ के आधार पर पारित है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का भॉति परिशीलन नहीं किया है तथा जल्दबाजी में फैसला पारित किया है। अतः अपील सव्यय स्वीकार की जावे तथा आक्षेपित फैसला व डिक्री दिनांक 23–12–21 अपास्त करने की याचना की गयी है।

38. अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 18/2022 में ये आधार लिये गये हैं कि विषय बस्तु मे वर्णित निर्णय दिनांक 23–12–2021 व तद् आधारित आज्ञप्ति दिनांक 10–1–2022 एतद पश्चात आक्षेपित आज्ञप्ति विधि तथ्य एवम् वास्तविकता के विपरीत है। इसलिए निरस्त होने योग्य है। माननीय अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारो के अभिवचनो का न तो गहनता पूर्वक अवलोकन किया है और न उनका वर्णन आक्षेपित निर्णय में किया है आक्षेपित निर्णय न्याय की घोर उपेक्षा पर आधारित है। वाद विन्दु विरचित करते समय भी परीक्षण न्यायालय ने न तो पक्षकारो के अभिबचनों का गहन परिशीलन किया और न आवश्यक वाद विन्दु विरचित किया बल्कि, सरसरी तौर पर पररम्परागत वाद बिन्दु विरचित कर उन पर आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी उत्तरदातागण प्रथम पक्ष द्वारा पक्षकारो के पक्ष विपक्ष में की गयी निरस्तीकरण तथा आवंटन की प्रक्रिया के वैधानिकता तथ्य न्यायसंगतता के सम्बन्ध में भी वाद बिन्दु विरचित किया जाना आवश्यक था जिसके बिना वाद का उचित विधिक साम्यापूर्ण तथा विवेकपूर्ण निर्णय सम्भव नही था ऐसा न कर परीक्षण न्यायालय ने भारी भूल किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा समेकित अग्रणी वाद में भूखण्डों के आवंटन तथा उनके आधार पर की गयी प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक वाद बिन्दु विरचित करना चाहिए था लेकिन ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल किया है। परीक्षण न्यायालय ने अग्रणी वाद में बिन्दु संख्या 1 ही त्रुटिपूर्ण विरचित किया है। भूखण्ड संख्या 370, 371, 372, तथा 349 एम.आई. जी. तथा भूखण्ड संख्या 241 व 242 एच.आई.जी. भूखण्ड है। जिनका आंवटन किया गया है, उक्त आवंटन सम्बन्धी प्रक्रिया ही पूर्णतः अविधिक तथा दोष पूर्ण है। उक्त भूखण्डो पर अपीलार्थी की बाउन्डरी वाल तथा गेट पहले से ही स्थापित है। जिसके सम्बन्ध में वादी अपीलार्थी ने स्वतंत्र साक्ष्य से संस्थित किए हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त साक्ष्य पर निराधार अविश्वास कर आक्षेपित निर्णय प्रदान किया है इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय प्रदान करने के पूर्व पत्रावलियों का सम्यक परिशीलन नही किया है। वर्ष 1996 में उत्तरदातागण प्रथम पक्ष द्वारा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भूजौली देवरिया में भूखण्ड आवंटन की विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अपीलार्थी ने 17 भूखण्डो के सम्बन्ध में आवेदन कर धनराशि जमा किया और आवंटित भूखण्डो पर अध्यासन कर बाउन्ड्री वाल का निर्माण कर गेट लगा दिया। उसी समय से विवादित भूखण्ड वादी अपीलार्थी के अध्यासन में है। उत्तरदाता का वाद सतत व्यादेश हेतु है। चूँकि विवादित भूखण्ड आवंटन राशि जमा करने के वर्ष 1986 से ही अपीलार्थी वादी के विशिष्ट अध्यासन में है, इसलिए यदि प्रतिवादी

उत्तरदातागण विपक्षीगण के पक्ष में किये गये अवैध आवंटन तथा ततसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया को वैध भी मान लिया जाय, तो भी जब तक वादी अपीलार्थी उक्त भूखण्ड से वैध रीति से अनाध्यासित नही होता, प्रतिवादी उत्तरदातागण द्वितीय पक्ष को वाद न तो अध्यासन प्राप्त हो सकता है, न ही उनको अग्रणी वाद में अनुतोष प्राप्त हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि न ही उनको अग्रणी वाद में अनुतोष प्राप्त हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि अग्रणी वाद में आवश्यक अनुतोष याचित न होने के कारण उसे आज्ञप्त नहीं होना चाहिए था। इस विधिक बिन्दु पर विचार कर अधीनस्थ न्यायालय ने महान त्रुटि किया है। आक्षेपित निर्णय मात्र इसी आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है। वादी अपीलार्थी द्वारा संस्थित समेकित वाद में क्रमशः अनुतोष संख्या 1 घोषणात्मक संख्या 2 आज्ञापक तथ्य संख्या 3 सततव्यादेश हेतु याचित किये गये थे, अधीनस्थ न्यायालय अग्रणी वाद के वाद बिन्दु संख्या 1 तथा अविधिक व भ्रमपूर्ण तथा अर्थ रहित रीति से समेकित वाद में विरचित किये गये वाद बिन्दु संख्या 2 को समेकित कर विधि, तथ्य तथा साक्ष्य के विपरीत निर्णय प्रदान किया है। समेकित वाद में विरचित वाद बिन्दू सख्या 2 हास्यास्पद तथा भ्रमपूर्ण है। उसके आधार पर निर्णय पारित ही नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय अमीन की आख्या को आधार–साक्ष्य मानकर निर्णय प्रदान किया है। न्यायालय अमीन ने न्यायालय निर्देश तथा प्रक्रिया व साक्ष्य विधि के विपरीत विपक्षीगण के पक्ष में साक्ष्य दिया है, जो उसके अधिकार तथा कर्तव्य के भी विपरीत है। इस तथ्य पर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने महान भूल किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा शेष पक्षकारो के पक्ष–विपक्ष में की गयी आवंटन निरस्तीकरण आवंटन प्रक्रिया की वैधानिकता पर विचार, वाद बिन्दु विरचन व साक्ष्य का अवलोकन तथा निष्कर्ष प्रदान किये बिना अग्रणी तथा समेकित वाद का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए था। इस पर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने अति सामान्य रीति से सरसरी तौर पर निर्णय प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा संस्थित एवं उपलब्ध लोक साक्ष्य पर न तो विचार किया है और न ही विश्वास किया है। इसके विपरीत काल्पनिक तथा उत्तरदातागण द्वारा किये गये कथनों तथा प्रदत्त साक्ष्य पर एकपक्षीय रूप से विचार तथा विश्वास कर आक्षेपित निर्णय प्रदान किया है जो मात्र इसी आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी वादी द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को प्रश्नांकित न्यायालय द्वारा उसकी तथा परीक्षण प्रकिया के लिए उचित आदेश किये जाने की स्थिति में अधीनस्थ सत्यता तथा वैधानिकता के सम्बन्ध में साक्ष्य आमंत्रित किया जाना तथा प्रस्तुत करने पारित किया जाना चाहिए था। ऐसा करने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हो जाती। समस्त वास्तविकता जिससे साम्या तथा विधि पूर्ण निर्णय पारित होता लेकिन ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने काफी भूल किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मात्र इसी आधार पर अपास्त होने योग्य है। आक्षेपित निर्णय से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया विधि की अवहेलना तथा उपेक्षा पूर्णतः स्पष्ट है। इससे न्याय की असफलता उत्पन्न हुई है। जिससे अपीलार्थी की अपूर्णनीय क्षति है। आक्षेपित निर्णय से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अन्दर निहित क्षेत्राधिकार का उचित विधिक तथा विवेकपूर्ण प्रयोग न कर अनिहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है। विपक्षीगण उतरदातागण प्रथम पक्ष द्वारा अपीलार्थी को

आवंटित विवादित भूखण्डो का निरस्तीकरण तथा विपक्षी उतरदातागण द्वितीय पक्ष के पक्ष में की गयी तथा आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः अविधिक तथा दोषपूर्ण है। इस सन्याय के स्थापित सिद्धान्तो की अनदेखी तथा अवहेलना की गयी है जिससे न्याय की असफलता उत्पन्न हुई है। यदि अपील के लंबन के दौरान कोई अन्य आधार स्पष्ट होता है तो उसका अंन्त स्थापन भी अपील के आधारो में किया जायेगा। उपरोक्त आधारो के साथ साथ आक्षेपित आज्ञप्ति अन्य आधारो पर भी अपास्त होने योग्य है। आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति हर प्रकार से अपास्त होने योग्य है। अतः विषय वस्तु में वर्णित आक्षेपित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 23.12.2021 अपास्त कर अपीलार्थी का वाद आज्ञप्त करने का निवेदन किया गया है।

39. अपील संख्या 15/2022 में अधिशासी अभियन्ता जल निगम देवरिया लिखित बहस कागज संख्या–29क/1 ता कागज संख्या 29क/18 एवं प्रतिउत्तरदातागण संख्या 01 ता 09 प्रथम पक्ष द्वारा लिखित बहस कागज संख्या–30क/1 ता 30क/45 दाखिल की गयी है तथा प्रत्यर्थी संख्या 6 श्रीमती पार्वती देवी भी लिखित बहस कागज संख्या 30क/1/1 ता 30क/1/4 दाखिल किया गया है।

40. अपील संख्या 18/2022 में अधिशासी अभियन्ता जल निगम देवरिया, शाखा देवरिया द्वारा लिखित बहस कागज संख्या–31क/1 ता 31क/18 एवं प्रतिउत्तरदातागण संख्या 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15 गीता देवी आदि द्वारा लिखित बहस कागज संख्या 32क/1 ता 32क/27 दाखिल की गयी है।

41. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की लिखित बहस सुनी गयी एवं मूल पत्रावली का सम्यक अवलाकन किया तथा उनके तर्को पर विचार किया गया।

42. अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय **विधि स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम हरफूल सिंह (2000) 5 एस०सी०सी० 652** निर्णय **विधि मधुकर बनाम संग्राम, ए०आई०आर० 2001 एस०सी०2171** में दी गयी विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य की समीक्षा की गयी।

43. प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु **आदेश 41 नियम 31 व्यवहार प्रक्रिया संहिता** के प्रावधानों को दृष्टिगत निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु उत्पन्न होते हैं:–

1. क्या मूल वाद संख्या 388/2007 के वादीगण/प्रत्युर्थीगण विवादित भूखण्डों के मालिक काबिज हैं ?

2. क्या मूल वाद संख्या 406/2007 के वादी/अपीलार्थी उ0प्र0 जल निगम प्रथम निर्माण प्रथम खण्ड देवरिया विवादित भूखण्डों के मालिक काबिज हैं ?

3. क्या प्रतिवादी प्रथम पक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा मूल वाद संख्या 406/2007 के वादी/अपीलार्थी उ0प्र0 जल निगम प्रथम निर्माण प्रथम खण्ड देवरिया को आवंटित विवादित भूखण्डो का निरस्तीकरण तथा मूल वाद संख्या 388/2007 के वादीगण/प्रत्युर्थीगण को की गयी आवंटन तथा आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतय अवैधानिक तथा दोषपूर्ण है ?

4. क्या मूल वाद संख्या 388/2007 व मूल वाद संख्या 406/2007 धारा 326 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से बाधित है ?

5. क्या मूल वाद संख्या 388/2007 व मूल वाद संख्या 406/2007 काल बाधित है?

6. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 388/2007 आज्ञप्त कर व मूल वाद संख्या 406/2007 खारिज कर त्रुटिपूर्ण या कोई गम्भीर अनियमितता की गयी है ?

Burden of Proof:-

44. Before we proceed to adjudicate on the above determinative issues it is relevant to mention **Sections 101, 102 and 103 of the Indian Evidence Act, 1872.**

Section 101- Burden of Proof- whoever desires any Court to give Judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.

When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Section 102- On whom burden of proof lies- The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Section 103- Burden of proof as to particular fact- The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact lie on any particular person.

45. The Hon'ble Supreme Court in **Jagdish Prasad Patel V/s Shivnath & Ors 2019 SAR (Civil) 765 S C** has held that "plaintiffs could succeed only on the strength of their own title and not on the weakness of the case of defendant."

46. निर्णय विधि **एम०एम०बी कैथोलिकोज बनाम एम०पी० अथानासियस ए०आई०आर० 1954 एस0सी0 526** में दी गयी विधि व्यवस्था के अनुसार वादी अपने टाइटिल के बल पर ही सफल हो सकता है और सफल होने के लिये अपने केस को साबित करने का भार वादी पर ही है।

47. इस प्रकार धारा–101, 102 एवं 103 भारतीय साक्ष्य अधिनिमय 1872 तथा उपरोक्त व्यवस्थाओं के दृष्टिगत यह स्पष्ट होता है कि वाद को साबित करने का प्रारम्भिक भार वादी कमजोरियों के आधार पर। उक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा की गयी।

48. The Hon'ble Supreme Court in **Gulab Chand V/s Kubi Lal AIR 1966 SC 1734** has held that in civil cases the burden of proof in the sense of proving a case is discharged by more of preponderance of probability. The standard of proof applies in all the civil cases. The Court has to strike the balance of probability. It is a settled law that the onus of proof is ambulatory. It has to be seen whether the initial burden has been discharged or not.

<u>Powers of the Appellate Court</u>

49. The Hon'ble Supreme Court in **Dayawati Vs. Inderiit AIR 1966 SC 1423 and in Dilip Vs. Mohd. Aizul. (2000) 3 SCC 671** has held that "an appeal is a continuation of suit. An appeal is virtually a rehearing of the matter."

50. The Hon'ble Supreme Court in **Collector of Customs Vs. East India Commercial Co- AIR 1963, 1024 (1126) and in Tarlok Singh Vs. Municipal Corporation Amritsar, AIR 1986 SC 957** has held that when an appeal is made, "The Appellate Court can do one the three things, namely:

(i). It may reverse the order under appeal,

(ii). It may modify that order, and

(iii). It may merely dismiss the appeal and thus confirm the order without any modification.

51. It is also relevant to mention that Order VII Rule 14 of C.P.C cast duty on the plaintiff to produce all the documents in the Court on which he relies at the time when the suit is presented and if not in possession then state in whose possession or power it is.

52. Similarly Order VIII Rule 1A of CPC cast duty on the defendant to produce all the documents in the Court on which he bases his defence or relies at the time when the written statement is presented and if not in possession then state in whose possession or power it is.

<u>निष्कर्ष</u>

53. **<u>अवधार्य प्रश्न सं० 1, 2 व 3 का निस्तारणः—</u>**

1. क्या मूल वाद संख्या 388/2007 के वादीगण/प्रत्युर्थीगण विवादित भूखण्डों के मालिक काबिज हैं ?

2. क्या मूल वाद संख्या 406/2007 के वादी/अपीलार्थी उ0प्र0 जल निगम प्रथम निर्माण प्रथम खण्ड देवरिया विवादित भूखण्डों के मालिक काबिज हैं?

3. क्या प्रतिवादी प्रथम पक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा मूल वाद संख्या 406/2007 के वादी/अपीलार्थी उ0प्र0 जल निगम प्रथम निर्माण प्रथम खण्ड देवरिया को आवंटित विवादित भूखण्डो का निरस्तीकरण तथा मूल वाद संख्या 388/2007 के वादीगण/प्रत्युर्थीगण को की गयी आवंटन तथा आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतय अवैधानिक तथा दोषपूर्ण है?

54. उक्त अवधार्य प्रश्न संख्या 1 को साबित करने का भार मूल वाद संख्या 388/2007 के वादीगण/प्रत्युर्थीगण को तथा अवधार्य प्रश्न संख्या 2 मूल वाद संख्या 406/2007 के वादी/अपीलार्थी पर है। उक्त अवधार्य बिन्दु संख्या 3 को साबित करने का भार मूल वाद संख्या 406/2007 के वादी/अपीलार्थी पर है। वादिनी गीता देवी आदि द्वारा वाद पत्र में किये गये अभिकथनों का ऊपर एवं वादी/अपीलार्थी उ0प्र0 जल निगम प्रथम निर्माण प्रथम खण्ड देवरिया द्वारा वाद पत्र में किये गये अभिकथनों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उनके द्वारा

प्रस्तुत जवाबदेही / बयान तहरीर एवं जबाबुलजवाब का भी ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। अतः उनका पुर्नवृत्ति नहीं किया जा रहा है। वादी गीता आदि एवं वादी जल निगम प्रथम निर्माण खण्ड निर्माण खण्ड देवरिया द्वारा आवंटन एवं कब्जा के आधार पर अपने–अपने को विवादित भूखण्डों का मालिक काबिज होना बताया गया है।

55. यह सुस्थापित विधि व्यवस्था है कि सर्वप्रथम वादी को ही अपने अभिकथनों को मूल दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर साबित किया जाना होता है।

56. मूल वाद 388 / 2007 के वादी आदि द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा वाद पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में असल दस्तावेज दाखिल किये गये हैं तथा उनको मौखिक साक्ष्य से भी साबित किया गया है। मूल वाद संख्या 406 / 2007 के वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई भी असल दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। उनके द्वारा जो भी दस्तावेज दाखिल किये गये हैं वे स्वप्रमाणित प्रतियां हैं या छाया प्रतियां हैं। इसलिए वे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। मूल वाद संख्या 388 / 2007 में वादीगण आदि द्वारा उपर्युक्त मूल / प्रमाणित दस्तावेज दाखिल किये गये हैं, जिनका खण्डन न किये जाने के कारण वे साक्ष्य में ग्राह्य हैं।

57. उक्त तर्क का खण्डन कर मूल वाद 406 / 2007 के वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सभी प्रमाणित कागजात दाखिल किये गये हैं।

58. मूल वाद 406 / 2007 के वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा उनके पक्ष में किये गये निरस्तीकरण एवं मूल वाद संख्या 388 / 2007 के वादीगण के पक्ष में किये गये आवंटन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किया गया है, जो अविधिक एवं दोषपूर्ण है।

59. उक्त तर्क का खण्डन करते हुए मूल वाद संख्या 388 / 2007 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके पक्ष में किये गये आवंटन नियम के अनुसार किया गया है तथा मूल वाद संख्या 406 / 2007 के वादी के पक्ष में किये गये आवंटन को विधिक का प्रक्रिया अपना कर उनका आवंटन निरस्त किया गया है। इसमें कोई भी अनियमितता व दोषपूर्ण नहीं है।

60. उपर्युक्त वादिनी गीता देवी आदि द्वारा अपने अभिकथनों को साबित करने हेतु अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में (1) मूल रसीद जलकल कनेक्शन हेतु दिनांक 03.08.1998 श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री नरेश कागज संख्या 74ग, (2) मूल रसीद जलकल कनेक्शन हेतु दिनांक 03.08.1998 श्रीमती विद्या देवी पत्नी कौशल कागज संख्या 75ग, (3) मूल रसीद जलकल कनेक्शन हेतु दिनांक 16.10.1999 श्रीमती आशा देवी पत्नी ब्रहमेश्वर कागज संख्या 76ग, (4) मूल रसीद जलकल कनेक्शन हेतु दिनांक 16.10.1999 श्रीमती मीरा देवी पत्नी मुक्तेश्वर कागज संख्या 77ग, (5) मूल रसीद जलकल कनेक्शन हेतु दिनांक 16.10.1999 ब्रहमेश्वर दत्त पुत्र कालिका प्रसाद सिंह कागज संख्या 78ग, (6) मूल रसीद जलकल कनेषन हेतु दिनांक 10.10.1999 कौशल सिंह पुत्र राघव सिंह कागज संख्या 79ग, (7) आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया दिनांक 01.06.1998

भूखण्ड 372 मध्यम वर्ग श्रीमती आशा दत्त कागज संख्या 80ग, (8) प्रमाण पत्र दिनांक 25.07.2002 पैसा जमा द्वारा सेन्ट्रल बैंक आशा दत्त पत्नी ब्रहमेश्वर दत्त ए0सी0 9541 मु0–70358/– कागज संख्या 82ग, (9) प्रार्थनापत्र समक्ष अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया भूखण्ड आवंटन हेतु द्वारा आशा दत्त कागज संख्या 83ग, (10) आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया दिनांक 01.06.1998 पैसा जमा करने हेतु भूखण्ड 371 मध्यम आय वर्ग श्रीमती मीरा दत्त कागज संख्या 84ग, (11) प्रमाण पत्र दिनांक 25.07.2002 द्वारा सेन्ट्रल बैंक मीरा दत्त मु0–70004/–खाता संख्या 9541 कागज संख्या 85ग, (12) कब्जा देने का प्रमाण दिनांक 03.09.1998 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया व कब्जा प्राप्त करने की प्रति 03.09.1998 द्वारा मीरा दत्त कागज संख्या 86ग, (13) रसीद दिनांक 03.09.1997 सेन्ट्रल बैंक देवरिया द्वारा विद्या देवी रूपया जमा करने सम्बन्ध कागज संख्या 87ग, (14) आदेश भूखण्ड संख्या 349 मध्यम के सम्बन्ध में पैसा जमा करने हेतु कौशल कुमार द्वारा अधिशासी अधिकारी देवरिया दिनांक 01.06.1998 कागज संख्या 88ग, (15) कब्जा देने का प्रमाण पत्र भूखण्ड 349 एम0आई0जी0 दिनांक 03.09.1998 व कब्जा प्राप्त करने का दिनांक 03.09.1998 द्वारा कौशल कुमार सिंह कागज संख्या 89ग, (16) रसीद ब्रहमेश्वर दत्त द्वारा 70,000/–रूपये दिनांक 07.08.1998 को सेन्ट्रल बैंक में जमा किया गया भूखण्ड संख्या 370 कागज संख्या 90ग, (17) रसीद ब्रहमेश्वर दत्त द्वारा मु0–623/–रूपये दिनांक 08.08.1999 को सेन्ट्रल बैंक में जमा किया गया भूखण्ड संख्या 370 कागज संख्या 91ग, (18) आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया भूखण्ड 370 मध्यम के सम्बन्ध में मु0–70,623/–रूपये दिनांक 01.06.1998 (ब्रहमेश्वर दत्त को) कागज संख्या 92ग, (19) प्रमाण पत्र कब्जा देने हेतु भूखण्ड 370 एम0आई0जी0 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद दिनांक 03.09.1998 ब्रहमेश्वर दत्त को कब्जा प्राप्ति दिनांक 03.09.1998 द्वारा ब्रहमेश्वर कागज संख्या 93ग, (20) आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया भूखण्ड संख्या 2423 रूपया दिनांक मु0–1,38,760/– जमा करने हेतु श्रीमती गीता देवी कागज संख्या 94ग, (21) रसीद रूपया 138760/–द्वारा गीता देवी खाता संख्या 6184 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देवरिया दिनांक 11.06.1998 कागज संख्या 95ग, (22) प्रमाण पत्र कब्जा देने हेतु भूखण्ड संख्या 242 एच0आई0जी0 श्रीमती गीता देवी द्वारा सहायक अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दिनांक 15.12.1997 की प्राप्ति प्रमाण कब्जा गीता देवी द्वारा प्राप्त किया गया दिनांक 15.12.1997 की प्रात्पि प्रमाण कागज संख्या 96ग, (23) आदेश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दिनांक 15.12.1997 रूपये 138760/–जमा करने हेतु भूखण्ड 241 उच्च आय वर्ग श्री विद्या देवी पत्नी कौशल कागज संख्या 97ग, (24) रसीद जमा संख्या मु0–1,38,760/–द्वारा विद्या देवी दिनांक 11.06.1998 खाता संख्या 6184/30 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया कागज संख्या 98ग, (25) नक्शा स्वीकृत आदेश दिनांक 18.01.1999 मानचित्र संख्या 591 विद्यावती देवी द्वारा नियम प्राधिकारी वि0क्षे0 देवरिया कागज संख्या 100ग, (26) नक्शा स्वीकृत आदेश द्वारा नियम प्रा0 वि0 क्षेत्र देवरिया दिनांक 18.01.1999 मानचित्र संख्या 595 कौशल कुमार कागज संख्या 101ग, (27) नक्शा स्वीकृत आदेश द्वारा नियम प्राधिकारी वि0क्षे0 देवरिया दिनांक 18.01.1999 मानचित्र संख्या 596 ब्रहमेश्वर दत्त कागज संख्या 102ग, (28) नक्शा स्वीकृत

आदेश द्वारा नियत प्रा0 वि0 क्षेत्र देवरिया दिनांक 20.01.1999 मानचित्र संख्या 21 गीता देवी पत्नी नरेश कागज संख्या 103ग, (29) प्रतिलिपि शपथ लिपिक कनक बिहारी नगर पालिका परिषद देवरिया उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट याचिका संख्या 12828/1999 अधिशासी अभियन्ता बनाम उ0प्र0 राज्य कागज संख्या 104ग, (30) प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक 13.06.1997 आचार्य रामचन्द्र भुजौली कालोनी में खाली भूखण्डों का आवंटन निरस्त करने हेतु कागज संख्या 105ग/1 ता 105ग/3, (31) प्रमाणित प्रति पत्रांक 383 दिनांक 7 जुलाई 1997 सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम्य नियोजक उ0प्र0 गोरखपुर द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया कगाज संख्या 106ग/1 ता 106ग/12, (32) प्रमाणित प्रति पत्रांक संख्या 760 दिनांक 29.01.2000 मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित सहयुक्त नियोजक गोरखपुर कागज संख्या 109ग/1 ता 109ग/5, (33) प्रमाणित प्रति दिनांक 14.07.1997 को नागरिक समन्वय एवं अनुसंधान समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यगण कागज संख्या 110ग/1 ता 110ग/3, (34) छायाप्रति जांच आख्या दिनांक 27.04.2005 द्वारा जे0बी0 सिंह अपर जिलाधिकारी देवरिया कागज संख्या 111ग, (35) शपथ पत्र दिनांक 27.03.2004 अनुरूद्ध सिंह वर्मा तत्कालीन लिपिक नगर पालिका परिषद देवरिया कागज संख्या 112ग, (36) प्रतिलिपि नकल आदेश दिनांक 17.02.2009 न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या 24, देवरिया वाद संख्या 623/2002 सुबाष चन्द्र सिंह बनाम अरूण कुमार कागज संख्या 113ग/1 ता 113ग/4, (37) प्रमाणित भूखण्ड मानचित्र आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया कागज संख्या 114ग, (38) प्रमाणित पत्र एस0एम0 उपाध्याय अनु सचिव उ0प्र0 शासन दिनांक 3 मार्च, 2000 प्रेषित जिलाधिकारी देवरिया विकास अनुभाग 8 लखनऊ कागज संख्या 115ग, (39) प्रमाणित पत्र संख्या 2052 09.08.2000**,** दिनांक 10 जनवरी, 2000 अवधेश नरायण अनु सचिव नगर विकास विभाग 8 जिलाधिकारी देवरिया को प्रेषित जिसमें 47 भूखण्ड भुजौली कालोनी में निरस्त कर पुर्न आवंटन हेतु निर्णय लिया कि विक्रय विलेख सम्पादित किया जाये कागज संख्या 116ग, (40) संगठित नगर विकास योजना द्वारा पुर्न निर्धारित एवं विकसित नियमावली भुजौली रोड, आवासीय योजना आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर देवरिया कागज संख्या 117ग, (41) प्रति विक्रय विलेख पत्र रामयण राव अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया दिनांक 11.12.2003 बहक शांति देवी पत्नी सुवेदार सिंह भूखण्ड 377 एम0आई0जी0 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया कागज संख्या 118ग/1 ता 118ग/11 दाखिल किये गये हैं। उपर्युक्त दस्तावेजों को साक्षी पी0डब्लू0–1 द्वारा साबित किया गया है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि वादीगण द्वारा जलकर मूल रशीद 74ग, 75ग, 76ग, 77ग, 78ग व 79ग दाखिल किये गये हैं, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी गीता देवी, विद्या देवी, मीरा देवी, ब्रहमेश्वर दत्त, कौशल सिंह द्वारा जलकर के रूप में निर्धारित जलकर अदा किया गया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि नगर पालिका परिषद देवरिया के जलकल विभाग द्वारा प्रश्नगत भूखण्डों पर कनेक्शन दिया गया और उनसे शुल्क लिया गया।

61. वादी/अपीलकर्ता अधिशासी अभियन्ता प्रथम अस्थाई निर्माण खण्ड उ0प्र0, शाखा देवरिया द्वारा अपने मूल वाद संख्या 406/2007 में किये गये अभिकथन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में वादी द्वारा सूची 8ग से (1). उत्तर प्रदेश आवंटन पत्र दिनांक 13.06.1986 की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज सं 9ग/1, (2). पत्रांक 525 दिनांक 10.04.1986 धनराशि जमा करने की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज सं 9ग/2, (3). नगर पालिका परिषद का हस्तानान्तरण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि दो प्रति कागज सं 9ग/3 ता 9ग/4, (4). माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका नं 5305/1992 के आदेश की छायाप्रति कागज सं 9ग/5 ता 9ग/7, (5). रिट याचिका संख्या 5305/1992 में नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की छाया प्रति कागज सं 9ग/8 ता 9ग/9 (6). आदेश दिनांक 28.11.1988 की छायाप्रति कागज सं 9ग/10 ता 9ग/11, (7) रिट संख्या 12828/1999 में स्थगन आदेश की प्रतिलिपि कागज सं 9ग/12 ता 9ग/17 (8) अधिशासी अभियन्ता का पत्र दिनांक 22.12.1998 कार्बन प्रति कागज संख्या 9ग/18 ता 9ग/19, (9) डी.एम. का पत्र दिनांक 05.12.1990 कागज संख्या 9ग/20, (10). अधिशासी अधिकारी का पत्र दिनांक 08.12.1998 कागज सं 9ग/21, (11). असल गृहकर जलकर का पत्रांक संख्या 1823/14.10.2003 कागज सं 9ग/23, (12). असल पत्र अधिशासी अभियन्ता दिनांक 01.12.2003 कागज सं 9ग/25, (12). असल पत्र अध्यक्ष रमायन राव दिनांक 04.12.2007 कागज सं 9ग/26, (13). नगर पालिका का कर निर्धारण नोटिस की मूल प्रति कागज सं 9ग/24 (14). नकल बैनामा दिनांक 30.03.2002 कागज सं 9ग/34 (15). नकल बैनामा 30.03.2012 बहक अरूण कुमार बरनवाल कागज सं 9ग/28 ता 9ग/42 (16). एवं माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 14.08.2007 जो रिट याचिका संख्या 12828/2007 में पारित हुआ कागज सं 9ग/43 ता 9ग/48, जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन, देवरिया द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग 8 लखनऊ को लिखे गये पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 9ग/49 ता 9ग/55 दाखिल किया गया है तथा सूची 199ग से छायाप्रति पंत्राक सं 383/97–98 दिनांकित 07.07.97 को न० प० परिषद देवरिया के तत्कालीन अध्यक्ष डा० शिवहरि सिंह द्वारा भेजा गया सहयुक्त नियोजक को पत्र कागज सं 200ग/1 दाखिल किया गया।

62. It is relevant to mention Section 61 of the Evidence Act,1872

Section 61.- Proof of contents of documents. The contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence.

63. **Section 62.-** Primary evidence.- Primary evidence means the doucments itself produced for the inspection of the Court.

64. The Hon'ble Supreme Court in **Appaiya Vs. Andimuthu @ Thangapandi & AIR 2023 SC 4810** has held that **Section 65** of the Indian Evidence Act envisages cases in which secondary evidence relating to documents may be given.

Section 65-- Cases in which secondary evidence relating to documents may be given.—Secondary evidence may be given of the existence, condition, or contents of a document in the following cases:—

(a). when the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of reach of, or not subject to, the process of the Court, or of any person legally bound to produce it, and when, after the notice mentioned in section 66, such person does not produce it;

(b). when the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest;

(c). when the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence of its contents cannot, for any other reason not arising from his own default or neglect, produce it in reasonable time;

(d). when the original is of such a nature as not to be easily movable;

(e). when the original is a public document within the meaning of section

(f). when the original is a document of which a certified copy is permitted by this Act, or by any other law in force in 1[India] to be given in evidence;

(g). when the originals consist of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in Court, and the fact to be proved is the general result of the whole collection.

In cases **(a), (c)** and **(d),** any secondary evidence of the contents of the document is admissible.

In case of **(b)** the written admission is admissible.

In case of **(e)** or **(f)** a certified copy of the document, but no other kind of secondary evidence, is admissible.

In case of **(g)** evidence may be given as to the general result of the documents by any person who has examined them, and who is skilled in the examination of such documents.

The contingencies contemplated by Section 65 of the said Section must be pleaded and proved to exist.

In case **(e)** or **(f)**, a certified copy of the document, but no other kind of secondary evidence, is admissible.

It is relevant to mention Section 77 of the Indian Evidence Act.

Section 77. Proof of documents by production of certified copies. — Such certified copies may be produced in proof of the contents of the public documents or parts of the public documents of which they purport to be copies.

65. यहां यह उल्लेखनीय है कि कागज संख्या 9ग/1 ता 9ग/4 व कागज संख्या 9ग/10 सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा स्वयं प्रमाणित किये गये हैं। कागज संख्या 9ग/18 ता 9ग/19 अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रशासन देवरिया को प्रेषित पत्र की कापी है। कागज संख्या 9ग/20 ता 9ग/22 की छायाप्रति की प्रमाणित प्रति है। कागज संख्या 9ग/23 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया द्वारा जल निगम प्रथम स्थाई निर्माण शाखा को बकाया भुगतान को अदा किये जाने हेतु एवं कागज संख्या 9ग/24 जमा अधिशासी अभियन्ता अदा किया गया बिल की प्रति, कागज संख्या 9ग/25 अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिषद द्वारा प्रेषित पत्र अधिशासी अभियन्ता प्रथम जल निगम को नोटिस दिनांकित 29.11.2003, कागज संख्या 9ग/26 नगर पालिका परिषद द्वारा जारी गृहकर जलकर निर्धारण के सम्बन्ध में, कागज संख्या 9ग/27 जल निगम द्वारा जल निगम को निर्गत नोटिस, कागज संख्या 9ग/28 ता 9ग/42 बैनामा की सत्यप्रतिलिपि है, कागज संख्या 9ग/49 ता 9ग/55 जांच से सम्बन्धित छायाप्रतियां हैं।

66. यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि मूल वाद 406/2007 के वादी एवं मूल वाद 388/2007 के प्रतिवादी द्वारा दाखिल दस्तावेज गृहकर जलकर का पत्रांक संख्या 1823/14.10. 2003 कागज सं 9ग/23, पत्र अधिशासी अभियन्ता दिनांक 01.12.2003 कागज सं 9ग/25, पत्र अध्यक्ष रमायन राव दिनांक 04.12.2007 कागज सं 9ग/26, नगर पालिका का कर निर्धारण नोटिस की मूल प्रति कागज सं 9ग/24 असल है। नकल बैनामा दिनांक 30.03.2002 कागज सं 9ग/34 (15). नकल बैनामा 30.03.2012 बहक अरूण कुमार बरनवाल कागज सं 9ग/28 ता 9ग/42 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी है। शेष सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित व छायाप्रतियां है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। उनके द्वारा यह भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उनके द्वारा असल अथवा प्रमाणित प्रतियां क्यों नहीं दाखिल की गयी हैं।

67. यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि वादी ब्रहमेश्वर द्वारा सूची 8ग से दाखिल उपर्युक्त सभी दस्तावेज सभी छायाप्रतियां हैं। इसलिए वे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं।

68. साक्षी पी0डब्लू0–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा कागज संख्या 71क2/1 ता 71क2/20 में वाद पत्र में किये गये अभिकथनों का समर्थन किया गया है। अग्रेत्तर साक्षी पी0डब्लू0–1 द्वारा

मुख्य परीक्षा में 74ग ता 79ग जलकल की रसीद, कागज संख्या 80ग आशा देवी का पैसा जमा करने, 82ग बैंक का सर्टिफिकेट, 83ग आशा दत्त का प्रार्थनापत्र, 84ग मीरा दत्त के हक में आवंटन, 85ग बैंक द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट, 86ग मीरा दत्त को उनके प्लाट पर कब्जा देने, 87ग पैसा जमा करने, 88ग कौशल कुमार के हक में आवंटन व रूपया जमा करने, 89ग कौशल कुमार द्वारा पैसा पाने, 90ग व 91ग बैंक रसीद, 93ग उसके हक में आवंटन, 94ग श्रीमती गीता देवी के नाम आवंटन, 95ग गीता देवी द्वारा बैंक में रूपया जमा करने की रसीद, 96ग गीता देवी द्वारा अपने प्लाट पर कब्जा पाने, 97ग श्रीमती विद्या देवी के हक में आवंटन होने, 98ग विद्या देवी द्वारा बैंक में रूपया जमा करने की रसीद, 99ग विद्या देवी द्वारा अपने प्लाट पर कब्जा पाने, 100ग विद्यावती के हक में नक्शा पास, 101ग कौशल कुमार के हक में नक्शा पास, 102ग उसके हक में नक्शा पास, 103ग गीता देवी के हक में नक्शा पास, 107ग ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा भूखण्डों को आवंटित किये जाने हेतु, 108ग अधिशासी अधिकारी द्वारा संयुक्त निदेशक को पत्र, 109ग सहयुक्त नियोजक द्वारा प्रेषित पत्र, 110ग बैठक की प्रति, 111ग अपर जिला मजिस्ट्रेट का जांच आख्या, 114ग नक्शा, 115ग जिलाधिकारी को भेजा गया पत्र, 116ग जिलाधिकारी देवरिया को अनुसचिव द्वारा भेजा गया पत्र एवं 117ग संगठित योजना नगर विकास योजना उ0प्र0 को साबित किया गया है।

69. उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह कहा गया है कि गीता देवी को उसने देखा है, गीता देवी ने पैसा जमा करने की रसीद, कब्जा पाने की रसीद जमा किया है। गीता गृहणी औरत है, उनके पति शिक्षक हैं। 74ग कागज कार्बन कापी है। 1998 के बाद जलकल रसीद कटवाया है। विवादित मकान दो खण्ड में गीता देवी की मकान एक मंजिला बनी है। जनवरी 08 में बनी है। उसके पहले मकान नहीं थी दो कमरे बने हैं उनके कमरे में बिजली की कनेक्शन है या नहीं वह नहीं जानता। गीता देवी जीवित हैं। जब एलाटमेण्ट मिला था उस समय डॉ0 शिव हरि सिंह थे। 80ग पर दस्तखत नर्वदा राव की है। 80ग की लिखावट बैंक कर्मचारी की होगी। कब्जा कागज पत्र एक पन्ने का था। कब्जा प्रमाण को उसने पढ़ा था कब्जा प्रमाण के कोई चौहद्दी नहीं दिया गया था। सभी वादीगण गीता देवी, श्रीमती विद्या, आशा, मीरा दत्त को जानते हैं। वह अपने विवादित भूखण्ड में रहता है। दो कमरे हैं वह इसको अक्टूबर 2007 के बाद बनवाया है। यह कहना गलत है कि विवादित भूखण्ड में कोई मकान उसकी नहीं है। उसने 11.11.1997 को आवंटन के लिए दरखास्त दिया था। टाउनहाल के नीचे कमरे में रहते थे। वह उसका 350/– प्रतिमाह किराया देता था वह कमरा उसे नगर पालिका से एलाट हुआ था उस समय शिव हरि सिंह ने टाउनहाल का कमरा एलाट किया था। वह अपने विवादित भूखण्ड में रहता है। दो कमरे हैं वह इनको अक्टूबर 07 के बाद बनवाया है। यह कहना गलत है कि विवादित भूखण्ड में कोई मकान उसकी नहीं बनी है। उसने 18.01.1999 को नक्शा पास करवाया। 18.01.1999 से लेकर माह अक्टूबर 07 तक मकान नहीं बनी थी। उसने दिनांक 11.11.1997 को आवंटन के लिए दरखास्त दिया था। उसने प्रार्थनापत्र भूखण्ड के लिए दिया था। आवंटन के लिए पहले आओ पहले पाओ पर आवंटन नगर पालिका द्वारा किया गया। उसका आवंटन 03.09.1998 को हुआ। अपने

आवंटन की जानकारी 03.09.1998 को हुई, उसके पूर्व गीता व विद्या का आवंटन हुआ। उसके आवंटन के बाद वाकी आवंटन 03.09.1998 को ही हुआ था। आवंटन की प्रक्रिया अलग–अलग हुआ। उसे 70623/–रूपया जमा करना था। एक बार उसने 70,000/–रूपया जमा किया था। 07.08.1998 को जमा किया तथा 623/–रूपया 08.08.1998 को जमा किया था। उसे रूपया जमा करने की नोटिस 01.06.1998 को मिली थी। जो भूखण्ड उन लोगों को मिला निलामी व लॉटरी के आधार पर नहीं मिला बल्कि प्रार्थनापत्र देने व पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया गया। विज्ञापन के आधार पर स्वतंत्र भारत में आशय का विज्ञापन हुआ था कि पहले आओ पहले पाओ। 03.09.1998 को सूचना मिली कि आवंटन की प्रक्रिया उन लोगों के पक्ष में हो गयी है। 01.06.1998 के बाद उन लोगों ने अपने अपने भूमि का पैसा जमा किया। पैसा उसने 07.08.1998 को जमा किया उसने दो बार में पैसा जमा किया। कब्जा प्रमाण पत्र 03.09.1995 को मिला। आवंटन की सूचना उसे स्वतंत्र समाचार पत्र के माध्यम से जुलाई 1997 में मालूम हुआ। आवंटन की सूचना मिलने के लगभग दो माह बाद उसने रूपया जमा कर दिया। उसे सत्तर हजार छः सौ तेइस रूपया जमा करने का आदेश मिला था। पैसा जमा करने व आवंटन की सूचना जून 1998 में मिली थी। यह भूमि उसे पहले आओ और पहले पाओ की प्रक्रिया पर उसे आवंटित की गयी। सूचना उसे दिनांक 03.09.1998 को मिली थी। आवंटन की सूचना पाने के लगभग दो साल के भीतर उसने पैस जमा किया था। यह कहना गलत है कि विवादित भूमि आज भी खाली है और वह जल निगम के कब्जे में है। वर्ष 1998 में जब उसने पैसा जमा किया तब से उसे लीज डीड नहीं मिला। उसने विवादित भूमि में दो कमरे का मकान बनवाया है। वह विवादित प्लाट पर निर्माण करा रहा था जिसको रोका गया था इसलिए मुकदमा दाखिल किया है। आवंटन के बावत प्रकाशन स्थानीय लोगों के लिए हुआ था। विवादित प्लाट उन लोगों के आवंटन के पूर्व जल निगम को आवंटित किया गया था और उन लोगों को हस्थानान्तरित किया गया था अथवा नहीं, उसको याद नहीं है। इस योजना की कुछ नियमावली बनायी गयी थी। उस नियमावली के अनुसार निर्माण कार्य पांच साल के अन्दर हो जाना चाहिए था। जल निगम को जो आवंटन किया गया था वह पांच साल के अन्दर निर्माण कार्य नहीं कराया। वहां पर जल निगम द्वारा कोई स्टोर भी नहीं बनाया गया था। पक्की चहारदीवारी से नहीं घेरा गया था। यह भी कहना गलत है कि विवादित भूखण्डों पर नगर पालिका का कब्जा है। इस प्रकार उक्त बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी द्वारा आवंटन, कब्जा एवं धनराशि को जमा करने के सम्बन्ध में साबित किया गया है।

70. पी0डब्लू0–2 सोमदेव वर्मा द्वारा वाद पत्र में किये गये कथनों का समर्थन किया गया है, जिसका सुविधा की दृष्टि से पुर्नवृत्ति नहीं किया जा रहा है।

71. उक्त साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि उसका एलॉटमेण्ट भूखण्ड संख्या 254 ई0डब्लू0एस0 में हुआ भूखण्ड उसकी पत्नी के नाम से एलॉट हुआ। यह एलाटमेण्ट 97–98 में हुआ था। इस मुकदमें में उसके प्लाट का कोई विवाद नहीं है। उसकी पत्नी प्राईमरी स्कूल पाइकेट में पढ़ाती थी। विद्या देवी व गीता देवी का एलाटमेण्ट 97–98 में हुआ था। तिथि की जानकारी नहीं है। वादीगण में वह विद्या देवी, आशा देवी, मीरा देवी, गीता देवी व ब्रम्हेश्वर की तरफ से गवाही

देने आया है। उसका आवंटन सन् 1997–98 में हुआ था। इशारा स्कूल को टच करते हुए दो प्लाट हैं जिसमें जल निगम पाईप रखा हुआ है। उसने भुजौली कालोनी में प्लाट लिया है। वह कालोनी में रहता है इसलिए वस्तु स्थिति को जानता है। जल निगम से वादीगण से माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा चला इसकी जानकारी है। उक्त साक्षी द्वारा अधिकतर किये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में अभिनज्ञिता की गयी है। वादीगण के आवंटन के पूर्व विवादित भूमि जल निगम को आवंटित हुई थी। वादीगण के आवंटन के सम्बन्ध में अखबार में विज्ञप्ति निकला था और उसको वह पढ़ा था । भुजौली कालोनी में वह प्लाट आवंटित कराया है। यह प्लाट आवंटन के लिए पेपर में निकला था फार्म भरा था। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर उसको प्लाट का आवंटन हुआ था। नियम क्या बना था इसकी जानकारी उसको नहीं है। वादीगण का आवंटन किस नियम के अनुसार आवंटित हुआ था इसकी जानकारी उसको नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा अलॉटमेण्ट को साबित किया गया है तथा यह भी कहा गया है कि वादीगण के आवंटन से पूर्व विवादित भूमि जल निगम को आवंटित थी तथा यह भी कहा गया है कि आवंटन के लिए फार्म भरा था तथा पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर उसको प्लाट का आवंटन हुआ था।

72. साक्षी पी0डब्लू0–3 हसमुद्दीन अदालत अमीन द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि वह दिनांक 06.11.2007 व 07.11.2007 वहेसियत अमीन कार्यरत था। न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 06.11.2007 को मौके पर जाकर विवादित भूखण्डों का पैमाईश किया था। भूखण्ड संख्या 242, 249, 370, 371 व 372 का निरीक्षण किया, नक्शा नजरी तैयार कर पत्रावली पर रिपोर्ट कागज संख्या 17ग दाखिल किया। विवादित भूखण्डों में जिस तरह से निर्माण पेड़, दरखातन आदि थे उसी के अनुसार उसने नक्शा नजरी में दिखा दिया था। विवादित भूखण्डों का पैमाईश किया था। विवादित स्थल पर वाउण्ड्रीवाल जिस हालात में मिली थी उसे उस हालात में नक्शा नजरी में दर्शित व उल्लिखित किया है। मौके पर वादिनी व उसके पैरोकार ने वाउण्ड्रीवाल का गेट खोलकर मौके का निरीक्षण कराया था। दृष्टिचित्र 18ग/2 दाखिल किया है। दृष्टिचित्र का मतलब यह है कि उसने जो देखा वह बना दिया।

73. उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि कागज संख्या 18ग/1 18ग/2 को देखकर साक्षी ने बताया कि विवादित भूखण्डों में कोई मकान नहीं है। जब वह मौके पर गया तो विवादित भूखण्ड खाली मिले थे। जैसा देखा वह पाया, वैसा नक्शा नजरी में दर्शित कर दिया। वादिनी गीता देवी मिली थी। भूखण्ड संख्या 370, 371 व 372 में कोई वाउण्ड्री नहीं थी। इसलिए उसने भूखण्ड किस तरफ है, स्पष्ट नहीं किया है। भूखण्ड संख्या 370, 371 व 372 में कौन किधर है। उसने स्पष्ट किया है कि दीवार टूटी है, ईंटे बिखरी हैं।

74. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वितीय पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर गवाह द्वारा यह कहा गया है कि नगर पालिका कार्यालय को उसने अच्छी तरह से देखा है। चूंकि परवाना में प्रतिवादी के अधिवक्ता का नाम अंकित नहीं था तथा पूछने पर पता चला कि प्रतिवादी नगर पालिका हाजिर नहीं है, इसलिए उनके अधिवक्ता को सूचना देना सम्भव नहीं हो सका। वाद पत्र

की जो कापी मिली उसमें भी नगर पालिका अधिवक्ता व कार्यालय के कर्मचारी की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से वादीगण की मौजूदगी में नक्शा नजरी तैयार कर प्रतिवेदन दाखिल किया है। वादिनी गीता देवी व उनके अधिवक्ता मिले थे। उसके द्वारा यह कहा गया है कि मौके पर वादिनी व उसके पैरोकार ने वाउण्ड्रीवाल का गेट खोलकर मौके का निरीक्षण कराया था। जब वह मौके पर गया था तो उसने जैसा देखा वैसा नक्शा नजरी में दर्शित कर दिया। विवादित भूखण्डों में मकान नहीं है, जब वह मौके पर गया तो विवादित भूखण्ड खाली थे।

75. साक्षी डी0डब्लू0–1 आनन्द वर्धन मिश्र द्वारा मुख्य परीक्षा/साक्ष्य शपथपत्र में बयान तहरीर का समर्थन किया गया है, जिस कारण उसे दोहराया नहीं जा रहा है।

76. उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि वह अधिशासी अभियन्ता के निर्देशानुसार वह साक्ष्य के लिए उपस्थित हुआ है। वह जल निगम के अधिशासी अभियन्ता के निर्देश से आया है। जल निगम की तरफ से जो मुकदमा दाखिल है। उस वाद पत्र पर उसका हस्ताक्षर है। उसने अभिलेख के आधार पर जिस–2 भूखण्ड का दावा हुआ है, वह अभिलेख दाखिल है। उस भूखण्ड की संख्या उसे याद है। विवादित भूखण्ड 247 व 248 है। कुल 17 भूखण्डों का दावा जल निगम के द्वारा दाखिल किया गया है। इनका नम्बर याद नही, अभिलेख के आधार पर दिया है। जल निगम ने यह दावा नहीं किया है । भूखण्ड 1986 में आवंटित हुए थे। वह देवरिया कार्यालय में सन 1992 से कार्यरत है। वह 1997 में देवरिया में कार्यरत था। इन भूखण्डों में निर्माण निरस्तीकरण के लिए कोई नोटिस नगर पालिका द्वारा नहीं आया था। कब नोटिस भेजी गयी थी, उसे याद नहीं है। वह नगरीय एवं अनुश्रवण को वह जानता है जिसमे उसके अधिशासी अभियन्ता सम्भवतः सदस्य हैं। इस समय कार्यालय में वह लेखा सहायक है। वह वर्ष 1997 में भी लेखा सहायक था। दिनांक 14–07–1997 को अनुश्रवण समिति की कोई मीटिंग हुई थी या नहीं, उसे नही जानकारी है। यह भी उसे जानकारी नही है कि उस बैठक में उसके अधिकारीगण थे या नहीं। दिनांक 09–11–1998 को दूसरे भूखण्डो के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया था। इसकी जानकारी उसे है। ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया था। अधिशासी अभियन्ता बैठक में मौजूद नहीं थे। यह पता चला था कि जल निगम के भूखण्डों को कूटरचित तरीके से निरस्त करने की साजिस चल रही है। कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा पता चला था। उस समय अधिशासी अभियन्ता ओम प्रकाश सिंह थे। के0के0 राय उनके यहां सहायक अभियन्ता थे। वह उनके हस्ताक्षर को पहचानता है। शपथपत्र उसने साक्ष्य के लिए दाखिल किया है। शपथपत्र सरकारी अभिलेख के अनुसार लिखा गया है। दैनिक जागरण में भूखण्डों के आवंटन/निरस्तीकरण सम्बन्धी सूचना थी। जिस पर स्थगित करा दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित किया गया था। यह आदेश उसके यहां पत्रावली पर उपलब्ध है। उसके यहां आवंटन का उल्लेख हुआ है। उसमें इस बात

का उल्लेख है। कागज संख्या 110ग पर अधिशासी अभियन्ता के0के0 राय का हस्ताक्षर है। उसे नहीं पता कि विभाग को कब जानकारी हुई। दिनांक 14–07–1997 को प्रकाशन की सूचना समाचारपत्र में हुआ था या नहीं, उसे जानकारी नही है। वह अंग्रेजी पढा लिखा है। नगर पालिका परिषद द्वारा सेल डीड निष्पादन किस अभिलेख में दर्ज है। यह टंकण की जाती है। यह बात किस अभिलेख में लिखा हुआ है, इसकी जानकारी उसें नही है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि क्या उसने पत्र दिनांकित 26.10.1998 को देखा है तो उसने यह कहा कि प्रकरण पुराना होने के कारण याद नहीं है। प्रधान कार्यालय से धन का आवंटन हुआ था। नगर पालिका से पास हुआ था। भुजौली कालोनी वह अन्य आवंटन द्वारा भी बिना सेलडीड के निर्माण नहीं कराया गया। भूखण्डों को निरस्त दिखाया जा रहा है। निरस्त भूखण्डों की संख्या 58 थी कि नहीं उसे वास्तविक संख्या याद नहीं है। इस समय तक किसी भूखण्ड सेल डीड नहीं हुआ है। भूखण्डों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध वह 21.02.1997 व 03.03.1997 को नगर पालिका द्वारा जल निगम को नोटिस दिया गया वह उसके कार्यालय के पत्रावली में नहीं है।

प्रश्नः– आपने अपने पत्र के प्रस्त 4 में यह कथन किया है कि दिनांक 21.02.1997 एवं दिनांक 03.03.1997 को नगर पालिका परिषद द्वारा यह सूचना गयी थी कि पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद के आवंटित भवन निर्माण नहीं कर सके उनके भूखण्डों का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और अभी आपने बयान दिया है कि दिनांक 03.03.1997 व 21.02.1997 पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। दोनों बयान में कौन सा बयान सहीं है।

उत्तरः– मेरा सम्पूर्ण बयान यह था कि कार्यालय में किसी के द्वारा प्राप्त नहीं है, जिसके कारण यह पत्रावली में नहीं है। जबकि पैरा 11 समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर है। अतः दोनों बयान सही है। प्रस्तर 11 वह समाचार पत्र वह प्रकाशित होने की बात छूट गयी होगी। यह बयान उसने अभिलेख के आधार पर दिया है। किस अभिलेख में प्रस्तर 11 का उल्लेख है, उसे याद नहीं है। आज तक जल निगम के पक्ष वह किसी भी भूखण्ड वह सेल डीड या पट्टा नहीं हुआ है। जल निगम वह समस्त भूखण्ड पर चहारदिवारी एवं कुछ भूखण्डों पर कार्यालय भवन एवं स्टोर गोदाम का निर्माण हुआ। भूखण्डों की संख्या सम्बन्ध वह अभिलेख वह पत्रावली में संलग्न है। अग्रेतर साक्षी से यह पूछे जाने पर कि क्या भूखण्डों पर कार्यालय भवन एवं स्टोर का निर्माण हुआ है, उसका सेल डीड या पट्टा लिखा गया है तो उसके द्वारा यह कहा गया है कि उसे जानकारी नहीं है।

77. अग्रेतर प्रतिपरीक्षा में यह कहा गया है कि भूखण्ड संख्या 241, 242, 349, 370, 371 व 372 वह छः फुट ऊंची चहारदीवारी नहीं है। लगभग पांच फुट की है। दिनांक 14.07.1997 की बैठक वह वह नहीं था। उक्त साक्षी से यह पूछे जाने पर कि दिनांक 14.07.1997 का प्रस्ताव एस0टी0ओ0 शिवहरि सिंह का क्या निजी काम था तो उसके द्वारा यह कहा गया कि वही बतायेंगे। उक्त सूचना अपने शपथ पत्र के पैरा 15 वह बल्कि तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा शिव हरि सिंह के अपने निजी काम के लिए प्रस्ताव को सूचना को कूटरचित किया। किस आधार पर आपने

लिखा है। पूर्व वह प्रस्तुत पत्रावली व पैरवीकार के द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उक्त बात कही गयी। इस कथन (अभिलेख) के बारे वह सम्पूर्ण जानकारी नहीं है। दिनांक 14.07.1997 को की गयी कार्यवाही जो कोरम के अभाव के कारण उसके विभाग को स्वीकार नहीं है। दिनांक 06.05.2000 को जिलाधिकारी देवरिया द्वारा शासन को रिपोर्ट भेजी गयी थी कि पूरी आवंटन प्रक्रिया सही हुई है। इसकी जानकारी नहीं है। उस माप पुस्तिका वह चाहरदीवार का निर्माण का माप अंकित है। चाहरदीवारी के अलावा उस पर किसी निर्माण का विवरण है कि नहीं उसे याद नहीं है। चाहरदीवारी का निर्माण की वास्तविक स्थिति नहीं बता सकता है। विवादित भूखण्डों वह जल निगम का कोई आवास नहीं है। किस–किस भूखण्ड पर कार्यालय स्थित है भूखण्ड की संख्या नहीं बता सकते हैं। आवासीय कार्यालय एवं गोदाम वाले भूखण्डों के बारे वह ही हो सकता है नगर पालिका द्वारा गृहकर जलकर दिया जाता है। भूखण्ड संख्या 241, 242, 349, 370, 371 व 372 आवासी रूप से प्रयोग हो रहा है। दिनांक 14.07.1997 को जो आदेश पारित हुआ जल निगम को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला जबकि आपके शपथपत्र के पैरा 11 वह दिनांक 21.02.1997 और 03.03.1997 को नगर पालिका द्वारा सूचना देने की बात कही गयी। किस आधार पर कही जा रही है, कार्यालय की पत्रावली वह कोई नोटिस प्राप्त नहीं है। जल निगम द्वारा कार्यालय का निर्माण बिना लीज डीड एवं सेल डीड लिखे ही कराया गया है। दिनांक 14.07.1997 के प्रस्ताव को आदेश को निरस्त करने के लिए जल निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है, उसे पता नहीं है। विवादित भूखण्डों पर वृक्षारोपण की कार्यवाही हुई थी। वृक्षारोपण की कार्यवाही कई चरणों वह हुई है। याद नहीं है। भूखण्ड संख्या 241, 242, 349, 370, 371 व 372 पर जल निगम का कभी कब्जा नहीं था न है। यह कहना गलत है। यह कहना गलत है कि इन भूखण्डों पर जल निगम ने कोई कमरा, वाउण्ड्री या गेट का निर्माण नहीं कराया था। भूखण्ड संख्या 241 पर विद्या देवी मकन बनाकर तथा पेड़ लगाकर भूखण्ड संख्या 242 पर गीता देवी शौचालय एवं स्नान घर तथा चाहरदीवारी एवं पेड़ लगाकर, 349 पर उसके द्वारा कटरैन का एक कमरा वाउण्ड्री व सागौन का पेड़ लगाकर एवं 370 पर ब्रहमेश्वर दत्त का एक कमरा, शौचालय एवं स्नान घर तथा वाउण्ड्री एवं 371 पर मीरा वाउण्ड्री वाल एवं कमरा बनाकर एवं 372 पर आशा दत्त वाउण्ड्री वाल एवं कमरा बनाकर काबिज दाखिल हैं। यह कहना गलत है कि उसे जानकारी नहीं है कि इन भूखण्डों वह कोई कनेक्शन आवंटियों ने लिया है कि नहीं। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनांक 14.07.1997 के आदेश के बाद जल निगम ने क्या–क्या कार्यवाही किया है कि नहीं। उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा यह कहा गया है कि वह वर्ष 1997 में लेखा सहायक था। दिनांक 14.07.1997 को अनुश्रवण समिति की कोई मीटिंग हुई थी या नहीं उसे जानकारी नहीं है। अर्थात मीटिंग दिनांकित 14.07.1997 के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। गवाह ने कागज संख्या 110ग देखकर बताया कि उस पर अधिशासी अभियन्ता के0के0 राय का हस्ताक्षर है। यह भी अग्रेत्तर कहा गया है कि आज तक जल निगम के पक्ष में किसी भी भूखण्ड का सेल डीड या पट्टा नहीं हुआ है। चारदिवारी के निर्माण की वास्तविकत स्थिति नहीं बता

सकता। विवादित भूखण्ड पर जल निगम का कोई आवास नहीं है। भूखण्ड संख्या 241, 242, 349, 370, 371, 372 पर जल निगम का कभी कब्जा नहीं था न है। यह कहना गलत है।

78. साक्षी डी0डब्लू–2 प्रभुनाथ चौरसिया द्वारा मुख्य परीक्षा/साक्ष्य शपथपत्र में बयान तहरीर का समर्थन किया गया है। अतः सुविधा की दृष्टि से उसे दोहराया नहीं जा रहा है।

79. साक्षी डी0डब्लू–2 प्रभुनाथ चौरसिया द्वारा प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य किया गया है कि वह अधिशासी अभियन्ता जल निगम के आदेश पर गवाही दे रहा है। दावा अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर से दाखिल किया गया है। दावा दाखिल हुआ उस समय वह कार्यरत था। वह जल निगम में सन् 1993 से कार्यरत है। नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति को वह जानता है। नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के विषय वह यह जानकारी है कि कई अधिकारी नामित है। जल निगम के भूखण्डों के आवंटन सन् 1986 वह हुआ था। दिनांक 25.08.1986 का पत्र उसने देखा है। दिनांक 25.08.1986 का पत्र समिति के चेयरमैन द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा है, उसे जानकारी नहीं है। यह जानकारी नहीं है कि अनुश्रवण समिति द्वारा भूखण्डों का पंजीयन की तिथि दिनांक 15.08.1989 तक बढ़ा दी गयी थी। आवासीय भूखण्डों का कोई किराया नहीं लिया जाता है। आवासीय भूखण्डों का एक ही बार वह मु० छः लाख चौरानवे हजार जमा कर दिया गया है। गृह कर व जल कर जमा किया जाता है। गृह कर व जल कर की रसीद पत्रावली वह जमा किया है। नगर पालिका परिषद् देवरिया द्वारा दिनांक 24.01.1992 को दैनिक समाचार पत्र वह उस समय के चेयरमैन द्वारा जिसके नाम से भूखण्ड आवंटित हो गये थे, जिसे करने की तिथि अखबार वह निकाली गयी, लेकिन कल्याण समिति द्वारा न्यायालय से स्टे करा लिया गया। उसके विभाग द्वारा पत्र लिखा गया लेकिन उसके सामने नहीं लिखा गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि चेयरमैन अपने स्तर से निस्तारित करे। इस आदेश की प्रतिलिपि इस पत्रावली में दाखिल है। अध्यक्ष नगर पालिका ने निर्णय दिया कि सब अपना लीज डीड करा लें। जल निगम ने पत्र लिखा। तब तक उसी दरमियान कल्याण समिति ने पत्र लिखा, लेकिन अध्यक्ष ने यह कहकर टाल दिया कि नगर पालिका ने यह कहा कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई लीज डीड नहीं होगा। जल निगम ने नगर पालिका को कब पत्र लिखा याद नहीं है। अंतिम पत्र 98–99 में लिखा गया। दिनांक 21.02.1997 एवं सन् 03.03.1997 को नगर पालिका परिषद् ने जल निगम को पत्र लिखा है। उसको उसने नहीं देखा था। उस समय उसका कार्यालय राघव नगर में था। इस समय कार्यालय भूजौली कालोनी में है। भुजौली कालोनी में वर्ष 98–99 से है। कार्यालय भवन का निर्माण हुआ है। सन् 1999 मे हुआ है। उसे नंबर याद नहीं है कि किस–किस नम्बर पर निर्माण हुआ है। अब तक किसी भी भूखण्ड का लीज डीड नहीं हुआ है। जल निगम के पक्ष में नहीं हुआ है। कार्यालय के निर्माण के लिए कोई नक्शा जल निगम द्वारा स्वीकृत कराया गया है या नहीं, यह उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी से पूछे गये प्रश्न कि आपने अपने पत्र में यह कथन किया कि बिना बैनामा या पट्टा के कोई निर्माण नहीं हो सकता है न नक्शा पास हो सकता है, तो जल निगम ने किस अधिकार से चहारदीवारी का निर्माण करवाया है तो उक्त साक्षी द्वारा कहा गया है कि उस समय के तत्कालीन चेयरमैन द्वारा यह कहा गया कि

जब तक शासन से बैनामा या पट्टा के लिए कोई आदेश नहीं आयेगा तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। चहारदीवारी के लिये शासन से धन अंगीकृत हुआ है, उसे याद नहीं है कि उसके विभाग ने शासन को धन के लिए पत्र लिखा है या नहीं। चहारदीवारी के लिए शासन से सन् 1986 वह धन प्राप्त हुआ। विभाग के कागज देखने से मालूम हुआ है कि शासन से धन 1986 में प्राप्त हुआ था। इस कागज से 1997 के बाद यह जानकारी हुआ कि यह भूखण्ड निरस्त कर दी गयी है। सन् 1997 का मतलब है कि 1997 में कुछ दिन के बाद पता चला। वह सन् 1997 के बाद वर्ष 2016 के बीच में कागज देखा है। यह कागज ऑफिस में भी है और पत्रावली में भी है। 241 व 242 भूखण्ड में चहारदीवारी का निर्माण हुआ है तथा इसके अलावा शेष भूखण्ड का नम्बर याद नहीं है, लेकिन चहारदीवारी सब में बना है। भूखण्ड 241 में इस समय क्या है, वह नहीं बता सकता। लेकिन जल निगम की चहारदीवारी है। भूखण्ड 241 में विद्या देवी का मकान बना है, यह उसने देखा नहीं है और वह पत्र उसके विभाग का है। विभाग ने भूखण्ड में वृक्ष लगाया है। कब वृक्ष लगा है, नहीं बता सकता। फिर कहा कि एलॉट होने के बाद लगा है। इसमें आम व अन्य कई तरह के पेड़ है। कितने आम के पेड़ हैं नहीं बता सकता। यह उसे याद नहीं है कि उसमें लिची और बेल का पेड़ है। उसके सभी भूखण्ड के साथ गेट भी लगा है। मात्र 242 में नहीं लगा है। भूखण्ड सं०–370, 371 व 372 में बाउण्ड्री वाला गेट लगा है। भूखण्ड 370 में टीनशेड नहीं लगा है। फिर कहा की यह टीन शेड जल निगम का है। भूखण्ड सं०–370 में लैट्रिन तथा बाथरूम नहीं है। मात्र टीन शेड है। भूखण्ड 370 वह तीन सागौन का पेड़ नहीं है। इसमें कैंटीन भी नहीं है। भूखण्ड 370 में जल कनेक्शन भी नहीं लगा है। इसके चारों तरफ जल निगम की चहारदीवारी है। 370, 371 व 372 में तीनों का अलग–अलग चहारदीवारी है, जो जल निगम का है। दिनांक 28.11.1998 के कागज देखकर हमने लिखा था। इस समय याद नहीं है। कागज सं०–110ग के क्रमांक 4 पर अधिशासी अभियन्ता लिखा हुआ है। इसके आगे हस्ताक्षर बना हुआ है। कागज सं०–110ग के क्रमांक 4 पर बनाये गए श्री एस. के. राय का हस्ताक्षर वह नहीं पहचानता। दिनांक 28.11.1998 के पत्र के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जल निगम द्वारा रिट दाखिल किया गया है। इस मुकदमे में द्वितीय पक्ष नगर पालिका है। प्रतिवादीगण ने जो भी आवंटन किया है। वह गलत एवं कूटरचित है। द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटन किये गये पत्रावली को उसने देखा है। उसके कार्यालय में आवंटन की पत्रावलियां है। ये उन लोगों की अपनी है। दिनांक 05.12.1998 को जिलाधिकारी के आदेश पत्रावली में लगा है तथा उसको उसने देखा है। उस आदेश में लिखा है कि उसको स्थगित करते हुए शासन को निर्णय के लिए लिखा है। अरुण कुमार और विनोद कुमार बर्नवाल के पक्ष वह बैनामा नगर पालिका ने किया है। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा किया गया है। यह वह नहीं जानता कि किस अधिकारी द्वारा बैनामा किया गया है। अपर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 14.07.1997 के बैठक की जांच की गयी है। उसमें जो निर्णय लिया गया था, उसकी जाँच की गयी थी। उस बैठक में उसका भी बयान लिया गया था। उसने बयान दिया कि गलत हुआ है। कोरम का अभाव है। इसलिए गलत हुआ है। दिनांक 14.07.1997 की बैठक में कौन से अधिकारी थे, उसे नहीं पता है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट पढ़ने से पता चला कि दिनांक 14.07.1997 को

बैठक में कोरम पूरा नहीं था। पहले अपर जिलाधिकारी की रिपोर्ट आया था, फिर जिलाधिकारी की रिपोर्ट आयी। अपर जिलाधिकारी के यहां बयान देने के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी आयी थी, जो बयान अपर जिलाधिकारी के यहां हुआ था, वह उसने नहीं दिया था। वह उसके पूर्वाधिकारी द्वारा दिया गया था। पत्र दिनांक 28.11.1998 पर क्या कार्यवाही हुयी वह नहीं बता सकता। उसे यह जानकारी है कि उसके विभाग द्वारा एक रिट याचिका 12828/1999 उच्च न्यायालय में योजित की गयी है, जो भूखण्ड जल निगम को अलॉट हुआ वह गलत निरस्त हुआ। इसलिए विभाग द्वारा रिट दाखिल की गयी है। प्रस्ताव दिनांक 14.07.1997 के विरुद्ध जल निगम ने जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया। जिलाधिकारी द्वारा इसकी जांच करवायी गयी। शासन से इस स्तर पर कोई निर्णय हुआ हो, इसकी उसे जानकारी नहीं है। जिलाधिकारी देवरिया द्वारा दिनांक 06.05.2000 को शासन को यह रिपोर्ट भेजा गया है कि दिनांक 14.07.1997 को प्रस्ताव सही है। उसके पश्चात किये गये आवंटन सही है। यह जानकारी उसे नहीं है कि शासन द्वारा उस पत्र के आधार पर स्वी कृति हो गयी है। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा दिये गये बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 25.08.1986 के पत्र में क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है। आवासीय भूखण्डों का कोई किराया नहीं लिया जाता है। उसे नम्बर याद नहीं है कि किस–किस नम्बर पर निर्माण हुआ है। अब तक किसी भी भूखण्ड का लीज डीड नहीं हुआ है। विभाग से कागज देखने पर मालूम हुआ कि शासन से धन 1986 में प्राप्त हुआ था। इस कागज से 1997 के बाद यह जानकारी हुआ कि यह भूखण्ड निरस्त कर दी गयी है। कागज संख्या 110ग के क्रमांक 4 पर अधिशासी अभियन्ता लिखा हुआ है इसके आगे हस्ताक्षर बना हुआ है। कागज संख्या 110ग के क्रमांक 4 पर बनाये गये के0के0 राय के हस्ताक्षर को नहीं पहचानता है। अरूण कुमार व विनोद कुमार वर्नवाल के पक्ष में बैनामा नगर पालिका ने किया है। जिलाधिकारी देवरिया द्वारा दिनांक 06.05.2000 को शासन को पत्र भेजा गया कि दिनांक 14.07.1997 का प्रस्ताव सही है उसके पश्चात किये गये आवंटन का प्रस्ताव सही है।

80. इस प्रकार साक्षी डी0डब्लू0–1 व साक्षी डी0डब्लू0–2 द्वारा यह साबित किया गया है कि दिनांक 14.07.1997 को जल निगम की ओर से अधिशासी अभियन्ता प्रस्तुत थे।

81. साक्षी डी0डब्लू0–3 जितेन्द्र सिंह द्वारा मुख्य परीक्षा/साक्ष्य शपथपत्र में जवाबदेही का समर्थन किया गया है, जिस कारण उसे दोहराया नहीं जा रहा है।

81. डी0डब्लू0–3 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि वह गवाही देने के लिए जल निगम विभाग में सम्पर्क किया था। उसने जल निगम की पत्रावली का निरीक्षण किया है। सन् 1998 में निरीक्षण किया था सम्भवतः। उन प्लाटों में से उसे भी एक प्लाट मिला था और उसे पता चला कि यह फर्जी किया गया है इसलिए उसने उस पत्रावली का निरीक्षण किया उसे किस प्लाट को दिया गया था उसका नम्बर याद नहीं है। आवंटन के पहले वह जल निगम की पत्रावली का निरीक्षण नहीं किया था। वह सरेण्डर की दरखास्त जल निगम को दिया था। दरखास्त में यह लिखा था कि आवंटन की कार्यवाही फर्जी है। पत्रांक संख्या 383 के आधार पर निरीक्षण की कार्यवाही की गयी फर्जी है। सहयुक्त नियोजन ने अपना उत्तर लिखा है साक्षी ने कहा कि यह

पत्र फर्जी है। 383 नं0 का दूसरा पत्र उसके पास था। वकील साहब को दे दिया है। आवंटन फर्जी है इसकी शिकायत लोकायुक्त के यहां की है या नहीं। याद नहीं है कि डी0एम0/ए0डी0एम0 की जांच में उसने खुद 383 कागज दिया था या नहीं। लोकायुक्त के यहां परिवाद संख्या 23/2003 दाखिल किया था। उसे याद नहीं है। मौके पर जल निगम का कब्जा दखल हो गया है। कब्जा दखल 1997 के समय ही हो गया था। 1997 के बहुत पहले ही कब्जा दखल हो गया था। यह बात उसे 1995 में पता चली। सुने–सुनाये आधार पर उसने अपने शपथपत्र में लिखवाया था। पत्र दिनांक 21.02.1997 व 03.03.1997 के विषय की जानकारी होने पर वह बता पायेगा कि किसके द्वारा वह पत्र लिखे गये हैं। इन दोनों पत्रों में क्या लिखा है विषय की जानकारी होने पर ही बता पायेगा। ये दोनों पत्र उसने देखे होंगे लेकिन बिना देखे नहीं बता सकता। दिनांक 09.11.1998 को जल निगम द्वारा नगर पालिका परिषद को किस सम्बन्ध में पत्र लिखा गया है वह नहीं बता सकता। 09.11.1998 का पत्र देखा है या नहीं तारीख नहीं बता सकता। सेल डीड का पत्र देखा है। बाद में कार्यवाही के दौरान देखे थे। चारदिवारी के लिये नक्शा कोई बहुत आवश्यक नहीं है। भुजौली कालोनी में जो मकान 1998 के पहले बने थे कुछ मकानों का नक्शा बना था और कुछ का नहीं। इस समय जल निगम द्वारा कार्यालय का निर्माण कराया गया है। उसे नहीं पता है कि जल निगम के कार्यालय का नक्शा स्वीकृत है या नहीं। 14.07.1997 को बैठक ही नहीं हुई तो प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं उठता। बैठक में उसे नहीं रहना था। दिनांक 14.07.1997 के बैठक के बारे में उसे जानकारी इसलिए हुई कि वह नगर पालिका पर मौजूद था। अधिकारी लोग बैठक में नहीं आये वही लोग बताये कि कोरम पूरा नहीं हुआ है। जब वह ठेकेदारी कर रहे थे तब उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई थी। ब्लैक लिस्टेड के बावत उसे कोई कारण बताओं नोटिस नहीं दिया गया था उसे याद नहीं है कि नोटिस का जवाब दिया था या नहीं। दिनांक 06.05.2000 को जिलाधिकारी देवरिया द्वारा शासन को रिपोर्ट भेजी गयी थी। भूखण्डों का निरस्तीकरण एवं आवंटन वैध या अवैध है यह भी उसे जानकारी नहीं है। वह शिव हरि सिंह का रिश्तेदार नहीं है। जल निगम के अधिकारी सुभाष सिंह के रिश्तेदार है कि नहीं, उसे नहीं मालूम। उसे नहीं मालूम है कि कि उनकी पत्नी के नाम निरस्त किये गये भूखण्डों में एक भूखण्ड संख्या 283 आवंटित हुआ था कि नहीं। विद्यावती सिंह के लड़के तथा नरेश सिंह या उनके पत्नी के नाम से कौशल सिंह के पत्नी के नाम से आवंटित है। नये आवन्टि सुनीता वर्मा, दयानन्द सिंह, शान्ति देवी, फातिंगा देवी आदि को जो बैनामा हुआ है उसकी उसे जानकारी नहीं है। वह अपने नाम से भी दरखास्त दे रहा था उसी दरखास्त के साथ उपरोक्त आवंटन की दरखास्त भी दी गयी थी। भूखण्ड संख्या 347 या 348 में एक उसे भी आवंटित किया गया था। बाद में उसे जब जानकारी हुई, यह सारी कार्यवाही फर्जी की गयी है तो वह जल निगम के पक्ष में अपना आवंटन भी ड्रा कर लिया। शपथ पत्र के पैरा 13 उसने पढ़ा है। उसमें जो बाते लिखी है। उसमें नगर पालिका व जल निगम के बीच की बाते लिखी है। उसे यह बाते इसलिए जानकारी है कि वह नगर पालिका के ठेकेदारी करता था तथा सभासद सरकारों से भी बात रखता था इसलिए उसे जानकारी हुई है। उसे नगर पालिका को अथवा जल निगम से उसे कोई चिट्ठी नहीं मिली। वह

सुनी सुनाई बात पैरा 13 में नहीं लिखा है। निरस्तीकरण के चस्पाओं के जल निगम कार्यालय से सम्पर्क करने पर उसे वह पत्र दिखाया गया जो पूर्व में सेल डीड के लिए नगर पालिका को लिखा गया था। वह 14.07.1997 को सम्पन्न हुई बैठक को उसने देखा था। यदि बैठक में कोई सदस्य उपस्थित नहीं होता है तो उस सदस्य द्वारा नामित कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता है। यदि बैठक में कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाता है। 14.07.1997 के बैठक के अलावा उसने प्रोसीडिंग की बैठक के समय वह दर्शक के रूप में बैठा था। उसने अलावा दर्शक दीर्घा में कौन लोग बैठे थे वह नहीं बता सकता और लोग बैठे थे। यह बैठक नगर पालिका के सभागार में हुआ था। इस बैठक में एस0डी0एम0, डी0एम0 के प्रतिनिधि के रूप में जल निगम के अधिशासी अभियन्ता, बिजली विभाग के अधिशासी अभियन्ता सम्भवतः भी थे और सदस्य अनुपस्थिति के कोरम पूरा न होने के कारण बैठक स्थगित हो गयी। 383 नम्बर का पत्र किसने किसके लिए लिखा उसे जानकारी नहीं है। लोकल अखबार में पढ़कर उसने भी आवेदन किया था। उसे एक प्लाट आवंटित भी हुआ था। उसे 347 नम्बर का प्लाट या 348 नम्बर के प्लाट में से एक प्लाट आवंटित हुआ था। उसे आवंटन पहले आओ पहले पाओ में प्लाट मिला था। उसे यह प्लाट किस तारीख को आवंटित हुआ याद नहीं है। वह अपने आवंटित प्लाट में कोई वाउण्ड्री वाल नहीं चलाया था।

82. इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा दिये गये बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा यह कहा गया है कि उसने सुने सुनाये आधार पर शपथ पत्र लिखवाया था। सेल डीड का पत्र देखा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी डी0डब्लू0–3 ठेकेदार है। जब वह ठेकेदारी कर रहे थे तो उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई। ब्लेक लिस्टेड के बावत उसे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था, उसे याद नहीं है कि वह नोटिस का जवाब दिया था या नहीं। उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि भूखण्डों का निरस्तीकरण एवं आवंटन वैध या अवैध है, यह भी उसे जानकारी नहीं है। स्पष्ट रूप से उक्त साक्षी को यह भी याद नहीं है कि उसे भूखण्ड संख्या कौन सा आवंटि किया गया था।

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या 4 का निस्तारणः–</u>

83. क्या मूल वाद संख्या 388/2007 व मूल वाद संख्या 406/2007 धारा 326 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से बाधित है ?

<u>धारा 326 उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के सम्बन्ध मेंः–</u>

84. उपर्युक्त अवधार्य बिन्दु को साबित करने का भार मूल वाद 406/2007 के प्रतिवादीगण पर है।

85. मूल वाद 406/2007 के प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा धारा 326 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। उक्त तर्क का खण्डन करते हुए अपीलार्थी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा धारा 326 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम का अनिवार्य प्रावधान

का पालन किया गया है। मूल वाद 388/2007 के प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी आदि द्वारा धारा 326 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम का पालन नहीं किया गया है। उक्त तर्क का खण्डन करते हुए मूल वाद संख्या 388/2007 के वादिनी आदि के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा धारा 326 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम का पालन किया गया है।

86. इस स्तर पर धारा **326 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम** का उल्लेख किया जाना न्यायोचित है:–

Section 326(1). No suit shall be instituted against a Municipality, or against a member, officer or servant of Municipality in respect of an act done or purporting to have been done in its or his official capacity, until the expiration of two months next after notice in writing has been, in the case of a Municipality, left at its office, and in the case of a member, officer or servant, delivered to him or left at his office or place of abode, explicitly stating the causes of action, the nature of the relief sought, the amount of compensation claimed and the name and place of abode of the intending plaintiff and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.

(4) Provided that nothing in subsection (1) shall be construed to apply to a suit wherein the only relief claimed is an injunction of which the object would be defeated by the giving of the notice or the postponement of the commencement of the suit or proceedings.

87. मूल वाद 388/2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण आदि द्वारा वाद पत्र के प्रस्तर 18 में यह उल्लेख किया गया है कि दावा निषेधाज्ञा का है, निषेधाज्ञा वाद में प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर दो महीने की अवधि व्यतीत होने पर दावा का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा इस कारण प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 326(4) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत बिना नोटिस दाखिल किया गया है।

88. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मूल वाद 388/2007 के माध्यम से वादीगण आदि द्वारा सिर्फ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा गया है।

89. मूल वाद संख्या 406/2007 के वाद पत्र में किये गये अभिकथनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र के किसी भी प्रस्तर में धारा 326 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उपर्युक्त मूल वाद नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद देवरिया व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, देवरिया प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के विरूद्ध दायर किया गया है।

90. The Hon'ble High Court of Allahabad in **Haji Ahmad Raza and ors. Vs. Municipal Board, Allahabad AIR 1952 All 711 (Full Bench)** has held that a municipal board operates as a corporate body. Actions like passing official resolutions or amending local bye-laws constitute official acts. Therefore, plaintiffs must serve the statutory notice before challenging them.

91. यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि अगर कोई वादी नगर पालिका परिषद के विरूद्ध सिविल वाद दायर करता है तो वादी को धारा 326 (1)/326 (4) के अन्तर्गत दिये गये अनिवार्य प्रावधान का पालन किया जाना अनिवार्य है जो कि नहीं किया गया है। अतः मूल वाद 406/2007 पोषणीय न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

92. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अवधार्य बिन्दु संख्या 4 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या 5 का निस्तारणः–</u>

93. क्या मूल वाद संख्या 388/2007 व मूल वाद संख्या 406/2007 काल बाधित है?

<u>काल बाधित के सम्बन्ध मेंः–</u>

94. उपर्युक्त अवधार्य बिन्दु को साबित करने का भार मूल वाद 406/2007 के प्रतिवादीगण एवं मूल वाद संख्या 388/2007 के प्रतिवादीगण पर है।

95. नगर पालिका परिषद देवरिया की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोनों मूल वाद काल बाधित हैं। अतः काल बाधित होने के कारण दावा नमंजूर किये जाने योग्य है।

96. उक्त तर्क का खण्डन करते हुए दोनों वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दावा वादी काल बाधित नहीं है। प्रतिवादी नगर पालिका परिषद द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे वे अपनी कथानक को साबित कर सके।

97. यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि मूल वाद 388/2007 में नगर पालिका परिषद देवरिया व अधिशासी अधिकारी देवरिया द्वारा दाखिल जवाबदेही के प्रस्तर में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि दावा वादी काल बाधित है। इसी प्रकार मूल वाद संख्या 406/2007 में नगर पालिका परिषद देवरिया व अधिशासी अधिकारी देवरिया द्वारा दाखिल जवाबदेही के प्रस्तर में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि दावा वादी काल बाधित है।

98. इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद 406/2007 विरचित वाद बिन्दु

संख्या 4 कि क्या दावा वादी अवधि काल बाधित है, के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष दिया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे कि वादिनी के कथनों पर विश्वास न किया जा सके। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विरचित वाद बिन्दु संख्या 4 में दिये गये निष्कर्ष विधि के अनुकूल है।

99. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अवधार्य बिन्दु संख्या 5 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

मालिक/कब्जा के सम्बन्ध में:-

100. मूल वाद 388/2007 के वादी आदि के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवादित भूखण्ड जो जल निगम को आवंटित था, उसको निरस्त करके उनके पक्ष में आवंटन कर कब्जा दिया गया तब से वे विवादित भूखण्डों पर काबिज दाखिल हैं।

101. मूल वाद संख्या 406/2007 के वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके पक्ष में जो विवादित भूखण्डों का आवंटन किया गया था, उसका निरस्तीकरण की प्रक्रिया अवैध, अवैधानिकता और निष्प्रभावी है। अतः जल निगम का पहले से ही विवादित भूखण्डों पर काबिज दाखिल है।

102. The Hon'ble Supreme Court in **Nair Service Society Ltd. V/s K.C. Alexander AIR 1968 SC 1165: (1968) 3 SCR 163** has held that a person in possession of land in assumed character of owner and exercising peaceably the ordinary rights of ownership has a perfectly good title against all the world but the rightful owner. When the facts disclose no title in either party, possession alone decides.

103. The Hon'ble Supreme Court in **Mahale V/s Shobha Venkat Rao (1989) 4 SCC 131** has held that where a person is in settled possession of property, even on the assumption that he had no right to remain on the property, he cannot be dispossessed by the owner of the property except by recourse to law.

104. The concept of settled possession and the right of the possessor to protect his possession against the owner has come to be settled by a catena of decisions. In **Munshi Ram V/s Delhi Admn AIR 1968 SC 702: (1968) 2 SCR 455: 1968 Cri LJ 806.,** and in **Ram Rattan V/s State of U.P. (1977) 1 SCC 188: 1977 SCC (Cri) 85** the Hon'ble Courts have held that no one, including the true owner, has a right to dispossess the trespasser by force if the trespasser is in settled possession of the land and in such a case unless he a is evicted in the due course of law, he is entitled to defend his possession even against the rightful owner. But merely stray or even

intermittent acts of trespass do not give such a right against the true owner. The possession which a trespasser is entitled to defend against the rightful owner must be settled possession, extending over a sufficiently long period of time and acquiesced to by the true owner. A casual act of possession would not have the effect of interrupting the possession of the rightful owner. The rightful owner may re-enter and reinstate himself provided he does not use more force than is necessary. Such entry will be viewed only as resistance to an intrusion upon his possession which has never been lost. A stray act of trespass, or a possession which has not matured into settled possession, can be obstructed or removed by the true owner even by using necessary force.

105. The Hon'ble Supreme Court in **Puran Singh V/s. State of Punjab (1975) 4 SCC 518: 1975 SCC (Cri) 608** clarified that it is difficult to lay down any hard-and-fast rule as to when the possession can mature into settled possession. The "settled possession" must be **(i)** effective, **(ii)** undisturbed, and **(iii)** to the knowledge of the owner or without any attempt at concealment. The phrase "settled possession" does not carry any special charm or magic in it; nor is it a ritualistic formula which can be confined in a straight jacket formula. An occupation of the property by a person as an agent or a servant acting at the instance of the owner will not amount to actual physical possession. The Court laid down the following tests which may be adopted as a working rule for determining the attributes of "settled possession".

(i). that the trespasser must be in actual physical possession of the property over a sufficiently long period;

(ii). that the possession must be to the knowledge (either express or implied) of the owner or without any attempt at concealment by the trespasser and which contains an element of animus possidendi. The nature of possession of the trespasser would, however, be a matter to be decided on the facts and circumstances of each case;

(iii). the process of dispossession of the true owner by the trespasser must be complete and final and must be acquiesced to by the true owner, and

(iv). that one of the usual tests to determine the quality of settled possession, in the case of culturable land, would be whether or not the trespasser, after having taken possession, had grown any crop. If the crop

had been grown by the trespasser, then even the true owner, has no right to destroy the crop grown by the trespasser and take forcible possession.

106. The Hon'ble Full Bench of the Hon'ble High Court of Allahabad in **Yar Mohd. V/s Lakshmi Das AIR 1959 All 1: 1958 All LJ 628 (FB) (AIR at p. 4)**: has held that "Law respects possession even if there is no title to support it. It will not permit any person to take the law in his own hands and to dispossess a person in actual possession without having recourse to a Court. No person can be allowed to become a judge in his own cause.

107. The Hon'ble High Court in **Fakirbhai Bhagwandas V/s Maganlal Haribhails AIR 1951 Bom. 380** has held that it is not necessary for the person claiming injunction to prove his title to the suit land. It would suffice if he proves that he was in lawful possession of the same and that his possession was invaded or threatened to be invaded by a person who has no better title thereof. Each of the two contending parties would be at liberty to plead all relevant facts directed towards establishing their titles, as respectively claimed, and proving the same in duly constituted legal proceedings.

108. The Hon'ble Supreme Court in **Somnath Berman V/s Dr. Prafulla Kumar Mukherjee AIR 1953 SC 505** has held that possession must be peaceful, open, and continuous; slight interruptions do not destroy its settled character if the overall enjoyment remains.

109. यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि यह स्वीकृत तथ्य है कि न ही मूल वाद 388/2007 के वादीगण को नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा विवादित भूखण्डों का उनके पक्ष में बैनामा किया गया है और न ही मूल वाद संख्या 406/2007 के वादी को नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा विवादित भूखण्डों का उनके पक्ष में बैनामा किया गया है। हमें सिर्फ यह देखना है कि आवंटन के आधार पर उ0प्र0 जल निगम प्रथम निर्माण खण्ड, देवरिया अथवा वादिनीगण आदि विवादित भूखण्डों पर स्थापित काबिज दखिल हैं।

110. यहां यह उल्लेखनीय है कि मूल वाद संख्या 388/2007 के वादिनीगण आदि द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में दाखिल दस्तावेज कागज संख्या 84ग/86ग मीरा दत्त को दिनांक 03.09.1998 को, कागज संख्या 88ग/89ग दिनांक 03.09.1998 को कौशल कुमार सिंह को, कागज संख्या 92ग/93ग दिनांक 03.09.1998 को ब्रहमेश्वर दत्त को, कागज संख्या 94ग/96ग दिनांक 15.12.1997 को गीता देवी को एवं कागज संख्या 97ग/99ग दिनांक 15.12.1997 को विद्या देवी को आवंटन कर पर्याप्त धनराशि प्राप्त कर कब्जा दिया गया है। मूल वाद 406/2007 के वादी जल निगम द्वारा ऐसा कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि विवादित भूखण्डों का कब्जा जल निगम देवरिया को दिया गया हो। यहां यह भी उल्लेख किया

जाना समीचीन है कि नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 12828/1999 में विचारण के दौरान प्रति शपथपत्र कागज संख्या 106ग/2 ता 106ग/12 दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 28.11.1998 को अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम को इस आशय का नोटिस दिया गया कि उनके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या 241, 242, 260, 261, 262, 263, 264, 269, 368, 370, 371, 372 व 373 को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उनके द्वारा योजना में दिये गये शर्तों का पालन नहीं किया गया है। प्रतिशपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि भूखण्ड संख्या 241, 242, 347, 348, 349, 369, 371 व 372 प्रार्थीगण को आवंटित कर दिया गया है। योजना में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि लीज डीड/सेल डीड करवाया जाना अनिवार्य है। अर्थात मूल वाद संख्या 388/2007 के वादीगण द्वारा विवादित भूखण्डों का लीज डीड/सेल डीड करवाना जरूरी है। जल निगम द्वारा लिखित बहस में यह स्वीकार किया गया है कि शासन से धन देरी से आने के कारण व निरस्तीकरण के खिलाफ जांच आदि लम्बित होने के कारण निर्माण में देरी हुई है। निरस्तीकरण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहारा अखबार के द्वारा सूचना दी गयी। नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रति शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी जल निगम द्वारा आवंटित भूखण्डों पर निर्माण नहीं करवाया गया और उन्हें पर्याप्त सूचना देकर प्रतिवादी संख्या 1 जल निगम के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 उत्तर प्रदेश जल निगम की तरफ से विवादित भूखण्डों के आवंटन व कब्जा के सम्बन्ध में मूल अभिलेख दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी द्वारा प्रस्ताव दिनांकित 14.07.1997 के प्रस्ताव पर के0के0 राय अधिशासी अभियन्ता का हस्ताक्षर है। उनको प्रस्तुत कर उनका खण्डन करवा सकते थे, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है। मूलवाद के वादिनी गीता देवी आदि द्वारा नक्शा स्वीकृत आदेश मूल रूप से दाखिल किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कागज संख्या 106ग नकल शपथपत्र में प्रश्नगत भूखण्डों को नये आवंटियों को आवंटित करने का शपथपत्र दिया है एवं नये आवंटियों को आवंटित भूखण्डों पर कब्जा करा दिये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 जल निगम को पर्याप्त सूचना देकर प्रतिवादी संख्या 1 जल निगम के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त करके वादीगण गीता देवी आदि के पक्ष में नियमानुसार आवंटन करके कब्जा दखल करा दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कागज संख्या 110ग जो प्रस्ताव दिनांकित 14.07.1997 की प्रमाणित प्रति है, उसमें नौ पदाधिकारियों का उल्लेख है, जिसमें छः सदस्यों का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है। प्रस्ताव दिनांकित 14.07.1997 प्रमाणित प्रति कागज संख्या 107ग व कागज संख्या 108ग व 109ग से साबित होता है कि नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के नौ सदस्यों में से छः सदस्यों की उपस्थिति के कारण समिति का कोरम पूर्ण है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे कि वह अपने कथानक को साबित कर सके। इस

प्रकार नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा प्रस्ताव दिनांकित 14.07.1997 के द्वारा विवादित भूखण्डों के आवंटन का निरस्तीकरण एवं पुनर्आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार वैध है।

111. इस प्रकार मूल वाद 388/2007 के वादीगण आदि का विवादित भूखण्डों पर स्थापित कब्जा साबित है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा मूलवाद 388/2007 के वादीगण के पक्ष में विवादित भूखण्डों का पंजीकृत बैनामा का निष्पादन नहीं किया गया है। सिर्फ उन्हें आवंटन के आधार पर कब्जा प्राप्त हुआ है। अर्थात बिना पंजीकृत बैनामा कराये विवादित भूखण्डों का स्वत्व अन्तरण नहीं हो सकता।

<u>अनुतोष के सम्बन्ध मेंः–</u>

112. नगर पालिका परिषद देवरिया की ओर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी द्वारा जो याचना नहीं की गयी है, न्यायालय द्वारा वह अनुतोष प्रदान नहीं की जा सकती है।

113. उक्त तर्क का खण्डन करते हुए वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वाद पत्र में याचित अनुतोष के साथ एक अनुतोष का यह भी याचना किया जाता है कि न्यायालय जो भी न्यायोचित समझे वह अनुतोष प्रदान करे।

114. वादिनीगण आदि द्वारा मूल वाद 388/2007 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दादरसी में यह उल्लेख किया गया है कि (1) वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष प्रतिवादीगण प्रथम एवं द्वितीय पक्ष को सर्वदा के लिए वर्जित कर दिया जावे कि भूखण्ड स्थित आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया तप्पा देवरिया, परगना सलेमपुर मझौली तहसील व जिला देवरिया के भूखण्ड संख्या 242 एच०आई०जी० में वादिनी सं0–1, भूखण्ड सं0–241 एच०आई०जी० में वादिनी सं0–2. भूखण्ड 373 सं0–372 एम०आई०जी० में वादिनी सं0–3, भूखण्ड स० 371 एम०आई०जी० में वादिनी सं0–4 तथा भूखण्ड सं0–349 एम०आई०जी० में वादी संख्या 6 कौशल कुमार, भूखण्ड सं0–370 एम०आई०जी० में वादी सं0–5 जिसकी चौहद्दी निम्न है, के कब्जा दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे न ही उन्हें बेदखल करें और न हीं निर्माण कार्य में कोई विचारणोध करें न किसी अन्य के पक्ष में विवादित भूखण्ड आवंटित करें और न हीं अन्य के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करें (2) अलावा या बजाय उपरोक्त दारदसी के वादीगण किसी अन्य दादरसी के मुश्तहक करार पाये जाये तो उसकी भी डिक्री सादिर फरमायी जावें।

115. आलोच्य आदेश दिनांकित 23.12.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह अनुतोष प्रदान किया गया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष को सर्वदा के लिए निषेधित किया जाता है कि भूखण्ड स्थित आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी देवरिया, तप्पा देवरिया परगना सलेमपुर मझौली, तहसील व जिला देवरिया के भूखण्ड संख्या 241, 242, 371, 372, 349 व 370 को वादीगण के कब्जा दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे, न ही उन्हें बेदखल करे और न ही निर्माण कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे, न किसी अन्य के पक्ष में विवादित भूखण्ड को आवंटित करें और न ही विक्रय विलेख निष्पादित करे। अग्रणी वाद संख्या

388/2007 में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उपरोक्त भूखण्ड संख्या 242, 241, 372, 371, 349 व 370 में वादीगण के कब्जा दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें न ही उन्हें बेदखल करे न किसी अन्य को आवंटित करें और न ही निर्माण कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वही अनुतोष प्रदान किया गया है, जिनकी याचना की गयी है और जिन्हें साबित किया गया है।

116. उपर्युक्त समस्त, समग्र एवं तथ्यात्मक के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मूलवाद संख्या 388/2007 के वादीगण गीता देवी आदि विवादित भूखण्डों पर काबिज हैं। निर्णय विधि **रामेगोड़ा बनाम एम0 वरादत्ता नायडू ए0आई0आर0 2004 सु0को0 4609** में दी गयी व्यवस्था से स्पष्ट है कि सम्पत्ति पर व्यवस्थित रूप से काबिज व्यक्ति, उस पर अपना कब्जा बनाये रखने का हकदार है। वास्तविक स्वामी को विधि की प्रक्रिया अपनानी होगी, वह विधि को अपने हाथ में लेकर अतिचारी को बेदखल नहीं कर सकता।

117. प्रस्तुत प्रकरण में मूल वाद संख्या 406/2007 के वादी का विवादित भूखण्डों पर कब्जा व स्वामित्व साबित नहीं है। मूल वाद संख्या 388/2007 के वादीगण आदि का विवादित भूखण्ड पर स्थापित कब्जा साबित है।

118. निर्णय विधि **एल0एन0 अस्वथामा बनाम पी0 प्रकाश 2009 ए0आई0आर0एस0डब्लू0 5439** में दी गयी व्यवस्था से विधि सुव्यवस्थित है कि जहां विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार किया है तथा कई तात्विक निष्कर्ष निकाले हैं तो प्रथम अपीलीय न्यायालय उन्हें अनुमान के आधार पर, सुसंगत साक्ष्य का पूर्णतः विश्लेषण किए बिना नहीं पलटेगा।

119. प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त सुविचारित एवं विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व डिक्री जिसके द्वारा वादीगण का वाद अज्ञाप्त किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है, उसमें कोई भी अवैधानिकता नहीं है। क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित भी कोई त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने चाहे गये अनुतोष को प्रदान करके कोई त्रुटि नहीं की है।

120. उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आलोक में अवधार्य बिन्दु 1, 2, 3, 4, 5 व 6 तद्नुसार उत्तरित किया जाता है।

121. उपर्युक्त सम्पूर्ण चर्चा के आलोक में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांकित 23.12.2021 व उस पर आधारित डिक्री दिनांकित 10.01.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार दोनों व्यवहारिक अपीलें सव्यय निरस्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

मूल वाद संख्या 388/2007 के अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील संख्या 15/2022 एवं मूल वाद संख्या 406/2007 के अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील संख्या 18/2022 सव्यय निरस्त की जाती हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अग्रणी मूल वाद संख्या

388/2007 श्रीमती गीता देवी आदि बनाम उ0प्र0 जल निगम आदि में पारित निर्णय दिनांकित 23.12.2021 उस पर आधारित डिक्री दिनांकित 10.01.2022 पुष्ट किया जाता है।

बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार किया जाये।

इस आदेश एवं निर्णय की एक प्रति अपील संख्या 18/2022 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक 14.08.2026

(काशी नाथ)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, देवरिया।

निर्णय तथा आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 14.08.2026

(काशी नाथ)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, देवरिया।